पंचम माला, खंड 59 अंक 12 बुधवार, 24 मार्च 1976/4 चैत्र, 1898 (शक)
Fifth Series, Vol. LIX No. 12 Wednesday, March 24 1976/Chaitra 4, 1898 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

[सोलहवां सत्र
Sixteenth Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 59 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. LIX contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य: दो रुपये Price : Two Rupees

पंचम माला, खंड 59 अंक 12 बुधवार, 24 मार्च 1976/4 चैत्र, 1898 (शक)
Fifth Series, Vol. LIX No. 12 Wednesday, March 24 1976/Chaitra 4, 1898 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

[सोलहवां सत्र
Sixteenth Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 59 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. LIX contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य: दो रुपये Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi].

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 12, बुधवार, 24 मार्च, 1976/ 4 चैत्र, 1898 (शक)

No. 12, *Wednesday, March* 24, 1976/*Chaitra* 4, 1898 (*Saka*)

विषय	SUBJECT	PAGE
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	**Oral Answers to Questions :**	
तारांकित प्रश्न संख्या 221, 225 से 228, 231, 232, 234, 236 और 237	Starred Questions Nos. 221, 225 to 228, 231, 232, 234, 236 and 237 . . .	1—19
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	**Written Answers to Questions :**	
तारांकित प्रश्न संख्या 222 से 224, 229, 230, 233, 235 और 238 से 240	Starred Questions Nos. 222 to 224, 229, 230, 233, 235 and 238 to 240 . . .	19—25
अतारांकित प्रश्न संख्या 1196 से 1285	Unstarred Questions Nos. 1196 to 1285 . .	25—77
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	78—79
सदस्यों की सभा की बैठकों से अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—	Committee on Absence of Members from Sittings of the House—	
25वां प्रतिवेदन	Twenty-Fifth Report . . .	79
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति—	Committee on Public Undertakings—	
81वां प्रतिवेदन	Eighty-first Report . . .	80
मनार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी में भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सीमा सम्बन्धी करार के बारे में वक्तव्य—	Statement Re. Agreement Between India and Sri Lanka on Maritime Boundary in Gulf of Manar and Bay of Bengal—	
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Yashwant Rao Chavan	80
गुजरात बजट, 1976-77—प्रस्तुत—	Gujarat Budget, 1976-77—General—	
श्री सी० सुब्रह्मण्यम	Shri C. Subramaniam. . . .	81-82

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The sign + marked above the name of the Members indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	PAGE
तमिलनाडु बजट, 1976–77–– सामान्य चर्चा––	Tamil Nadu Budget, 1976-77—General Discussion—	
अनुदानों की मांगें (तमिलनाडु 1976–77) और अनुदानों की अनुपूरक मांगें (तमिलनाडु) 1975–76	Demands for Grants (Tamil Nadu) 1976-77 and Supplementary Demands for Grants (Tamil Nadu) 1975-76	83—112
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharyya . .	91-92
श्री जी० भुवाराहन	Shri G. Bhuvarahan . .	92-93
श्री एम० कल्याणसुन्दरम	Shri M. Kalyanasundaram . . .	93-94
श्री ओ० वी० अलगेसन	Shri O.V. Alagesan . . .	94—96
श्री जे० माता गौडर	Shri J. Matha Gowder	96-97
श्री के० गोपाल	Shri K. Gopal	97-98
श्री जी० विश्वनाथन	Shri G. Vishwanathan .	98-99
श्री ए० एम० चेलाचामी	Shri A.M. Chellachami .	99—101
श्री एस० राधाकृष्णन	Shri S. Radhakrishnan	101-102
श्री के० मायातेवर	Shri K. Mayathevar	102-103
श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायणन	Shri M.R. Lakshminarayanan	103-104
श्री बी० वी० नायक	Shri B.V. Naik . . .	104
श्री वायालर रवि	Shri Vayalar Ravi	104-105
श्रीमती पार्वती कृष्णन	Shrimati Parvathi Krishnan .	105
श्री सी० सुब्रह्मण्यम	Shri C. Subramaniam . . .	106-107
तमिलनाडु विनियोग विधेयक, 1976–पुरःस्थापित	Tamil Nadu Appropriation Bill, 1976—Introduced—	
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider . .	113
श्री सी० सुब्रह्मण्यम	Shri C. Subramaniam	113, 114
खण्ड 2, 3 और 1	Clauses 2. 3 and 1	113-114
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass . .	114
श्री सी० सुब्रह्मण्यम	Shri C. Subramaniam	114
तमिलनाडु विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1976–पुरःस्थापित	Tamil Nadu Appropriation (No-2) Bill, 1976—Introduced—	
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider . .	114
श्री सी० सुब्रह्मण्यम	Shri C. Subramaniam .	114
खण्ड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1 . .	115
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass . .	115
श्री सी० सुब्रहमण्यम	Shri C. Subramaniam .	115

विषय	SUBJECT	Page
गुजरात राज्य के सम्बन्ध में की गई उद्घोषणा के बारे में सांविधिक संकल्प–स्वीकृत	Statutory Resolution Re. Proclamation in Relation to the State of Gujarat—Adopted	
श्री० के ब्रह्मानन्द रेड्डी	Shri K. Brahamananda Reddy . .	116—124
श्री० कृष्ण चन्द्र हाल्दर	Shri Krishna Chander Halder	116-117
श्री० सी० के चन्द्रप्पन	Shri C.K. Chandrappan .	117-118
श्री नटवरलाल पटेल	Shri Natwarlal Patel . .	118
कुमारी मणिबेन पटेल	Kumari Maniben Patel . .	118—120
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C.M. Stephen	120—122
निबंधक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) संशोधन अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प	Statutory Resolution Re. Disapproval of Comptroller and Auditor-General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Amendment Ordinance . .	
और	And	
निबंधक–महा लेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक	Comptroller and Auditor-General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Amendment Bill	
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider . . .	124
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharyya . .	124—126
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohatgi .	126-127
श्री एच० एन० मुकर्जी	Shri H.N. Mukerjee	127—129
नारियल जटा उत्पादों के लिये यूरोपीय बाजार के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half-an-Hour Discussion Re. European Market for Coir Products—	
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C.M. Stephen	129—131
श्री० ए० पी० शर्मा	Shri A.P. Sharma . . .	131—132

लोक-सभा

LOK SABHA

बुधवार, मार्च 24, 1976/चैत्र 4, 1898 (शक)

Wednesday, March 24, 1976/Chaitra 4, 1898 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

फिल्मों का निर्यात और आयात

*221. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों से फिल्मों के आयात उन्हीं देशों को पारस्परिकता के आधार पर भारतीय फिल्मों के निर्यात और इससे विदेशी मुद्रा की हानि अथवा लाभ की रूपरेखा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने अमरीका को पारस्परिकता के आधार पर फिल्मों के निर्यात की शर्त के बिना अमरीका की मोशन पिक्चर एक्सपोर्ट एसोसियेशन के साथ सीधा फिल्मों का आयात संबंधी समझौता किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं और इस की वित्तीय और सांस्कृतिक पैचीदगियां क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) फीचर फिल्मों का आयात पारस्परिकता पर जोर दिये बिना उन के स्तर और उनकी उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए विश्व आधार पर किया जाता है क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि भारतीय फिल्मों के लिये बाजार वहीं हो जहां से उपयुक्त फिल्में आयात की जाती हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) करार अच्छी विदेशी फिल्मों के लिये सार्वजनिक मांग को ध्यान में रखते हुए तथा देश के थियेटरों जिन्हें पिछले करार की समाप्ति के बाद अच्छी विदेशी फिल्में नहीं मिलीं को इस प्रकार की फिल्में सप्लाई करने के लिय किया गया था। जबकि इन आयातों से संबंधित विदेशी देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों में वृद्धि होती है, इस करार से विदेशी मुद्रा बाहर कम जायगी।

श्री भोगेन्द्र झा : प्रश्न यह था कि क्या फिल्मों के आयात तथा निर्यात पारस्परिकता के आधार पर किया जाता है और किस प्रकार तथा किस सीमा तक हमें इस कार्य में विदेशी मुद्रा की हानि होती है। मंत्री महोदय ने प्रश्न के इस भाग का कोई उत्तर नहीं दिया है।

यह स्वभाविक ही है कि सांस्कृतिक आदान प्रदान दो तरफा होता है। हमारी संस्कृति तथा हमारा देश भी अन्य देशों को कुछ दे सकता है तथा विशेष रूप से अमरीका को। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अमरीकी मोशन पिकचर्ज एसोसियेशन को इस बात की जिद है कि वह भारतीय फिल्मों का आयात नहीं करेगी और क्या भारत सरकार ने उस की इसी जिद तथा ब्लैकमेल की नीति के आगे झुकते हुए ही उन के साथ एक और करार कर लिया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारी सरकार यह सुनिशिचत करना चाहती है कि हमारी फिल्में भी विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिये विदेश तथा विशेष रूप से अमरीका भेजी जाय ? हम यह जानते हैं कि यह पारस्परिकता समान शर्तों समान स्तर तथा समान वितीय स्तर पर संभव नहीं है परन्तु फिर भी मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार भविष्य में इस नीति पर अड़ी रहेगी या नहीं ?

श्री धर्मवीर सिंह : माननीय सदस्य महोदय ने कुछ विशेष देशों के साथ फिल्मों के आयात निर्यात की पारस्परिकता के बारे में पूछा है। हम लगभग 6 करोड़ रुपये के मूल्य की फिल्मों का निर्यात करते है और अपने देश के लिये लगभग दो करोड़ रुपये के मूल्य की फिल्मों का आयात करते हैं। परन्तु हमारे जो करार हैं उन के आधार पर हम यह सुनिश्चित करते हैं कि वर्ष विशेष में 30 लाख से 40 लाख रुपये से अधिक का निर्यात नहीं किया जायगा। यदि हम वास्तव में भारत से जाने वाली तथा भारत आने वाली विदेशी मुद्रा का आदान प्रदान पारस्परिकता के आधार पर करें तो उस से हमें ही हानि होगी। जहां तक सांस्कृतिक पहलू का प्रश्न हैं मैं माननीय सदस्य के साथ पूरी तरह सहमत हूं कि फिल्में जन सम्पर्क का महत्वपूर्ण साधन होती है। हमें देश के लिये विदेशी संस्कृति को भी स्वीकार कर लेना चाहिये और साथ ही अपनी फिल्में भी विदेशों को भेजनी चाहिये। मैं माननीय सदस्य का यह भ्रम भी दूर कर देना चाहता हूं कि हम अमरीकी फिल्म निर्माताओं के दबाव में नहीं आये हैं। ऐसा सोचना गलत है। एसोसियेशन भारतीय फिल्मों का निर्यात न केवल अमरीका को परन्तु अन्य ऐसे देशों को करने के लिये भी सहमत हो गई है जहां कि यह भेजी जा सकती हैं।

श्री भोगेन्द्र झा : मिस मामयोयो द्वारा लिखित कुख्यात पुस्तक मदर इण्डिया के लिखे जाने के समय से और उस पर फिल्म बनने के बाद से पश्चिमी युरोप, अमरीका आदि को भारत विरोधी फिल्मों तथा भारत विरोधी सामग्री मिल रही है। हमारे देश तथा हमारी संस्कृति हमारे प्रजातंत्र तथा हमारी राजानीतिक व्यवस्था के विरुद्ध अपमानजनक प्रचार किया जा रहा है। इन परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि हमारी फिल्में ही उन देशों में भेजी जायें। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि पश्चिमी देशों यथा अमरीका आदि को

निर्यात की गई फिल्मों का ब्यौरा क्या है। मोशन पिकचर्ज एसोसियेशन के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि वह फिल्मों का निर्माण नहीं करती परन्तु वह तो केवल निर्यात करती है। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि उस के माध्यम से निर्यात और आयात की जाने वाली फिल्मों के सही आंकडें क्या हैं।

श्री धर्मवीर सिंह : सही आंकडे बताने के लिये इन्हें अन्य प्रश्न पूछना पडेगा। निश्चय ही सांस्कतिक माध्यम के रुप में हम भारतीय फिल्मों का निर्यात करना चाहेंगे। अमरीका सहित अन्य देशो में हमारी फिल्मों की काफी मांग है। हम उन के साथ अपने सांस्कृतिक संबंध सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं और हाल ही में श्री सत्यजीत राय ने वहां की यात्रा कर लोगों को काफी प्रभावित किया है और हाल ही में उन की फिल्मों का एक समारोह अमरीका में हुआ। हम निश्चय ही यह चाहेंगे कि भारतीय फिल्मों में अच्छे स्तर का राष्ट्रीय जीवन दर्शाया जाये और भारेतीय संस्कृति के सब से अच्छे पहलुओं को अन्य देशों को दिखाया जाये।

श्री भोगेन्द्र झा : मैंने अमरीका की मोशन पिकचर्ज एसोसियेशन के बारे में पूछा था। आप ने विदेशी मुद्रा के बारे में भी कुछ नही कहा।

अध्यक्ष महोदय : आप इतने अधिक प्रश्न पूछ लेते हैं कि वह भूल जाते हैं।

आप एक सीधा प्रश्न पूछा कीजिये। आप बहुत से प्रश्न पूछ लेते है कि जिनका वह उत्तर नही दे पाते।

श्री भोगेन्द्र झा : अब तो मैंने अमरीको की मोशन पिकचर्ज एसोसियेशन के बारे में पूछा है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इस के बारे में कुछ कहना चाहते हैं?

श्री धर्मवीर सिंह : इस के लिये मुझे अलग नोटिस की आवश्यकता है।

श्री भोगेन्द्र झा : इसका उल्लेख तो मूल प्रश्न में ही है। यह देखिये यहां इसका उल्लेख है।

श्री धर्मवीर सिंह : मूल प्रश्न तो पारस्परिकता के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने उसका उल्लेख अवश्य किया है परन्तु वह प्रश्न करार के बारे में है।

श्री भोगेन्द्र झा : मैंने यह प्रश्न पूछा है कि मैं हमें विदेशी मुद्रा के रुप में कितना रुपया खर्च करना पड़ता है और क्या हम वहां अपनी फिल्मों का निर्यात भी करते हैं? मैंने यही पूछा था।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसका उत्तर दे दिया है।

श्री धर्मवीर सिंह : मैं बाहर भेजी जाने वाली अधिकतम धनराशि के बारे में पहले ही बता चुका हूं। मैं उसका उत्तर दे चुका हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस नये करार के अंतर्गत हम अमरीका से प्रत्येक वर्ष कितनी फिल्मों का आयात करते हैं और इन फिल्मों का चयन करने की पद्धति क्या होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अमरीकी जनजीवन के कुछ ऐसे पहलू वाली फिल्मों को, जिनका हमारे देश की युवक वर्ग पर अच्छा प्रभाव न पड़ता हो, देश में न आने दिया जाए।

श्री धर्मवीर सिंह : करार के अन्तर्गत हम 100–150 फिल्मों का आयात प्रतिवर्ष कर सकते हैं। आयात की जाने वाली फिल्मों को एफ० एफ० सी० के माध्यम से मंगवाया जाता है जोकि यह चयन करते हैं कि किन फिल्मों का आयात किया जाये। इस के अतिरिक्त आयातित फिल्मों का भी सेंसर होता है और जिन फिल्मों को भारत में दर्शाना अच्छा नहीं समझा जाता उन्हें दर्शाया नहीं जाता।

श्री राम सहाय पांडे : मैं यह जानना चाहता हूं कि मोशन पिकचर्ज का निर्माण करने के संबंध में हमारा विश्व में क्या स्थान है? दूसरे वह देश कौन कौन से हैं जहां हमारी फिल्में लोकप्रिय हो रही हैं?

श्री धर्मवीर सिंह : इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये मुझे अलग नोटिस चाहिये।

Payment of Pension to Freedom Fighters

+

*225. **Shri Ram Bhagat Paswan :**
Shri Shankar Dayal Singh :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) total monthly and annual expenditure being incurred by Central Government on payment of pension to freedom fighters ;

(b) number of bogus pensioners that have come to the notice of Government so far, State-wise, and steps taken to detect other bogus pensioners ; and

(c) number of those, among the bogus polititcal pensioners, against whom legal action has been taken as also of those punished ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a), (b) & (c). A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. L.T. 1058/76].

Shri Ram Bhagat Paswan : It is a matter of appreciation that freedom fighters are getting pension but a good number of bogus freedom fighters who had never been to Jail are also getting pensions. Despite clear instructions from Government of India that those whose annual income is not more than 5 thousand rupees and had undergone 6 months imprisonment, should get pension but now all are getting pension. Those who have 20 acres or more of land and have property worth , lacs of rupees are getting pensions. I want to know from hon. Minister whether district-wise committees would be constituted to check that only genuine freedom-fighters may get pensions and those who are bogus freedom-fighters their pensions are stopped and the misuse of Government money is checked?

श्री एफ० एच० मोहसिन : यह कहना ठीक नहीं है कि काफ़ी अधिक जाली स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन मिल रही है। हमें इस सम्बन्ध में 3430 शिकायतें प्राप्त हुई थीं और हम ने 2604 मामलों में पेंशन देना निलम्बित कर दिया था। अब तक 21 जमा 46 मामलों

का निपटान किया जा चुका है और 126 मामलों में पैंशन देना पुनः आरम्भ कर दिया गया है। अभी 3437 मामले विचाराधीन पड़े हैं। जब कभी भी किसी जिम्मेदार व्यक्ति से हमें जाली स्वतंत्रता सेनानी होने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो हम वह शिकायत सम्बद्ध राज्य सरकार को जांच पड़ताल के लिए भेज देते हैं और राज्य सरकारों की अपनी समितियां होती हैं, वह जांच करती हैं तथा अपना प्रतिवेदन भेज देती है। यदि राज्य सरकार भी यही कहती है कि पैंशन पाने वाला व्यक्ति जाली स्वतंत्रता सेनानी है, तो पैंशन बन्द कर दी जाती है। कुछ मामलों में राज्य सरकारों द्वारा मुकदमे भी किये गये हैं परन्तु यह कहना सत्य नहीं है कि बहुत से स्वतंत्रता सेनानी जाली हैं। पैंशन पाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की संख्या लगभग 1,10,000 है और इसके बारे में केवल 3430 शकायतें ही प्राप्त हुई हैं और उनमें से बहुत सी शिकायतें सम्भवतः सच्ची भी न हों।

श्री पासवान ने सुझाव दिया है कि जिला स्तरीय समितियों का गठन किया जाये। हमारे जैसे बड़े देश के लिए ऐसा कर पाना सम्भव नहीं है। हम जांच के लिए शिकायत राज्य सरकार को भेज देते हैं और हम उसकी जांच पड़ताल के लिए राज्य सरकार पर ही निर्भर रहते हैं।

Shri Ram Bhagat Paswan : The procedure of verification as stated by the Minister is that of State level committee. Actually the verification is not done by State level committee. They send it to district and district sends it to B.D.O. who further sends the same to MUKHIA. 'Mukhia' gives his report in favour of freedom fighter and the same is received back through the same channel. In this way the facts do not come to light. I would request the hon. Minister that the enquiry should not be made through 'Mukhia' but it should be based on the Jail Certificate and at the same time I may submit that enquiry should be made by the high level officers so as to bring the truth to light and enable the genuine persons to get pension and stop the pension of Bogus persons.

श्री एफ० एच० मोहसिन : किसी भी स्वतंत्रता सेनानी को पैंशन तभी मिलती है जबकि वह ऐसा प्रमाणपत्र पेश करे कि उसे 6 मास जेल में रहना पड़ा था अथवा अपने जेल के किसी साथी से, जो संसद सदस्य, विधायक या भूतपूर्व संसद सदस्य या भूतपूर्व विधायक हो, इस बात का प्रमाण-पत्र पेश करे कि अमुक स्वतंत्रता सेनानी ने जेल में उसके साथ 6 मास काटे थे। जहां तक नकली स्वतंत्रता सेनानी सिद्ध होने का प्रश्न है तो पैंशन प्राप्त करने वाले लोगों के नामों का व्यापक रूप से प्रचार किया जाता है। हम ने राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया है कि वे इन सूचियों को प्रकाशित करें। जिला कलक्टरों को इन्हें प्रकाशित करना होता है। शायद अब कागज की कमी के कारण सूचियां प्रकाशित नहीं हुई लेकिन हम ने फिर अनुरोध किया है कि ऐसा किया जाये।

जहां तक श्री पासवान की शिकायत का प्रश्न है उन्होंने केवल एक विशेष मामले का जिक्र किया है। आप शायद उसके बारे में जानना चाहते हों।

अध्यक्ष महोदय : वह स्वयं पता लगायेंगे। आपको उत्तर देने की जरूरत नहीं।

Shri Shankar Dayal Singh : From the Statement which we have seen it is clear that there are 21 such names who are bogus and they have received pension in an illegal manner. But I may submit that as Jailors or guarantors are held responsible for any happening similarly these bogus persons must have obtained bogus Certificates in connivance with some politicians. So I want to know the action taken or proposed to be taken against such persons because they are more responsible for the state of affairs.

श्री एफ० एच० मोहसिन : मैंने बताया है कि 21 मामलों में पैंशन रोक दी गई है क्योंकि वे जाली थे। हम ने राज्य सरकारों से कहा है कि उनमें से 16 मामलों में मुकदमा चलाये जाने पर विचार किया जाये। 5 मामले केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं।

श्री शंकर दयाल सिंह : मैं नकली स्वतंत्रता सेनानियों की बात नहीं कर रहा, मैं तो जाली प्रमाणपत्रों की बात कर रहा हूं।

श्री एफ० एच० मोहसिन : यह जानना बहुत कठिन है कि प्रमाणपत्र जाली है या नहीं। संसद सदस्यों, विधायकों, भूतपूर्व संसद सदस्यों या भूतपूर्व विधायकों को जिम्मेदार व्यक्ति समझा जाता है। कुछ वर्तमान संसद सदस्यों ने भी प्रमाणपत्र दिये हैं। अतः यदि हम जांच कराना शुरू करें तो शायद सदस्य ही इसे अच्छा न समझें।

मैं आपको बता दूं कि आरम्भ में जब यह केन्द्रीय योजना लागू की गई थी तो केवल जेल प्रमाण-पत्र ही स्वीकार किये जाते थे। फिर हमें मालूम हुआ कि कुछ मामलों में जेल प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं हैं तब प्रधान मंत्री ने यह इच्छा व्यक्त की कि इस शर्त में थोड़ी ढ़ील देकर संसद सदस्यों, विधायकों, भूतपूर्व संसद् सदस्यों या भूतपूर्व विधायकों के प्रमाण-पत्र भी स्वीकार किये जायें। हमें इन प्रमाण-पत्रों पर भरोसा करना होता है क्योंकि सभी लोग बेईमान नहीं हैं।

जहां तक जाली स्वतंत्रता सेनानी का पता लगाये जाने की बात है तो उसकी जानकारी तो हमें जनता से ही मिलेगी। हम उनकी सूचना पर कार्यवाही कर सकते हैं।

Shri D. N. Tiwari : It is wrong to call bogus freedom fighters. At the most we can say that the bogus persons have obtained pensions.

May I know the number of cases which remain to be disposed off and the difficulties which come in their way. The cases in respect of certain persons have been pending for the last 2 to 4 years. May I know the action being taken for their early disposal?

श्री एफ० एच० मोहसिन : मैं आपको आंकड़े देता हूं। इस विषय में नियत तारीख अर्थात् 31–3–74 तक 1,94,272 आवेदन प्राप्त हुए थे तथा उसके बाद 43,610 आवेदन मिले। इस प्रकार कुल आवेदनों की संख्या 2,37,882 बैठती है। इनमें से 1,09,230 मामलों में पैंशन दी गई; 19908 रद्द किये गये, 48677 मिसल में लगाये गये हैं और 67 मामले निलम्बित पड़े हैं।

Shrimati Sahodrabai Rai : The persons who are criticising the freedom fighters were themselves not born at the time of British Rule. The hon'ble members is incorrect when he says that there are bogus freedom fighters and no pension should be given to them. During the freedom struggle some persons went to jail for 4 months others for 2 month or 1 month. They also served the nation. Their number is quite mall who remained in jail for six months. Sometimes people used to shift to some other village to escape arrest. But they were also freedom fighters and they must get pension. This limit of six months is wrong. The People who remained in jails for less than six months should also be categorised as freedom fighters. A freedom fighter has to obtain a form from the jail and after filling up the same has to be given back to the authorities. Then the collector or the State Government starts the enquiry. The whole process consumes much time. May I know the steps being taken by the Government for early payment of the amount of pensions?

श्री एफ० एच० मोहसिन : हम उन लोगों को भी पैंशन दे रहे हैं जिन्हें सजा में एक मास की छूट मिल गई थी और उन्होंने केवल 5 महीने ही जेल में काटे। यदि किसी के खिलाफ़ गिरफ्तारी का वारंट निकला था लेकिन वह भूगत हो गया या जेल जाने से बच गया तो उसे भी पैंशन मिलेगी परन्तु शर्त यह है कि वह छः मास से अधिक भूगत रहे हों।

Shri B. S. Bhaura : The Minister has stated that Committees have been formed at State level to enquire into these Cases. These Committees Say that there is nothing they can do against the persons who got bogus Certificates. We have also come to know that some criminals also got pension by getting bogus Certificates. May I know whether any body was sent to find out the true list of freedom fighters. These Certificates were given by the State Governments and they would try to defend their actions. May I know whether he is aware that certain persons gave Certificates ranging from one hundred to two hundred.? if so, the action taken against such persons ?

श्री एफ० एच० मोहसिन : हम संसद् सदस्यों, विधायकों और अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं पर निर्भर करते हैं कि वे ऐसे मामले हमारी जानकारी में लायें। पंजाब सरकार ने एक समिति गठित की है जो ऐसे व्यक्तियों का पता लगायेगी जिन्हें पैंशन मिलेगी या जो स्वतंत्रता सेनानी नहीं हैं लेकिन पैंशन ले रहे हैं। कछार जिले तथा अन्य स्थानों से भी शिकायतें मिली हैं। इसलिए आसाम में भी एक समिति गठित की गई है। मेरा राज्य सरकारों से अनुरोध है कि आवश्यकतानुसार वे ऐसी समितियां गठित करें।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

श्री भोगेन्द्र झा : प्रश्न का जवाब बहुत ही दोषपूर्ण ढंग से दिया गया है। इसलिए और प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाये।

Mr. Speaker : I have called for next question.

अनुसन्धान और विकास हेतु धन जुटाने के लिये लेवी

†

***226. श्री समर मुखर्जी :**

श्री धामनकर :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास अनुसंधान और विकास हेतु धन जुटाने के लिए उद्योगों की कुल बिक्री अथवा लाभों पर कुछ प्रतिशत लेवी लगाने के कुछ प्रस्ताव हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी हां, उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 की व्यवस्थाओं के अधीन, अनुसंधान एवं विकास हेतु धन जुटाने के लिए, सरकार उद्योगों पर लेवी लगाने का विचार कर रही है।

(ख) इस योजना का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है और इस सम्बन्ध में शीघ्र ही आवश्यक कानून बनाने के लिए संसद में विधेयक रखा जायेगा।

श्री समर मुखर्जी : कुछ सप्ताह पूर्व समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ था कि पटसन उद्योग के बारे में अनुसंधान और विकास कार्य के लिए इस उद्योग पर कुछ लेवी लगाई गई है। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा किन-किन उद्योगों के सम्बन्ध में किया गया है और किस प्रकार का अनुसंधान एवं विकास कार्य चल रहा है ? क्या उद्योग के कार्य में विभिन्नता लाने का प्रस्ताव है या लागत घटाने या अधिक मजदूरों को काम पर लगाने या कृषि वस्तुओं के मूल्य घटाने पर विचार हो रहा है क्योंकि यह उद्योग गम्भीर रूप से संकटग्रस्त है। इन सभी क्षेत्रों में अनुसंधान किया जा सकता है।

और इससे श्रमिको के रोजगार पर असर पड़ेगा और पड़ रहा है। मंत्री जी इस बारे में कुछ प्रकाश डालें।

श्री आई० के० गुजराल : महोदय, अनुसंधान और विकास संगठन का उद्देश्य देश में अनुसंधान और विकास के आधार को विकसित करना है ताकि अधिक निवेश किया जा सके। निजी क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए बहुत कम धन रखा जाता है इसलिये हम कानून द्वारा इसे अनिवार्य करने की सोच रहे हैं। हमारा अभिप्राय यह कदापि नहीं है कि इससे बेरोजगारी में वृद्धि हो। जहां तक पटसन उद्योग का सम्बन्ध है इस उद्योग की भी अन्य उद्योगों की तरह अपनी समस्याएं हैं। यहां पर भी जो धन रखा जाता है उसका उपयोग अनुसंधान और विकास कार्यों के लिए किया जाता है। लेकिन हम श्रमिकों को कम करने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहे क्योंकि हम बेरोजगारी में वृद्धि नहीं चाहते।

श्री समर मुखर्जी : पटसन के अतिरिक्त भी क्या कोई उद्योग ऐसा है जहां लेवी लगाई गयी है? इस समय देश में 300 एकक हैं जिन्हें अनुसंधान और विकास कार्य के लिए पंजीकृत किया गया है। इस कार्य के लिए छूट और प्रोत्साहन दोनों दिये जाते हैं जैसे आय-कर से छूट है और अनुसंधान तथा विकास में लगायी गई पूंजी पर शतप्रतिशत छूट दी जाती है। निःशुल्क आयात लाइसेंस भी दिये जाते हैं।

श्री रामनकर : महोदय यह अधिनियम 1951 में पास किया गया था और स्वयं मंत्री जी के कथनानसार अभी तक अनुसंधान और विकास के लिये कोई योजना तैयार नहीं हुई। अब ऐसी योजना बनने में कितना समय लगेगा और अनुसंधान तथा विकास के साथ-साथ क्या तकनीशियनों और श्रमिकों के प्रशिक्षण कार्य को भी योजना में शामिल किया जायेगा।

श्री आई० के० गुजराल : महोदय यह बहुत व्यापक अधिनियम है। अनुसंधान और विकास के अतिरिक्त भी कई बातों पर इसमें विचार किया गया है। इस समय जरूरत इस बात की है कि पटसन उद्योग में अनुसंधान तथा विकास कार्य में अधिक धन लगाने की व्यवस्था की जाये। क्योंकि गैर-सरकारी क्षेत्र में निवेश की राशि का 1/2 प्रतिशत भी अनुसंधान और विकास कार्यों में नहीं लगाया जाता। जबकि विकसित देशों में निवेश की 5 या 6 प्रतिशत राशि अनुसंधान और विकास कार्यों में लगाई जाती है। अपनी अर्थ-व्यवस्था को आत्म-निर्भर बनाने के लिए हमें भी अधिक धन लगाने की जरूरत है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या मंत्री जी का ध्यान हाल ही में प्रकाशित समाचारों की ओर आकर्षित किया गया है जिनमें कहा गया है कि पटसन उद्योग पर लगाये गये उपकर को मिल-मालिक उपभोक्ताओं पर लाद देना चाहते हैं? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि मिल-मालिक इस उपकर को अपने लाभ ही में खपा लेंगे अथवा उसे मूल्य बढ़ाकर उपभोक्ताओं पर लाद दिया जायेगा?

श्री आई० के० गुजराल : मेरे मित्र ने बहुत संगत प्रश्न किया है। मैं निश्चित रूप से इस बारे में देखूंगा। जहां तक पटसन का सम्बन्ध है, यह बात मेरे ध्यान में नहीं आई है। मैं इस पर जरूर गौर करूंगा।

श्री बी० वी० नायक : मेरा विचार है कि इस उपकर का सम्बन्ध अकेले पटसन उद्योग से न होकर लगभग सभी उद्योगों से है। क्या मैं जान सकता हूं कि उपकर से एकत्रित राशि का एक कोष बना कर उसे औद्योगिक उन्नति में लगाया जायेगा ? (शायद पटसन या कपड़ा उद्योग को बढने वाले उद्योगों में न गिना जाये यद्यपि उन्हें भी लिया जाना चाहिए)। क्या योजना आयोग अथवा सम्बन्धित मंत्रालय खाद्य, रेफ्रीजेरेशन या मछली पालन जैसे उद्योगों की ओर ध्यान देंगे, क्योंकि उनमें वृद्धि की काफ़ी गुंजाइश है ताकि खर्च किये गये धन का अधिकतम लाभ उठाया जा सके ?

श्री आई० के० गुजराल : अभी इसका ब्यौरा तैयार नहीं हो पाया है ।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु क्या विधान में उपकर की व्यवस्था की गई है ?

श्री आई० के० गुजराल : अभी तो मैं इस सम्बन्ध में केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जब हम अनुसंधान तथा विकास उपकर का उपयोग करना चाहते हैं, तो हमें अपना समायोजन राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर ही करना पड़ेगा। हमें अपनी योजना में तथा विशेष रूप से विज्ञान तथा तकनीक के क्षेत्र में इसे प्राथमिकता देनी होगी। हमें आशा है कि उस आधारपर हम इसका उपयोग करने में सफल होगे। यह स्वाभाविक ही है कि जो पिछड़े क्षेत्र हैं, जिनके लिए अधिक साधन अपेक्षित हैं, उनकी ओर अधिक ध्यान दिया जाये ।

केरल में अट्टापडी और वायनाद का विकास

*227. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर** : क्या योजना मंत्री केरल में अट्टापडी और वायनाद के विकास के बारे में 19 मार्च, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3956 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि योजनाओं की वर्तमान अवस्था क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : अट्टापडी के विकास के लिए राज्य सरकार ने दो स्कीमें, अर्थात् एक डेरी फार्म की "स्थापना" और "एक सहकारी फार्म की व्यवस्था" प्रस्तावित की थी। दोनों अनुमोदित की जा चुकी हैं और पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम में सम्मिलित की गई हैं; इस कार्यक्रम को राज्य सरकार इस समय कार्यान्वित कर रही है ।

राज्य सरकार ने वायनाद में सहकारी फार्म खोलने का अपना पहला प्रस्ताव छोड़ दिया है । उन्होंने अब इलायची की खेती के लिए सहकारी समितियों की व्यवस्था का प्रस्ताव किया है । इलायची बोर्ड के परामर्श से इस स्कीम की जांच की जा रही है ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वायनाद क्षेत्र में डेरी फार्म की स्थापना करने की योजना को क्रियान्वित कर दिया गया है और यदि नहीं तो इसे कब तक क्रियान्वित कर दिया जायेगा ।

श्री आई० के० गुजराल : योजना के अन्तर्गत दो स्कीमें, अर्थात् एक डेरी फार्म की स्थापना तथा एक सहकारी फार्म की व्यवस्था प्रस्तावित थी. परन्तु फार्म की स्कीम को छोड़ दिया गया है।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : क्या इलायची की खेती के लिए सहकारी फार्म की व्यवस्था सम्बन्धी प्रस्ताव अन्तिम चरण में पहुंच गया है और क्या इसका कार्य आरम्भ हो गया है और यदि नहीं तो कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

श्री आई० के० गुजराल : जहां तक अपन्तम चरण का प्रश्न है, अभी तो इसको सैद्धान्तिक रूप में मंजूरी दी गई है और इलायची बोर्ड के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है । उनका प्रतिवेदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है । हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

फिल्म डिवीजन द्वारा फिल्म प्रोसेसिंग प्रयोगशालाओं की स्थापना

*228. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म डिवीजन के पास फिल्मों के प्रोसेसिंग के लिये प्रयोगशालाएं नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसी प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क), (ख) और (ग) फिल्मों के विधायन के लिए फिल्म प्रभाग की इस समय अपनी कोई प्रयोगशाला नहीं है । तथापि, पांचवीं योजना स्कीम के रूप में एक प्रयोगशाला स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है । इसके लिए आवश्यक उपकरणों का आयात किया जा चुका है ।

श्री अर्जुन सेठी : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जिस एकक की स्थापना करने का विचार है उस पर कितना खर्च होने का अनुमान है जिसके लिए कि विदेशों से उपकरणों का आयात किया जा चुका है ? क्या फिल्म प्रभाग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह एकक पर्याप्त होगी ?

श्री धर्मवीर सिंह : 5 लाख मूल्य के खर्च की विदेशी मुद्रा सहित इस पर 16 लाख रुपये की धनराशि खर्च होने का अनुमान है । यह एकक दिल्ली में स्थापित की जायेगी और हमें आशा है कि दिल्ली में फिल्म प्रभाग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह पर्याप्त होगी ।

श्री अर्जुन सेठी : लोक लेखा समिति ने अपने 182वें प्रतिवेदन में कहा है कि 1969–70 से 1973–74 तक के काल में फिल्म प्रभाग द्वारा निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं को प्रोसेसिंग के लिए 7.55 करोड़ रुपये दिये परन्तु फिर भी निजी क्षेत्र का कार्यक्रम अवांछनीय स्तर का नहीं था । अतः मैं इस सम्बन्ध में यह जानना चाहता हूं कि सरकार द्वारा इस कार्य के सम्बद्ध कर्मचारियों को सजा देने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाये गये हैं ?

श्री धर्मवीर सिंह : सरकार ने लोक लेखा समिति की टिप्पणी की ओर ध्यान दिया है । सदस्य महोदय ने समग्र आंकड़े प्रस्तुत किये हैं । फिल्मों की प्रोसेसिंग के लिए वर्ष 1973–74 के अद्यतन आंकड़े 35.16 लाख रुपये हैं।

श्री बयालार रवि : फिल्म प्रभाग द्वारा देश के विभिन्न जोन्ज में सभी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में का सराहनीय कार्य किया जा रहा है । लेखे से मालूम होता है कि फिल्मों के प्रोसेसिंग

पर काफी धनराशि खर्च की जा रही है । गैर-सरकारी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं पर निर्भर रहने की अपेक्षा सरकार दिल्ली की तरह ही विभिन्न जोन्ज में प्रयोगशालायें स्थापित क्यों नहीं करती ताकि फिल्मों का वितरण शीघ्रता से किया जा सके और धनराशि भी बचाई जा सके ?

श्री धर्मवीर सिंह : एक प्रयोगशाला की स्थापना पर 10 लाख रुपये की पूंजी लागत आती है जिसमें से 5 लाख रुपये विदेशी मुद्रा में चले जाते हैं। फिल्म प्रभाग द्वारा लगभग कुल 35 लाख रुपये खर्च किये जाते हैं। यदि हम सम्पूर्ण देश में प्रयोगशालायें स्थापित कर दें तो उन्हें देने के लिए प्रयाप्त काम हमारे पास नहीं होगा ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त द्वारा भूमिहीनों में भूमि आवंटन के लिये बनाये गये मार्गदर्शी सिद्धान्त

***231. श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :**

श्री सरोज मुकर्जी :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जतियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने भूमिहीनों में भूमि के आवंटन के लिये कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री कृष्ण चन्द्र हालदर : हालांकि मंत्री महोदय का उत्तर नकारात्मक है, फिर भी मैं मंत्री महोदय का ध्यान 22 फरवरी की अमृत बाजार पत्रिका में 22 फरवरी को प्रकाशित समाचार की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आयुक्त ने भूमिहीनों में भूमि के आवंटन के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों की सिफारिश की है । मैं यह जाना चाहता हूं कि भूमिहीन को भूमि बांटने का मानदंड क्या है और क्या सरकार ने मुख्य-मंत्रियों को कोई परिपत्र जारी किया जिसमें कहा गया है कि वे राज्यों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को भूमि बांटने में शीघ्रता करें ? सरकार ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की है । मैं यह जानना चाहता हूं कि अभी तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को कुल कितनी भूमि बांटी गई ?

श्री ओम मेहता : अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त राज्यों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी नहीं करता बल्कि वह अपने प्रतिवेदन में सरकार को कुछ सिफारिश करता है और हम ये सिफारिश राज्य सरकारों को क्रियान्वयन हेतु भेज देते हैं। हमारे पास कुछ राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धान्त हैं , जिनमें कहा गया है कि अतिरिक्त भूमि के वितरण के समय भूमिहीन कृषि मजदूरों और विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियो के भमिहीनों को प्राथमिकता दी जानी

चाहिए । अन्तिरम सूचना के अनुसार अनुसूचित जातियों को 3,03,269 एकड़ तथा अनुसूचित जनजातियों को 1,92,918 एकड़ भूमि आवंटित की गई है ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोग काफी गरीब होते हैं। इन लोगों को वितरित भूमि की जुताई करने तथा भूमि का उपयोग करने के लिए क्या वित्तीय सहायता दी गई है ?

श्री ओम मेहता : प्रश्न भूमि वितरण के बारे में है । जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, भूमि के विकास के लिए कई ऋण संस्थाएं हैं। वे इन संस्थाओं से धन ले सकते हैं।

Shri B. S. Bhoura : The hon. Minister has stated that the Commissioner does not issue guidelines and he does not have such power. I would like to know whether the Government propose to confer upon him the power since State Government does not care for the recommenendations made by him.

Secondly, whether hon. Minister is sure that the persons who have been allotted lands have got the possession or not ? In fact, land has been allotted only on papers but not in actual practice. May I know what action has been taken by the Government to acquire land first and then distribute it among the land less ? It has been brought to my notice that the land has been allotted only in papers and not in actual practice.

Shri Om Mehta : So far as the first question is concerned, as the hom. Members know, the Commissioner is appointed under the Constitution. His Report is submitted to the House as well as to the Government. Those recommendations, which are meant for implementation are sent to States for implementation and they act upon these recommendations.

Mr. Speaker : There is a committee of the House also.

Shri Om Mehta : Yes, there is a Committee of the House which finds out whether the recommendations are being implemented or not.

So far as the allotment of land is concerned, it is not true that it is on papers only. At several places land has been allotted to tillers. If we receive any Complaint, it is referred to the State Government to see whether actual allotment has been made or not.

श्री सरोज मुखर्जी : प्रधान मंत्री तथा अन्य मंत्रियों के भाषणों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को लाभ पहुंचाने तथा मकान के लिए जगह देने पर बल दिया गया है । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे यह तो चलाया जा सके कि लोगों को वास्तव में जगह मिले, मात्र कागज में नहीं । यदि कोई ऐसी व्यवस्था की गई, तो इसका क्या परिणाम निकला है ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री ओम मेहता : प्रश्न किसानों को भूमि देने के बारे में है, न कि मकानों के लिए जगह देने के बारे में। फिर भी निर्माण और आवास मंत्रालय इस बात का पता लगा रहा है कि मकान बनाने के लिए कितने प्लाट दिए गए हैं और स्थिति क्या है । इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि पता लगाने वाली कोई एजेन्सी नहीं है ।

संकटग्रस्त कपड़ा मिलों के लिये जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य (जी० डी० आर०) से मशीनें

+

*232. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**

श्री एस० आर० दामाणी :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य (जी० डी० आर०) से संकट ग्रस्त कपड़ा मिलों के लिये मशीन सप्लाई करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ।

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख). जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य से रुग्ण कपड़ा मिलों को मशीनों की सप्लाई करने का कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं किया गया है। जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य के उप प्रधान मंत्री जिन्होंने हाल ही में भारत का दौरा किया था तथा उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री के बीच विचार विमर्श के दौरान संयोगवश यह उल्लेख किया गया था कि यदि जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य उपकरण की सप्लाई कर सकें जिनका रुग्ण मिलों के आधुनिकोकरण के लिए आयात करना पड़ सकता है तो जी०डी० आर० से आयात की गई मशीनों का इस्तेमाल करने वाली मिल जी०डी० आर० को उतने ही मूल्य के कपड़े देंगी, यह बातचीत समन्वेषज जांच के रूप में थी।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मन्त्री महोदय ने बताया है कि जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य के उप प्रधान मन्त्री से सरकार ने जानकारी हासिल करने के लिए कुछ बातचीत की थी। मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रकार की बातचीत केवल कपड़ा उद्योग के सम्बन्ध में की गई है या इस्पात तथा अन्य उद्योगों के उत्पादन के बारें में भी कुछ समझौता हुआ है ? क्या इनके आधुनिकीकरण के लिये भी जर्मन लोक- तन्त्रात्मक गणराज्य मशीनें देगा और निर्मित माल उसे भेजा जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस प्रश्न में अन्य उद्योगों को भी शामिल न कीजिए। अपना प्रश्न कपड़ा उद्योग तक ही सीमित रखिये।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य के उपप्रधानमन्त्री के साथ हुई बातचीत के बारे में ही मैंने प्रश्न किया है। मन्त्री जी ने अपने उत्तर में ही यह बात बताई है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं आप बहुत अधिक पूछताछ कर रहे हैं।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मन्त्री जी चाहें तो निर्मित उत्तर दे सकते हैं।

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई): भारत के पास प्रतिवर्ष 120 करोड़ रुपये मूल्य की कपड़े की मशीनें बनाने की क्षमता है। हम 75 करोड़ पये के 100 करोड़ रुपये मूल्य तक ही बनाते हैं क्योंकि इससे अधिक मांग नहीं है। जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य भी कपड़ा बनाने की मशीनें तैयार करता है। एक प्रस्ताव उनके आगे रखा गया था कि आप कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण में

योगदान दे सकते हैं यदि आप से हम इन मिलों के लिए मशीनरी ले लें और बदले में आप उन मिलों में बने कपड़े को लेने के लिए तैयार हो जायें।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या यह सच है कि भारत-जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य संयुक्त आयोग की अगली बैठक में इन प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा और यदि हां, तो यह बैठक कब होगी और क्या सरकार के पास कोई ठोस प्रस्ताव है ?

श्री टी० ए० पाई : हम दोनों देशों के बीच उत्पादों के आदान-प्रदान और सहयोग के क्षेत्र की सम्भावनाओं का पता लगा रहे हैं। मेरा विचार है कि संयुक्त आयोग की अगली बैठक अक्तूबर-नवम्बर में किसी समय होगी।

तमिलनाडु बिजली बोर्ड की वित्तीय स्थिति

*234. **श्री एम० कतामुतु** : क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु बिजली बोर्ड की वित्तीय स्थिति खराब है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या तमिलनाडु राज्य को केरल से बिजली प्राप्त हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो केरल प्रतिमास कितनी मात्रा में और किस दर पर बिजली सप्लाई कर रहा है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ) विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) 1972–73 और 1973–74 के जो लेखा-परीक्षित आंकड़े उपलब्ध हैं उनके अनुसार, तमिलनाडु राज्य बिजली बोर्ड सरकार से भारी आर्थिक सहायता का दावा करने के बाद अपने सभी खर्चों और विनियोजकों को पूरा कर सका है और सरकारी ऋणों पर ब्याज दे सका है।

1974–75 और 1975–76 के लेखों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। इन वर्षों में यह बोर्ड अपने सभी खर्चों को अपने राजस्व से पूरा नहीं कर पाएगा।

(ग) जी, हां।

(घ) जून, 1975 से फरवरी, 1976 तक, केरल द्वारा तमिलनाडु को सप्लाई की गई ऊर्जा की मासिक मात्रा नीचे दी गई है :—

मास	तमिलनाडु को सप्लाई की गई ऊर्जा (मिलियन यूनिट)
जून, 1975	20.8
जुलाई, 1975	13.2
अगस्त, 1975	10.3

मास	तमिलनाडु को सप्लाई की गई ऊर्जा (मिलियन यूनिट)
सितम्बर, 1975	9.8
अक्तूबर, 1975	12.3
नवम्बर, 1975	22.7
दिसम्बर, 1975	61.2
जनवरी, 1976	93.7
फरवरी, 1976	9.8
14 मार्च तक	5.3
कुल	259.1

12 फरवरी, 1976 तक ऊर्जा 9.5 पैसे प्रति यूनिट की दर से और उसके बाद 12.5 पैसे प्रति यूनिट की दर से सप्लाई की गई थी।

श्री एम० कतामुतु : मन्त्री जी ने वक्तव्य में बताया है कि तमिलनाडु राज्य बिजली बोर्ड सरकार से भारी आर्थिक सहायता का दावा करने और सहायता प्राप्त करने के पश्चात् अपने सभी खर्चों और विनियोगों को पूरा कर सका है। लेकिन उसे हानि होने के कारण नहीं बताये गये हैं। सरकारी सहायता की राशि कितनी है और क्या विचार कर यह सहायता प्रदान की गई है ?

प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद : तमिलनाडु राज्य बिजली बोर्ड के वर्ष 1973–74 के लेखा परीक्षत आंकड़ों को ही अन्तिम रूप दिया जा सका है। उसी आधार पर 1974–75 और 1975–76 के आंकड़े अभी अस्थायी हैं। वर्ष 1972–73 और 1973–74 के कुल राजस्व, कुल व्यय और वास्तविक स्थिति इस प्रकार है कि 1972–73 में 221 लाख रुपये और 1973–74 में 411 लाख रुपयों का लाभ हुआ था। वर्ष 1972 में 14.01 करोड़ रुपये 1973–74 में 22.77 करोड़ रुपये की सरकारी सहायता देने पर यह स्थिति रही थी। इस स्थिति की जानकारी राज्य सरकार से प्राप्त हुई है।

श्री एम० कतामुतु : क्या सरकार को पता है कि तमिलनाडु राज्य बिजली बोर्ड ने अपनी कठिन वित्तीय स्थिति के बावजूद धारंगधर कैमिकल्स से ली जाने वाली 35 लाख रुपये की भारी राशि बट्टे-खाते डाल दी है ?

प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद : हमें इसकी जानकारी नहीं।

श्री एम० कतामुतु : मेरा मन्त्री जी से अनुरोध है कि वह इसकी जांच करायें।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : क्या मन्त्री जी का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि तमिलनाडु में बिजली की भारी मात्रा में चोरी की जाती है। बिजली बोर्ड, राज्य सरकार और द्रमुक को समर्थन देने वाले कुछ प्रमुख उद्योगपति आपस में सांठगांठ किये हुए हैं। इसी कारण बोर्ड को इतना घाटा हो रहा है। क्या सरकार समूचे लेखा परीक्षित प्रतिवेदन को दोबारा जांच कराने पर विचार करेगी ?

प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद : मुझे ऐसी जानकारी आप से ही मिली है। मैं इस पर अवश्य ध्यान दूंगा।

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा ब्रांड नामों का प्रयोग

*236. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा ऐसे कुछ अन्तर्राष्ट्रीय ब्रांड नामों का प्रयोग किया जा रहा है जो भारत में इस आधार पर पंजीकृत हुए हैं कि उनके प्रयोग पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई रायल्टी अदा नहीं की जायेगी;

(ख) क्या अन्तर्राष्ट्रीय ब्रांड नाम के ऐसे पंजीकरण से, विशेषकर आम खपत की आवश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में, इन नामों का प्रयोग करने वाली विदेशी सहायक-कम्पनियों को अनुचित विपणन लाभ मिलता है जिसके फलस्वरूप उनको अत्यधिक आय होती है और फलतः विदेशों को अधिक लाभ राशि भेजी जाती है; और

(ग) इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी हां।

(ख) व (ग) अन्तर्राष्ट्रीय ब्रांड नामों के पंजीकरण से ही विदेशी सहायक कम्पनियों को अनुचित विपणन लाभ नहीं मिल जाता है। देश के भीतर ऐसे ब्रांड नामों को उपभोक्ताओं की मान्यता बढ़िया किस्म की वस्तुओं की सप्लाई और बिक्री बढ़ाने के प्रयत्नों से ही प्राप्त करनी पड़ती है। सरकार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा बराबर सुनिश्चित करती रहेगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हिन्दुस्तान लीवर द्वारा बनायी जाने वाली वस्तुएं ऐसी नहीं हैं जिनके लिये तकनीकी जानकारी देश में उपलब्ध न हो। तेल, साबुन जैसी आम उपभोक्ता वस्तुएं देश में ही बनायी जा सकती हैं। मैं जानना चाहता हूं कि किन कारणों से विदेशी कम्पनियों को कुछ अन्तर्राष्ट्रीय ब्रांड नामों को पंजीकृत कराने की अनुमति दी गई है जबकि उनके प्रयोग पर कोई रायल्टी नहीं दी जायेगी और ये देशी उद्योगों की उन्नति में सहायक होने के स्थान पर क्या उन्हें हानि नहीं पहुंचा रही हैं।

श्री ए० सी० जार्ज : प्रश्न ब्रांड नामों के बारे में है। मेरा ख्याल था कि माननीय सदस्य सहयोग और तकनीकी सहायता के बारे में पूछ रहे हैं। ये ब्रांड नाम 1958 में पंजीकृत किये गये थे। उस समय उन पर कोई प्रतिबन्ध न था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मन्त्री जी ने कहा है कि इन ब्रांड नामों में जनता का विश्वास पैदा करने के लिए बढ़िया माल और विक्रय संवर्धन उपायों की आवश्यकता होती है यह बात हर बिक्री योग्य चीज के बारे में कही जा सकती है। प्रश्न यह था कि क्या अन्तर्राष्ट्रीय ब्रांड नाम के ऐसे पंजीकरण से इन नामों का प्रयोग करने वाली विदेशी सहायक कम्पनियों को अनुचित लाभ मिलता है ?

श्री ए० सी० जार्ज : हिन्दुस्तान लीवर द्वारा प्रयोग किये जाने वाले कुल 27 ब्रांड नाम हैं जिनमें से कुछ ये हैं, पियर्स, रेक्सोना, इरास्मिक, सिग्नल, विम इत्यादि। पूर्व प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा था कि केवल ब्रांड नाम के कारण ही किसी वस्तु को उपभोक्ता स्वीकार नहीं कर लेता। बढ़िया माल से ही उपभोक्ता में विश्वास पैदा होता है और विक्रय संवर्धन उपायों से वस्तु को स्वीकार कराने में सहायता मिलती है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरा प्रश्न यह है कि क्या ब्रांड नामों का प्रयोग करने वालों को उसी प्रकार का सामान तैयार करने वाले अन्य निर्माताओं की तुलना में अनुचित लाभ नहीं मिलता।

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि 'नहीं'।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : लेकिन क्या आप इस उत्तर से सन्तुष्ट हैं ? क्या देशी उद्योगों को इस प्रकार बढ़ावा मिल सकेगा ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : सरकार की वर्तमान नीति यह है कि रायल्टी के आधार पर किसी नये ब्रांड नाम को चालू करने की अनुमति न दी जाये। हिन्दुस्तान लीवर 35 व्यापार चिन्हों का प्रयोग करता है जो यूनीलीवर लिमिटेड के हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : राज्य मंत्री जी ने 27 कहे हैं।

श्री टी० ए० पाई० : इन 35 में से प्रयोग केवल 23 व्यापार चिह्नों का होता है बाकी तो केवल पंजीकृत हैं। यूनीलीवर के इन व्यापार चिह्नों के हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड केवल पंजीकृत प्रयोक्ता है और भारत में केवल 10 व्यापार चिह्न ही लोकप्रिय हैं। उदाहरण के लिए हिन्दुस्तान लीवर के लक्स साबुन के मुकाबले में टीमकोज, स्वास्तिक या गोदरेज कम्पनियों के साबुन हैं और वे भी लक्स जितने ही लोकप्रिय हैं। इस तरह लक्स सारे बाजार पर काबू नहीं पा सका है। जहां तक नये उत्पादों का प्रश्न है निःसन्देह भविष्य में हम ध्यान रखेंगे कि विदेशी ब्रांड नामों को लागू न होने दिया जाये। मैं माननीय सदस्यों को यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि डालडा, अमुल, गोदरेज, ऊषा, 501, पोस्टमेन, पारले आदि हमारे ब्रांड नाम भी विदेशों में पंजीकृत हैं। हमारे उत्पाद भी विदेशों में लोकप्रिय हो रहे हैं अतः जो आपत्ति सदस्य महोदय ने उठाई है वह हमारे उत्पादों के बारे में भी उठाई जा सकती है। अतः हम बहुत सोच-समझ कर चल रहे हैं।

मत्स्य नौकाओं का निर्माण

*237. **श्री बरके जार्ज :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आजकल मत्स्य नौकाओं की कुल कितनी मांग है;

(ख) उनका कितने प्रतिशत आयात होता है;

(ग) क्या सरकार ने देश की आवश्यकता को पूरी तरह पूरा करने के लिए इन नौकाओं का देश में ही निर्माण करने की कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए,० सी० जार्ज) : (क) पांचवीं योजना के लिए कुल 200 मछली पकड़ने की नौकाओं का अनुमान लगाया गया है।

(ख) 14 नौकाएं पहले ही आयात की जा चुकी हैं। मेकसिकन शिपयार्ड द्वारा 30 नौकाएं सप्लाई किये जाने के बारे में एक सविदा पर अंतिम निर्णय ले लिया गया है और सितम्बर/अक्तूबर 1976 के लगभग उनकी डिलीवरी प्रारम्भ होने की आशा है

(ग) और (घ). मेक्सिकन शिपयार्ड के साथ एक करार के माध्यम से सरकार उपयुक्त डिजाइन डाकूमेंटेशन प्राप्त कर सकेगी जिसका इस्तेमाल देशी निर्माण के विकास में किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, सरकारी क्षेत्र का एक शिपयार्ड भी उनके द्वारा सप्लाई की गई डिजाइन के आधार पर नौकाओं का निर्माण कर रहा है।

श्री वरके जार्ज : मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि सरकारी क्षेत्र का एक शिपयार्ड भी उनके द्वारा सप्लाई की गई डिजाइन के आधार पर नौकाओं का निर्माण कर रहा है। क्या मैं जान सकता हूं कि उस शिपयार्ड का नाम बताये जाने पर कोई आपत्ति है, उसने नौकाएं बनाने में कितनी प्रगति कर ली है और ये नौकाएं कब तक उपयोग में लाई जा सकेंगी?

श्री ए० सी० जार्ज : मजगांव डाक बम्बई मछली पकड़ने वाली नौकाएं बनाने की स्थिति में है और वहां की बनी नौकाएं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की होती हैं।

श्री वरके जार्ज : मंत्री जी ने यह भी कहा है कि मेक्सिकन शिपयार्ड से सरकार उपयुक्त डिजाइन डाक्यूमेंटेशन प्राप्त कर सकेगी जिसका उपयोग देशी निर्माण के विकास में किया जा सकेगा। क्या सरकार ने निर्णय ले लिया है कि अमुक शिपयार्ड इस कार्य को करेगा। जैसा कि सर्व-विदित है कि मछली और मछली से तैयार उत्पादों का सर्वाधिक निर्यात कोचीन बन्दरगाह से होता है। केरल का समुद्र तट भी बहुत लम्बा है और वहां मछली पकड़ने के लिए भी विशाल क्षेत्र है। इसलिए यदि सरकार ने किसी विशेष शिपयार्ड के सम्बन्ध में निर्णय नहीं लिया है तो क्या कोचीन शिपयार्ड को मैक्सिकन जानकारी से नौकाएं बनाने का काम सौंपा जायेगा?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : हम नहीं चाहते कि विभिन्न प्रकार की नौकाएं बनायी जायें इसीलिए एक ही प्रकार का डिजाइन तैयार करने की सोची गई है। कृषि मंत्रालय सभी पहलुओं पर विचार करके इस नतीजे पर पहुंचा है कि मैक्सिकन डिजाइन ही सबसे अच्छा रहेगा। हम उसे ही अपना रहे हैं। मैं यह भी बता दू कि केरल मछली पालन निगम को 25 नौकाएं प्रति वर्ष और तमिलनाडु औद्योगिक निगम की 16 नौकाएं प्रति वर्ष तैयार करने की योजनाओं ने विशेष प्रगति नहीं की है। यदि वे उत्पादन शुरू कर दें तो मुझे प्रसन्नता होगी।

श्री के० गोपाल : मंत्री जी ने कहा है कि सरकारी क्षेत्र में केवल एक शिपयार्ड ये नौकाएं बनायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि यदि कोई निर्माता देश में ही नौकाएंतैयार करने के लिए सामने आये तो क्या सरकार उसे प्रोत्साहित करेगी?

श्री टी० ए० पाई : देश में ऐसी 14 फर्में हैं जो विभिन्न प्रकार के समुद्री वाहन तैयार करती हैं। जहां तक मछली पकड़ने की नौकाएं बनाने का प्रश्न है तो ये कार्य मजगांव डॉक, जी० आर डब्ल्यू, चोगले, हिन्दुस्तान शिपयार्ड और यदि लाइसेंस मिल गया तो मैसर्स मुकंद को सौंपा जायेगा। एक आवेदन लम्बित है। यदि कोई देशी डिजाइन की नौकाएं बनाने का इच्छुक हो तो मेरे विचार से उस पर कोई रोक नहीं है बल्कि उसे प्रोत्साहित किया जायेगा। उसे जो भी सहायता की जरूरत होगी, हम प्रदान करेंगे।

श्री एम० संजीवी राव : कुछ समय पहले पोलैंड की सरकार ने डिजाइन तयार करने और कुछ तकनीशियनों को नौकाएं बनाने के काम में प्रशिक्षण देने की बात कही थी। वह बातचीत किस स्तर पर चल रही है और नौकाओं के निर्माण का ठेका किसे दिया जायेगा ?

श्री टी० ए० पाई : ऐसे कई पेशकश आये थे लेकिन विचार करने पर लगा कि मैक्सिकन डिजाइन ही सबसे अच्छा है। अतः अन्य कोई प्रस्ताव अब विचाराधीन नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

Written Answers to Questions

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

*222. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के प्रारम्भ से लेकर 31 दिसम्बर, 1975 तक कितने प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या इसके अंतर्गत लाई जा चुकी थी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : 47.3 प्रतिशत।

पट्टेदारी कानूनों में कमियाँ दूर करने के लिये राज्यों द्वारा किये गये उपाय

*223. **श्री दशरथ देव :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कहा है कि वे पट्टेदारी का पूर्ण संरक्षण सुनिश्चित करने, कृषक पट्टेदारों के मालिकाना हक की पुष्टि करने और बटाईदारों को समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार आश्वासन देने के लिये वर्तमान पट्टेदारी कानून की कमियां दूर करने हेतु तत्काल विधायी उपाय करे; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने उक्त सुझावों पर निश्चित कार्यवाही की है और विभिन्न राज्यों ने इस बारे में क्या वास्तविक कार्यवाही की है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में पट्टेदारी से संबंधित राष्ट्रीय नीति स्पष्ट की गई है। इस नीति का लक्ष्य पट्टेदार को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करना और अंततः जोतने वाले पट्टेदारों और बटाईदारों को भू-स्वामित्व अधिकार देना है।

पट्टेदारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तीन बातें अनिवार्य हैं :—

(1) कानून के उपबंधों के अंतर्गत की जाने वाली बेदखली को छोड़कर पट्टेदारों को बेदखल नहीं किया जाना चाहिए।

(2) भू-स्वामी यदि भूमि वापस ले तो वह ऐसा निजी काश्त के लिए ही कर सकता है; और

(3) भू-स्वामी द्वारा भूमि के वापस ले लिए जाने की स्थिति में पट्टेदार को न्यूनतम पट्टा क्षेत्र मिलना चाहिए।

पट्टेदारी से संबंधित सभी कानूनों में पट्टेदार की बेदखली रोकने का उपबंध किया गया है। ऐसा केवल कानून में विनिर्दिष्ट किए गए आधारों पर ही किया जा सकता है। सभी राज्य सरकारों के कानूनों में पट्टेदार के पास किसी भी स्थिति में न वापस लिया जाने वाला न्यूनतम क्षेत्र रहने का उपबन्ध किया गया है। कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के कानूनों में निजी काश्त के लिए भी भूमि वापस लेने की अनुमति नहीं दी गई है। भूमि वापस लेने के जिस अधिकार का उपयोग एक विनिर्दिष्ट अवधि में भू-स्वामियों द्वारा किया जाना था, वह अधिकांश राज्यों में समाप्त कर दिया गया है। केवल आन्ध्र प्रदेश (आन्ध्र क्षेत्र), तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल (बटाईदारों द्वारा धारित भूमि के सम्बन्ध में) के कानूनों में ही भूमि वापस लेने का अधिकार अभी भी बरकरार है।

अंतत: पट्टेदारी-सुधार का उद्देश्य यह है कि कुछ विनिर्दिष्ट परिस्थितियों के अतिरिक्त भू-स्वामित्व अधिकार सभी पट्टेदारों को प्राप्त हो जाए। आन्ध्र प्रदेश, (तेलंगाना क्षेत्र), असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान और त्रिपुरा के कानूनों में भू-स्वामित्व अधिकार दे देने के उपबंध किये गये हैं। आन्ध्र प्रदेश (आन्ध्र क्षेत्र), हरियाणा और पंजाब के कानूनों में पट्टेदारों को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वे जिस भूमि पर काश्त कर रहे हैं उसे खरीद सकते हैं। उत्तर प्रदेश के सभी पट्टेदार और उप-पट्टेदार और पश्चिम बंगाल के रैयत सरकार के सीधे सम्पर्क में आ गये हैं। इसके अतिरिक्त, पश्चिम बंगाल में बटाईदारों को काश्त की सुरक्षा प्रदान की गई है। बिहार और तमिलनाडु में पट्टेदारों को भूमि खरीद सकने या उन्हें भू-स्वामित्व अधिकार प्रदत्त करने का कोई उपबन्ध नहीं है।

हिन्द महासागर में कोई फ्रांसीसी अड्डा नहीं

*224. **श्री शशि भूषण** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रेंच नेशनल डिफेंस इन्सटीट्यूट के प्रमुख, जनरल जी० एस० बेरी की अध्यक्षता में एक 75 सदस्यीय उच्च शक्ति प्राप्त फ्रांसीसी प्रतिनिधि मंडल ने गत फरवरी में भारत की यात्रा की थी ;

(ख) इस प्रतिनिधि मंडल की यात्रा का उद्देश्य क्या था और इस यात्रा से किन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई; और

(ग) क्या फ्रांसीसी प्रतिनिधि मंडल ने यह आश्वासन दिया था कि हिन्द महसागर में फ्रांस का कोई अड्डा नहीं है और फ्रांस हिन्द महासागर को शांति-क्षेत्र बनाए रखने संबंधी भारतीय नीति का समर्थन करता है ।

रक्षा मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) ले० जनरल जोन पाल इबबेरी के नेतृत्व में इन्स्टीट्यूट आफ हायर स्टैडिज आन नेशनल डिफेंस आफ फ्रांस के लगभग 100 सदस्यों के एक दल ने 17 से 22 फरवरी, 1976 तक भारत का दौरा किया ।

(ख) और (ग) यह दौरा इन्स्टीट्यूट द्वारा स्वप्रेरणा पर अध्ययन दौरे के रूप में किया गया।

सरकार ने उन समाचारों को देखा है जिनमें दल के नेता ने अपनी यात्रा के दौरान ये विचार व्यक्त किए थे कि हिन्द महासागर क्षेत्र को शन्ति-क्षेत्र बनाए रखा जाना चाहिए।

औद्योगिक लाइसेंसों के लिये पश्चिम बंगाल से प्राप्त आवेदन-पत्र

*229. **श्री मनोरंजन हाजरा** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल से प्राप्त औद्योगिक लायसेंसों के लिए 73 आवेदन पत्र तथा लाइसेंस मुक्त क्षेत्र के 161 आवेदन-पत्र जिनमें क्रमशः 112.23 करोड़ रुपये तथा 12 करोड़ रुपये की राशि अन्तर्ग्रस्त है, अभी तक भारत सरकार के पास अनिर्णीत पड़े हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई):(क) और (ख) औद्योगिक लाइसेंस देने के केवल 28 आवेदन पत्र जिनमें लगभग 61 करोड़ रुपये की राशि अंतर्ग्रस्त है, के अनिर्णीत पड़े हैं। इनमें नए उपक्रमों, पर्याप्त विस्तार और नई वस्तुओं के लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र भी शामिल हैं।

तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीयन के लिए केवल 14 आवेदन पत्र अनिर्णीत हैं जिनमें 3.5 करोड़ रुपए की राशि अंतर्ग्रस्त है।

निर्णय लेते समय महत्वपूर्ण बातों जैसे अवस्थापना, कच्चे माल, तकनीकी जानकारी की उपलब्धता अधिष्ठापित क्षमता आदि को ध्यान में रखा जाता है और देरी सामान्यतया आवेदकों द्वारा दी गई अपर्याप्त जानकारी अथवा औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय को संबंधित प्राधिकारणों द्वारा दी जाने वाली जानकारी के कारण होती है। फिर भी, विचाराधीन आवेदनपत्रों को यथा शीघ्र निपटाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है।

गोआ में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को स्थानीय व्यक्तियों को नियुक्त करने के निदेश

*230. **श्री इराज्मुद सकेरा** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों और संस्थानों को तीसरी और चौथी श्रेणी के पदों पर स्थानीय अधिवासियों को नियुक्त करने के बारे में कोई अनुदेश जारी किये गये हैं ; और

(ख) उक्त अनुदेशों का किस हद तक पालन किया गया है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान्। तीसरी श्रेणी के कुछ वर्गों को छोड़ कर जिनके लिए अखिल भारतीय/क्षत्रीय आधार पर भर्ती की जाती है। सामान्यतः

तीसरी और चौथी श्रेणी में रिक्तियों के लिये भर्ती उन उम्मीदवारों को लेकर की जाती है जिन्होंने स्वयं को उन क्षेत्रों के रोजगार कार्यालयों में दर्ज कराया है जिनमें केन्द्रीय सरकार के कार्यालय स्थित हैं ।

सैनिक कर्मचारियों की पेंशन में वृद्धि

*233. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सशस्त्र सेना के कर्मचारियों की पेंशन की राशि में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या पेंशन की यही बढ़ी हुई दरें नौसैनिक तथा वायुसैनिक कर्मचारियों पर भी लागू होंगी ?

रक्षा मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) पेंशनों में वास्तविक रूप से कितनी वृद्धि की गई है तथा उनमें कितनी प्रतिशत वृद्धि की गई है, वे सदन के पटल पर रखे गये विवरण में बताई गई है ।

(ख) नौसेना और वायु सेना में तदनुरूप पदों की सर्विस पेंशन दरें भी बढ़ा दी गई हैं ।

विवरण

सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति पेंशन दरों में सुधार दिखाते हुए विवरण

अफसर पद से नीचे के कार्मिक

पद	पेंशन की पुरानी दरें		पेंशन की नई दरें		प्रतिशत वृद्धि	
	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम
1	2	3	4	5	6	7
	रू० प्रतिमास	रु० प्रतिमास	रु० प्रतिमास	० प्रतिमास	रु० प्रतिमास	रु० प्रतिमास
सिपाही	40.00	72.00	76.00	122.00	90%	69.44%
नायक .	40.00	81.00	86.00	135.00	115%	66.67%
हवलदार	43.00	91.00	98.00	159.00	127·9%	74.73%
नायब सूबेदार	60.00	122.00	127.00	223.00	111.66%	82.79%
सूबेदार .	80.00	178.00	162.00	308.00	102.5%	73.03%
सूबेदार मेजर .	106.00	218.00	197.00	366.00	845.8%	67.89%

कमीशन प्राप्त स्थायी अफसर

पद	पेंशन की पुरानी दरें	पेंशन की नई दरें	प्रतिशत वृद्धि
	रु० प्रति मास	रु० प्रति मास	रु० प्रति मास
सबलटर्न .	272.00	350.00	28.68%
कैप्टन	377.00	575.00	52.52%
मेजर . . .	482.00	675.00	40.04%
ले० कर्नल	587.00	775.00	32.03%
कर्नल . . .	638.00	900.00	41.07%
ब्रिगेडियर . . .	696.00	1000.00	43.68%
मेजर जनरल . .	735.00	1050.00	42.86%
ले० जनरल . . .	819.00	1100.00	34.31%
जनरल (स्थल सेनाध्यक्ष) .	1008.00	1200.00	19.05%

State Bills pending for President's Assent

*235. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the **Minister of Home Affairs** be pleased to state ;

(a) Whether several Bills passed by various State Legislative Assemblies have been pending President's assent for months ;

(b) If so, the State-wise details thereof ; and

(c) reasons for delay in according President's assent thereon ?

Minister of Home Affairs (Shri K. Brahmananda Reddi) : (a) to (c) Bills received for assent are generally being dealt with on top priority basis. In cases involving important policy issues, the concerned Ministeries naturally take time to examine the implications before conveying their final views. In some cases clarifications have to be obtained from State Governments, involving lengthy correspondence. It is only is such cases that the assent on the President gets delayed.

The State-wise details of such cases which are more than two months old are given below :—

Assam . . .	2	Orissa .	1
Bihar	1	Punjab . . .	1
Haryana	3	Rajasthan . . .	1
Kerala	3	Tamil Nadu . .	5
M.P. . . .	2	U.P. . .	1
Manipur	2	W. Bengal . . .	1

आपात स्थिति के फलस्वरूप हुई उपलब्धियों को नष्ट करने वाली सामग्री के प्रकाशन को रोकना

*238. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी समाचार-पत्रिकाओं, सांविधिक पत्रिकाओं, पोस्टरों तथा इश्तिहारों के अनधिकृत प्रकाशन को रोकने के लिये कोई कार्यवाही की गई है जिनका प्रयोजन आपातस्थिति के फलस्वरूप हुई उपलब्धियां नष्ट करना तथा 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम की क्रियान्विति को अवरुद्ध करना है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) तथा (ख) आपातस्थिति के उपायों के प्रतिकूल समाचार पत्रिकाओं, पत्रिकाओं, पोस्टरों तथा इश्तिहारों के अनधिकृत प्रकाशन भारत रक्षा और आन्तरिक सुरक्षा नियम 1971 के उपबन्धों के अधीन दण्डनीय हैं । ऐसी गतिविधियों से निपटने के लिये प्रैस तथा पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 और आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशन निरोध अधिनियम 1976 में भी पर्याप्त वैधानिक उपबन्ध है । राज्य सरकारें तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ऐसी प्रतिकूल गतिविधियों से संबंधित व्यक्तियों को गिरफ्तार करने और उन पर मुकदमा चलाने और/अथवा प्रैसों को अधिकार में लेने के लिये उपयुक्त कार्यवाही कर रहे हैं ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में श्रमिकों को प्रबन्ध में सम्मिलित करना

239. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत श्रमिकों को प्रबन्ध में सम्मिलित करने की योजना को पूरी तरह से कार्यान्वित कर दिया गया है ; और

(ख) क्या उपक्रमों में श्रमिक प्रबन्ध में निदेशक जैसे उच्च पदों पर भी कार्य कर रहे हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) भारत सरकार के 30 अक्तूबर, 1975 के संकल्प में समाविष्ट सरकारी क्षेत्र के संयंत्रों में कर्मचारियों के भाग लेने की योजना जिसमें 500 या इससे अधिक लोग काम करते हों निर्माण कार्य करने वाले और खनन उद्योगों पर लागू है । उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के अधीन इस प्रकार के 21 उपक्रम योजना में आते हैं । इन 21 एककों में से 12 में यह योजना पूरी तरह और 5 एककों में आंशिक रूप से कार्यान्वित की गई हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

Supply of Coal to Thermal Power Plants

***240. Shri K. M. Madhukar** : Will the **Minister of ENERGY** be pleased to state :

(a) whether a Standing Linkage Committee has been constituted to ensure adequate supply of good quality coal to thermal power plants set up at various places in the country and to look after their functioning ; and

(b) if so, review of the work done by the Committee ?

The Minister of Energy (Shri K. C. Pant): (a) & (b). The Standing Linkage Committee was constituted on the 6th January, 1973 for the planning of coal supplies to the thermal power stations keeping in veiw the need to supply fuel of appropriate quality and at the same time to make the most economic use of the valuable capacity for the production and transport of coal. Later on, linkage of coal mines to cement factories was also entrusted to this Committee.

The Committee has accordingly been meeting periodically to review the linkage of collieries with the power stations and cement plants. The Committee has linked on a rational basis all the thermal power projects included in the Fifth Plan to specific coal producing areas. Within the overall linkage, it makes periodical allocation of coal taking note of the immediate requirements, transport position and other relevant factors. The Committee has now taken up the linkage of Sixth plan projects. As a result of the reviews and allocations made by this Committee, coal supplies to the power houses and the cement plants have shown considerable improvement.

लोक सभा की कार्यवाही का प्रकाशन

1196. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक सभा के 15वें सत्र की कार्यवाही की रिपोर्ट के समाचार-पत्रों में प्रकाशन पर पूर्व सेंसर लगाया गया था; और

(ख) क्या कार्यवाही की रिपोर्ट के समाचार पत्रों के प्रकाशन पर लगे प्रतिबंध को लोक सभा के 16वें सत्र में हटा लिया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख). समय-समय पर यथा संशोधित 26 जून, 1975 का कानूनी आदेश 275(ई) जिसके द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट विषयों से संबंधित समाचारों, रिपोर्टों, टिप्पणियों, आदि के बारे में पूर्व-सेंसरशिप अनिवार्य बनाया गया है, संसद् की कार्यवाहियों पर भी लागू होता है। तथापि, कार्य-व्यवस्था के रूप में, लोक सभा के 16वें सत्र और राज्य सभा के 95वें सत्र के दौरान पूर्व-सेंसरशिप हटा लिया गया है।

Assistance to States under Welfare Schemes for Adviasis and Scheduled Castes

1197. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Willthe **Minister of Home Affairs** be pleased to state :

(a) amount of Central assistance provided to the States during 1975-76 under the Welfare Schemes for Advisis and Scheduled Castes ;

(b) provision proposed for this purpose during the year 1976-77 ;

(c) whether the States, instead of spending this assistance on the above schemes, divert it to other works ; and

(d) if so, steps taken to prevent them from doing so ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Snri F. H. Mohsin) : (a) & (b) :

(Rs. in lakhs)

	1975-76	1976-77
State Sector	5475·78	7736·83
Central Sector	1584·82	1500·32

Central assistance for State Sector Schemes is given in the form of block grants and block loans.

(c) & (d) . No, Sir.

फरक्का में सुपर थर्मल स्टेशन

1198. **श्री नूरुल हुडा :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का फ़रक्का में प्रस्तावित सुपर थर्मल स्टेशन पर कब से कार्य आरम्भ करने का विचार है;

(ख) इस स्टेशन की क्षमता कितनी होगी;

(ग) परियोजना के लिए विश्व बैंक से कितनी सहायता का अनरोध किया गया है; और

(घ) इस सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार में क्या प्रगति हुई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) फ़रक्का में एक सुपर ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना करने का प्रस्ताव है। इससे छठी योजना की अवधि में लाभ प्राप्त होगा।

(ख) इसकी प्रस्तावित क्षमता 1200 मेगावाट है।

(ग) और (घ). ऋण सहायता के लिए यह परियोजना विश्व बैंक को भेजी गई है। इस परियोजना के लिए ऋण के बारे में अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है।

संकटग्रस्त औद्योगिक एककों को नियंत्रण में लेने सम्बन्धी नीति

1199. **श्री बसन्त साठे :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संकटग्रस्त औद्योगिक एककों को अपने नियंत्रण में लेने के बारे में हाल ही में कोई मार्गदर्शी नीति तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख). सरकार द्वारा प्रबन्ध के हाथ में लिये जाने की बाध्यकारी परिस्थितियों का उल्लेख उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के अध्याय--111ए के अंतर्गत कर दिया गया है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ उत्पादन के परिमाण में पर्याप्त गिरावट किस्म का घटिया होना, मूल्यों की अनुचित वृद्धि तीन महीनों से अधिक के अवधि के लिए एकक का बंद हो जाना, मनमाना निवेश, निधियों का स्थानान्तरण शामिल है । अधिनियम के अन्तर्गत किसी मामले में निर्णय लेते समय सरकार एकक के आकार (यह परिसम्पत्तियों के मूल्य, पण्यावर्त के मूल्य आदि के अनुसार आंकी जाती है) कर्मचारियों की संख्या को ध्यान में रखकर रोजगार की स्थिति तथा राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में उत्पाद के महत्व को ध्यान में रखती है जब संकटग्रस्त एककों सम्बन्धी स्थिति पर हाल ही में संवीक्षा की गई तब यह महसूस किया गया कि जोर संकट ग्रस्तता के निवारण पर दिया जाये तथा

प्रभावित एककों को पुनः आर्थिक दृष्टि से जीव्य बनाने में वित्तीय संस्थान और वाणिज्यिक बैंक प्रमुख भूमिका निबाहें। यह महसूस किया गया था कि जहां अन्य उपाय सफल नहीं होते हैं वहां ही नियमितः प्रबन्ध में सरकार का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होना चाहिए।

आपात स्थिति के दौरान बेरोज़गारी दूर करने के लिये की गई कार्यवाही

1200. **श्री जनेश्वर मिश्र** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात स्थिति के दौरान बेरोज़गारी दूर करने के लिए क्या ठोस क़दम उठाये गये हैं; और

(ख) इसके परिणामस्वरूप शिक्षित तथा अशिक्षित बेरोज़गार व्यक्तियों को कहां तक लाभ हुआ ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यकुशलता सुधारने और उत्पादन बढ़ाने के लिए आपात स्थिति मे किए गए उपायों के परिणामस्वरूप रोजगार की स्थिति में भी पर्याप्त सुधार हुआ है। इसके अतिरिक्त, आपात स्थिति में आरम्भ किये गये 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में कई ऐसी महत्वपूर्ण स्कीमें शामिल हैं, जिनसे शिक्षित और अशिक्षित, दोनों तरह के बेरोज़गार व्यक्तियों के लिए रोज़गार के अवसर सर्जित करने की गति में काफ़ी तेजी आ सकेगी।

(ख) पहली जुलाई से 31 दिसम्बर, 1975 तक की अवधि में रोजगार कार्यालयों के माध्यम से जिन शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार की व्यवस्था की गई उनकी संख्या 2,25,115 थी, जबकि वर्ष 1974 की इसी अवधि में 1,87,217 व्यक्तियों के लिए रोजगार की व्यवस्था की गई थी। 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर बढाने के लिए किए गये उपायों में एक उपाय है--एप्रेंटिसशिप स्कीम का पूरी तरह से कार्यान्वयन। केन्द्रीय और राज्य सरकारों के सम्मिलित प्रयासों के परिणामस्वरूप प्रशिक्षु अधिनियम के अंतर्गत व्यवसायी प्रशिक्षुओं की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है। 30-6-1975 को प्रशिक्षुओं की संख्या 69,236 थी, जो बढ़कर 28-2-1976 को 1,21,244 हो गई। इस अधिनियम के अंतर्गत 8000 इंजीनियरी स्नातकों/डिप्लोमाधारियों को भी प्रशिक्षुओं के रूप में भर्ती किया गया है।]

काश्मीर में कागज गूदा का कारखाना

1201. **श्री सैयद अहमद आगा** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने काश्मीर में एक कागज गूदा का कारखाना स्थापित करने के बारे में कोई अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० वी० मौर्य) : (क) काश्मीर कागज लुगदी फ़ैक्टरी की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कोई अध्ययन नहीं कराया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है।

अखिल भारतीय इंजीनियर सेवा और भारतीय वन सेवाओं का गठन

1202. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अखिल भारतीय इंजीनियर सेवा और भारतीय वन सेवाओं के गठन को इस बीच अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख). भारतीय वन सेवा का गठन पहले ही 1-7-1966 से किया जा चुका है और इस में सभी राज्य सरकारें भाग ले रही हैं। सिक्किम में सेवा के संवर्ग का गठन करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है जिसमें भारतीय इंजीनियर सेवा के गठन के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति बताई गई है।

विवरण

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम 1951 को 1963 में संशोधित किया गया था जिससे कि वन, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य और इंजीनियरी के क्षेत्रों में तीन नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन को इसके क्षेत्राधिकार में लाया जा सके। भारतीय इंजीनियरी सेवा के सम्बन्ध में स्थिति निम्न प्रकार है :—

भारतीय इंजीनियर सेवा:

सेवा के गठन से संबंधित कोई औपचारिक आदेश अभी तक जारी नहीं किये गये हैं क्योंकि तामिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, जम्मू तथा काश्मीर, हिमाचल प्रदेश और केरल की सरकारों ने, जिन्होंने प्रस्तावित सेवा में शामिल होने के लिए पहले अपनी सहमति दे दी थी, विशेष रूप से कहा कि वे उक्त सेवा में भाग लेना नहीं चाहतीं। इन असहमत राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि वे मामले पर पुनर्विचार करें और राष्ट्र के व्यापक हित में प्रस्तावित सेवा में भाग लेने के लिए सहमत हो जाएं। असम, जम्मू तथा काश्मीर और तमिलनाडु सरकारों ने पुनर्विचार करने पर भी, सेवा में शामिल न होने के अपने पहले विचार को फिर से दोहराया। किन्तु, हिमाचल प्रदेश सरकार सेवा में भाग लेने के लिए सहमत हो गई है। बाकी राज्य सरकारों के उत्तर अभी आने बाकी हैं।

असहमत राज्य सरकारों को उक्त सेवा में भाग लेने के लिए राजी करने हेतु प्रयत्न चल रहे हैं।

A Thermal Power Station in Chhattisgarh Region

1203. **Shri G. C. Dixit** : Will the **Minister of Energy** be pleased to state :

(a) whether Government have drawn a scheme for setting up of a thermal power station in Chhattisgarh region of Madhya Pradesh ; and

(b) if so, facts thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad) : (a) & (b) : A proposal is under consideration for establishing a super thermal station, of ultimate capacity of 2000 MW, in the Central sector in the Western Region at Korba in Madhya Pradesh.

Rural Electrification schemes in Madhya Pradesh

†1204. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the **Minister of Energy** be pleased to state :

(a) number and names of rural electrification schemes of Madhya Pradesh sent by the State Government to the Centre during 1973-74— 1974-75 and 1975-76 (upto February, 1976) and action taken by the later thereon; and

(b) number of villages to be benefited under these schemes as also the area of land to be irrigated ?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad) : (a) & (b) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

पश्चिम बंगाल से उद्योगों का स्थानान्तरण

1205. **श्री समर गुह** : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1973 से 1975 की अवधि में पश्चिम बंगाल से कोई उद्योग स्थानान्तरित किया गया है ;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) वर्ष 1975 में उत्पादन बन्द करने अथवा कम करने वाले औद्योगिक संस्थानों के नाम क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (ग) तकनीकी विकास के महानिदेशालय और चीनी तथा वनस्पति निदेशालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 1973–75 की अवधि में पश्चिमी बंगाल से किसी उद्योग का स्थानान्तरण नहीं हुआ है। तकनीकी विकास के महानिदेशालय और चीनी और वनस्पति निदेशालय द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित उन उद्योगों के नामों की सूची जिन्होंने 1975 में उत्पादन या तो बन्द कर दिया है अथवा उसे कम कर दिया है; संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—10519/76]

तमिलनाडु में सहकारी समितियों के भ्रष्टाचार के मामले

1206. **श्री बयालार रवि** : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु में सहकारी समितियों के भ्रष्टाचार के मामलों को पुनः खोलने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां तो किस सीमा तक ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) व (ख) तमिलनाडु सरकार इस समय राज्य में विभिन्न सहकारी सोसायटियों के कथित गबन अथवा भ्रष्टाचार

के उन सभी 42 मामलों को पुनः जांच कर रही है जो 1971 और जनवरी, 1976 के बीच उस समय की सरकार द्वारा या तो छोड़ दिये गये थे या रोक दिये गये थे।

जनसाधारण के उपभोग की अत्यावश्यक वस्तुओं की सप्लाई

1207. **श्री मोहन धारिया :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनसाधारण के उपभोग की अत्यावश्यक वस्तुओं को उचित मूल्यों पर सप्लाई के लिये राष्ट्रीय आधार पर किसी योजना को अन्तिम रूप दिया है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मूल बातें क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) व (ख) नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग के बनाये जाने के तुरन्त बाद राज्य खाद्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्रियों के क्षेत्रीय सम्मेलन किये गये और प्राथमिकता वाली वस्तुओं, जरूरतमन्द इलाकों और समाज के कमजोर वर्गों को इसके अन्तर्गत लाने के लिए वितरण व्यवस्था को बढ़ाने तथा उसका विस्तार करने के लिए विस्तृत नीति की रूपरेखा बनाई गई। खाद्यान्नों, चीनी, नियन्त्रित कपड़ा, मिट्टी का तेल और साफ्ट कोक बेचने वाली उचित मूल्य की दुकानों और खुदरा बिक्री केन्द्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बढ़ाया गया तथा उसका विस्तार किया गया। सहकारी व्यवस्था का विस्तार भी किया गया। आवश्यक वस्तु अधिनियम, जिसमें अपराधियों को और भी कड़ा दण्ड देने की व्यवस्था करने के लिये संसद् द्वारा संशोधन किया गया, को कड़ाई से लागू किया गया, जिससे आम खपत की वस्तुओं के वितरण को नियन्त्रित किया जा सके। उचित मूल्य की दुकानें बढ़कर 2.33 लाख हो गईं। नियन्त्रित कपड़े के 46,000 खुदरा बिक्री केन्द्र, मिट्टी के तेल के 2·19 लाख खुदरा बिक्री केन्द्र और साफ्ट कोक के वितरण के लिए 6,000 खुदरा बिक्री केन्द्र मुख्य रूप से उत्तरी क्षेत्र में हैं। शहरी इलाकों में उपभोक्ता सहकारी आन्दोलन और देहाती इलाकों में सेवा सहकारी सोसायटियों और क्रय-विक्रय सहकारी सोसायटियों के माध्यम से बाजार में उल्लेखनीय दखल किया गया है। सहकारी सोसायटियों द्वारा वितरित की गई वस्तुओं में ये शामिल हैं--चावल, गेहूं, मोटे अनाज, चीनी, वनस्पति, खाने के तेल, साबुन, ब्रेड; दियासलाइयां, कपड़ा, किराने का सामान, कापियां, चाय तथा शिशु आहार। नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग ने राज्य सरकारों और भारत सरकार के कई अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयों के सहयोग से आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियन्त्रण रखने और उनकी उपलब्धि बनाये रखने के लिए एक कारगर मानीटरिंग पद्धति तैयार की है।

जनशक्ति तथा उत्पादिकता सम्बन्धी सेमिनार

1208. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनशक्ति और उत्पादिकता संबंधी सम्मेलन हाल में हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो सेमिनार के क्या निष्कर्ष रहे ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मधुबन्द कोयला खान में दुर्घटना

1209. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनबाद के निकट मधुबन्द कोयला खान की छत के एक भाग के गिरने से तीन खनिक मारे गये थे ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के कारण क्या थे; और

(ग) भविष्य में ऐसी दुर्घटनायें रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां, 18 फरवरी, 1976 को ।

(ख) खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारियों द्वारा की गई जांच के निष्कर्षों के अनुसार दुर्घटना निम्नलिखित कार्यों में सफल न हो पाने के कारण हुई :

(i) विस्फोट के पश्चात स्थान को सुरक्षित बनाना और रखना ;

(ii) खम्भा रहित क्षेत्र के निर्धारित टिम्बरिंग नियमों के अनुसार एरिया में सपोर्ट की व्यवस्था ।

(iii) खुदाई स्थल पर विस्फोट के समय कोयला रिब को 6 मी० मोटाई बनाये रखना ।

(ग) छत और दिवारों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा एक विशेष अध्ययन किया गया है और उस में उनके द्वारा व्यक्त विचारो और सिफारिशों को अनुपालन हेतु उद्योग के ध्यान में लाया गया है ताकि इस प्रकार की दुर्घटनाएं फिर न हों ।

भारत सरकार के कोयला विभाग ने राष्ट्रीयकृत कोयला खानों में सुरक्षा के सम्पूर्ण प्रश्न की जांच हेतु 5 फरवरी 1976 को 14 सदस्यीय समिति का गठन किया है जिसमें सरकारी क्षेत्र की कोयला कम्पनियों के प्रबंधकों और कामगारों, श्रम मंत्रालय, खान सुरक्षा महानिदेशालय और केन्द्रीय खनन अनुसंधान केन्द्र के प्रतिनिधि हैं ।

परित्यक्त कोयला खानों के नाम

1210. **श्री रोबिन सेन** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष के दौरान परित्यक्त कोयला खानों के नाम क्या हैं और उस के परिणामस्वरुप कितने कर्मचारी बेरोजगार हो गये ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : यद्यपि पिछले एक वर्ष के दौरान कोयला भंडार समाप्त हो जाने के कारण प्योर चिरिमिरी नामक एक कोयला खान को त्याग दिया गया था लेकिन किसी कामगार को रोजगार से नहीं हटाया गया है और उन्हें निकटवर्ती खानों में काम पर लगा दिया है ।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा रिकार्ड उत्पादन

1211. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने 13 फरवरी, 1976 को कोयले का उच्चतम रिकार्ड उत्पादन किया था?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : भारत कोकिंग कोल लि० ने 14 फरवरी 1976 को (न कि 13 फरवरी 1976 को) कोयले का उच्चतम रिकार्ड उत्पादन था ।

राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला द्वारा विकसित सीसा निकालने की नई विधि

1212. **श्री सरजू पाँडे** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला ने सीसा निकालने की नई पद्धति का विकास किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इससे देश की सीसे की आवश्यकता किस हद तक पूरी होगी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) यह एक सरल, एक चरण प्रक्रम है, जिससे 99.5% शुद्धता के धातु उत्पादन में 90 प्रतिशत धातु प्राप्त होती है जिस में कम से कम प्रदूषण वाला बहुत सा गंधक रहता है ।

(ग) देश में सीसे की आवश्यकता को पूरा करना कच्ची समाग्री की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

बीस सूत्री कार्यक्रम का मूल्यांकन

1213. **श्री बी० वी० नायक** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री के 20-सूत्री कार्यक्रम का गरीबी के स्तर से नीचे जीवन बिताने वाली भारतीय जनसंख्या पर प्रभाव का आर्थिक निर्धारण करने का काम किसी विशेषज्ञ समूह को सौंपा गया है;

(ख) यदि हां, तो ये विशेषज्ञ कौन-कौन हैं; और

(ग) क्या कोई निर्धारण किया गया है; और यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) माननीय सदस्य बीस-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति के सम्बन्ध में लोक सभा में दिनांक 10–3–1976 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 237 के उत्तर में लोक सभा के सभा पटल पर रखे गये विवरण को देखने की कृपा करें।

इंजीनियरिंग उद्योग की क्षमता के विस्तार की योजना

1214. **श्री ए० के० गोपालन:** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने भारतीय इंजीनियरिंग उद्योग संगठन को 1978–79 तक 1,000 करोड़ पये का निर्यात लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इंजीनियरिंग उद्योग में क्षमता के विस्तार की विस्तृत योजना तैयार करने को कहा है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : जी, हां।

माननीय सदस्य को इंजीनियरी सामान का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में घोषित अभ्युपायों की जानकारी है। इन अभ्युपायों में उद्योग को इसकी अधिकृत क्षमता से अधिक उत्पादन करने, यदि इस प्रकार का अधिक उत्पादन निर्यात के लिए है, की अनुमति देना सम्मिलित था। इसमें कुछ सीमाओं के अन्दर और कुछ विशिष्ट उपबंधों के अधीन महत्वपूर्ण इंजीनियरी क्षेत्रों में क्षमता में स्वत: वृद्धि की व्यवस्था भी थी। अनवर्ती कार्यवाही के रूप में सरकार ने एसोसिएशन आफ इंडियन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री (और इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रोमोशन कौंसिल) से कहा था कि वे 1978–79 तक 1,000 करोड़ रुपये के इंजीनियरी निर्यात के आधार पर काम करें और उस वर्ष तक इंजीनियरी क्षेत्र में निर्यात हेतु उद्योगवार लक्ष्यों का ब्यौरा तैयार करें, उनसे उन विशिष्ट क्षेत्रों में जहां विस्तार करना आवश्यक है, क्षमता का विस्तार करने की बात की आवश्यकता तैयार करने के लिए भी कहा गया था। ए०आई०ई०आई०/ई०पी०सी० से इस कार्ययोजना की अभी तक समीक्षा नहीं की गई है।

केन्द्रीय ईंधन अनुसन्धान संस्थान द्वारा कोयले से रसायनों का उत्पादन करने के लिये स्थापित किये गये संयंत्र

1215. **श्री पी० रंगानाथ शिनाय :**

सरदार महेन्द्र सिंह गिल :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान द्वारा कोयले से रसायनों का उत्पादन करने के लिए अनेक प्रायोगिक संयंत्र स्थापित किये जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो किन रसायनों का उत्पादन किया जा सकता है और उनकी तुलनात्मक लागत क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) इस समय केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान (सी०एफ०आर०आई०) में 25 कि०ग्रा० प्रति धान ऐन्थ्रासीन का शुद्धिकरण करने के लिये एक प्रायोगिक संयंत्र है।

बीटा–नेप्थोल, रिसोर्सिनोल, क्रीसोल्स की प्रति धान में 10–15 कि०ग्रा० क्षमता का एक दूसरा संयंत्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

(ख) एन्थ्रासीन शोधन प्रायोगिक संयंत्र ।

18 से 20 प्रतिशत शुद्ध ऐन्थ्रासीन में से 90 प्रतिशत से अधिक शुद्धता के एन्थ्रासीन घोल का उत्पादन करना। यह संयंत्र 99 प्रतिशत तक शुद्धता की नेप्थालीन का शुद्धीकरण भी कर सकता है। 1200 टन प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता के क्रूड ऐन्थ्रासीन एकक की लागत 1.52 करोड़ रुपये आंकी गई है। शुद्ध ऐन्थ्रासीन का अनुमानित मूल्य 5.00 रुपये प्रति कि०ग्रा० आंका गया है।

क्रिसोल, बीटा––नेप्थेल और रिसोर्सीनोल (15 कि० ग्रा० प्रति दिन क्षमता) के लिये प्रस्तावित प्रायोगिक संयंत्र

क्रिसोल के लिये 1000 टन प्रति दिन, बीटा–नेप्थोल के लिये––660 टन प्रतिदिन और रिसोर्सीनोल के लिये 300 टन प्रतिदिन क्षमता के कम से कम मितव्ययी एकक हैं। इन सब की अनुमानित लागत लगभग 1 करोड़ रुपये प्रत्येक एकक आंकी गई है। इनमें से प्रत्येक के एक कि०ग्रा० पी-क्रिसोल की रुपये––8.00; एम/पी-क्रिसोल (1 : 1) की रु०––11.00, बीटा–नेप्थोल की रु०––15.00 और रिसोर्सीनोल की रु० 22.00 की अनुमानित लागत आंकी गई है।

"तुलनात्मक लागत" का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि इनमें से प्रत्येक रसायन का एक विशेष स्रोत से संबंध है।

भारत में विदेशी धन का आना

1216. **श्री सरोज मुखर्जी :**

श्री मधु दण्डवते :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैसा कि कलकत्ता के दिनांक 23 फरवरी, 1976 के एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था, सरकार के पास इस बारे में निश्चित सूचना है कि विदेशी धन भारत में भेजा जा रहा था;

(ख) यदि हां, तो भारत में यह धन भेजने वाले व्यक्ति अथवा संगठन कौन हैं और किन-किन व्यक्तियों और अथवा संगठनों को यह धन भेजा गया तथा धन भेजने का प्रत्येक मामले में उद्देश्य क्या था; और

(ग) इस प्रकार धन के आने को रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

गृह मंत्रालय कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) तथा (ख). सरकार को देश में विदेशी धन के आने की जानकारी है, परन्तु वर्तमान कानून के अन्तर्गत विदेशी धन प्राप्तकर्ता के लिये किसी विशिष्ट प्राधिकारी को ब्यौरे बताना अनिवार्य नहीं है। इसलिये इस सम्बन्ध में सही ब्यौरे देना सम्भव नहीं है।

(ग) विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, 1973 के उल्लंघन में प्राप्त विदेशी धन के बारे में एक सम्मिलित अभियान चलाया गया है तथा विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियां निरोध अधिनियम, 1974 के अधीन निरोधात्मक कार्यवाही की जा रही है। विदेशी योगदान (विनियम) विधेयक, 1976 जो हाल में राज्य सभा द्वारा पारित किया गया है और लोक सभा द्वारा जिस पर विचार किया जाना है से भारत में विदेशी धन के आने पर सरकार का नियंत्रण अधिक कड़ा हो जायेगा।

अल्प सम्प्रदाय आयोग

1217. **श्री सी० एच० मोहम्मद कोया :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अल्पमत सम्प्रदायों की शिकायतों पर विचार करने के लिये अल्प सम्प्रदाय आयोग की नियुक्ति करने का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख). अल्प मत सम्प्रदायों को संरक्षण प्रदान करने के लिये सांविधानिक उपबन्ध पहले ही विद्यमान है। इन उपबन्धों को लागू कराने और अल्प मत सम्प्रदायों के न्याय संगत हितों की रक्षा करने के लिये समय-समय पर ऐसी अन्य कार्यवाही करने का जो आवश्यक समझी जाती है, सरकार का हमेशा प्रयास रहा है। इसलिये इस प्रयोजन के लिये अल्प मत सम्प्रदाय आयोग नियुक्त करना आवश्यक नहीं समझा जाता है।

अखबारी कागज और सफेद कागज

1218. **श्री बीरेन दत्त :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाजार में बड़ी मात्रा में अखबारी कागज और सफेद कागज जमा हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके जमा होने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

कोजीकोडे स्थित जनजातीय अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र को स्वायत्तशासी संस्थान में बदलने का प्रस्ताव

1219. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन:** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोजीकोडे स्थित जनजातीय अनुसंधान तथा प्रशिक्षण केन्द्र को स्वायत्तशासी संस्थान में बदलने का प्रस्ताव केरल सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या संस्था का आवश्यक ज्ञापन एवं अन्तर्नियम केन्द्र सरकार को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत कर दिये गये हैं; और

(ग) तत्सम्बन्धी मख्य रूपरेखा क्या है और सरकार का उस पर क्या निर्णय है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख). जी हां, श्रीमान्।

(ग) प्रस्तावों का संबंध निम्नलिखित से है :

(1) आदिवासी अनुसंधान तथा प्रशिक्षण केन्द्र कोजीकोड को एक स्वायत्तशासी निकाय के रूप में बदलना।

(2) सरकार के कुछ प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए संस्थान के प्रशासन के लिये प्रबन्ध निकाय को पूर्ण शक्तियां देना।

(3) कर्मचारियों और उपकरण की लागत को पूरा करने के लिये धन देना।

आदिवासी अनुसंधान तथा प्रशिक्षण केन्द्र की संरचना अन्तिम रूप से राज्य सरकार द्वारा तय की जानी है। भारत सरकार केन्द्रीय अनुसंधान सलाहकार परिषद् द्वारा केरल केन्द्र के लिये की गई सिफारिश के अनुसार कुछ पदों के सृजन के लिये सहमत हो गई है।

Backward "Bagari" Caste in Gujarat

1220. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether 'Bagari' caste in Gujarat is included in Scheduled Castes ;

(b) whether this tribe is most backward, economically and educationally ; and

(c) if so, whether Government would formulate any scheme for their uplift ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) No, Sir.

(b) & (c). Government of India have not drawn up any list of backward classes other than the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The Prime Miniter's 20-Point Economic Programme is directed at giving benefits to all the weaker sections of society.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद

1221. **श्री शंकर राव सावन्त :** क्या गृह मंत्री महाराष्ट्र–कर्नाटक सीमा विवाद के बारे में 7 जनवरी, 1976 के अतारांकित प्रश्न संख्या 144 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विवाद को हल करने के लिये क्या नये प्रयास किये गये हैं और उनमें कितनी सफलता मिली है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : इस विवाद का कोई सन्तोषजनक हल निकालने के प्रयत्न अभी जारी हैं और इस अवस्था में कोई ब्यौरे देना उपयुक्त नहीं होगा ।

अवशिष्टों का उपयोग एवं प्राकृतिक संसाधनों का समुपयोजन

1222. **श्री पी० गंगादेव :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अवशिष्टों के उपयोग तथा प्राकृतिक संसाधनों के समुपयोजन की अनेक परियोजनायें तैयार की हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या किन्हीं परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है, और

(ग) यदि हां, तो उनकी रूपरेखा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) से (ग). अवशिष्टों के उपयोग एवं प्राकृतिक संसाधनों के समुपयोजन पर विस्तृत परियोजनाएं अभिनिर्धारित की गई हैं तथा इन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग योजना (1974–79) के मसौदे में शामिल किया गया था, जो 26 मार्च, 1976 को सभा पटल पर प्रस्तुत किया गया । इसके साथ-साथ परियोजनाओं में खाद्य तेल निकालने के लिए चावल की भूसी की किस्म में सुधार, धान की भूसी का आर्थिक उपयोग, खनिजीय तथा अन्य औद्योगिक अवशिष्टों का उपयोग तथा भूमि-सुधार, सेलुलोसी वनस्पति सामग्री से प्रोटीन खाद्य, आर्थिक लक्ष्यों हेतु बूचड़खानों के उप-उत्पादों के सार्थक उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी, शैवाल, बायो-गैस संयंत्र के विभिन्न पहलू, जलाशयों मे तलछाटन अध्ययन, तल तथा जल गुणता निरुपण आदि शामिल है ।

विभिन्न मंत्रालय, अभिकरण, संस्थान आदि जुटे हुए हैं तथा इनमें से कुछ एक पर कार्यान्वयन के लिए, कार्यवाही का सूत्रपात हो चुका है ।

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के पलई गाँव में हरिजनों के मकानों का जलाया जाना

1223. **श्री हरी सिंह :**

मौलाना इसहाक सम्भली :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिले के पलई गांव में ग्रामीणों द्वारा फ़रवरी 1976 के मध्य में हरिजनों के 80 मकानों को आग लगा दी गई और 2 हरिजन बच्चे जिन्दा जला दिए गए; और

(ख) यदि हां, तो दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :

(क) तथा (ख). उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, 23 फ़रवरी, 1976 को मुरादाबाद जिले के पलई गांव में आग लग गयी थी जिसमें गांव की अनुसूचित जातियों के समुदाय के दो बच्चों की जल कर मृत्यु हो गई थी और 80 मकान जल गये थे। इस संबंध में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 436 के अधीन थाना गजरौला में एक मामला तुरन्त दर्ज किया गया और एक व्यक्ति जिसका नाम शिकायत में लिखाया गया था, गिरफ्तार किया गया।

भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया में परियोजनाओं की स्थापना करना

1224. **श्री के० लकप्पा :** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड का दक्षिण पूर्व एशिया में और अधिक परियोजनाओं की स्थापना करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज'): (क) तथा (ख). भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने दक्षिण पूर्व एशिया में अब तक कोई औद्योगिक परियोजना स्थापित नहीं की है। किन्तु उन्होंने विद्युत उपकरणों जैसे ट्रांसफ़ार्मरों, सर्किट ब्रैकरों, कन्ट्रोल और रिले पेनलों, आउट-डोर स्विचयार्ड स्टेशन उपकरणों आदि की सप्लाई और विद्युत केन्द्र बायलरों का सम्भरण करने, लगाने और चालू करने के लिए मलयेशिया से क्रयादेश प्राप्त किए थे। इनमें से कुछ क्रयादेश निष्पादित किए जा चुके हैं और अन्य निष्पादित किए जा रहे हैं। उन्होंने हाल ही में 17 करोड़ रुपये के मुल्य क 120 मे० वा० के 3 बायलरों के सम्भरण, लगाने और चालू करने के लिए मलऐशिया से एक और क्रयादेश प्राप्त किया है। उन्होंने 120 मे० वा० के 3 टर्बो सेटों के सम्भरण के लिए मलयेशिया को एक प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया है। इस प्रस्ताव की मलयेशिया के प्राधिकारी अभी जांच कर रहे हैं।

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड का उत्पादन

1225. **श्री डी० के० पंडा** : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के दक्षिण भारत एवं उत्तर प्रदेश स्थित एकक या तो बिल्कुल उत्पादन नहीं कर रहे हैं और या फिर बहुत कम उत्पादन कर रहे हैं ;

(ख) क्या यह प्रवृति 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के एकदम विपरीत है; और

(ग) यदि हां, तो इस कम्पनी को देश की आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य करने को बाधित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) तिरूचिरापल्ली स्थित मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, का सम्पूर्ण एकक 1974 में बंद कर दिया गया था तथा उसका तेल और वनस्पति सेक्शन मैसर्स पीरुमान एजेन्सी लिमिटेड के हाथ बेच दिया गया था। बाद में 1975 में पशु पोषक उत्पाद और साफ़ करने वाला सेक्शन पुनः चालू कर दिया गया था जिसके परिणाम स्वरूप एकक में उत्पादन गिर गया। इसके अलावा मांग के सामान्य रूप से गिर जाने से हैदराबाद, बंगलौर, मद्रास और कोयम्बूटर स्थित एककों में पशुपोषक उत्पादों के उत्पादन में भी गिरावट आयी है ।

उत्तर प्रदेश के एटा स्थित एकक में दुग्ध उत्पादों के उत्पादन में कटौती 1974-75 में कम्पनी द्वारा अधिक काम के दिनों में बनायी गई बड़ी बड़ी सूचियों और उत्पादों को रखने की अवधि सीमित होने के कारण की गई बाती जाती है;

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में उत्पादन

1226. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत उद्योग विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का उत्पादन जनवरी और फ़रवरी, 1976 में बढ़ा है ;

(ख) यदि हां, तो जनवरी, 1975 की तुलना जनवरी, 1976 में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई;

(ग) क्या अप्रैल, 1975 से जनवरी, 1976 तक की अवधि के दौरान इन एककों का कुल उत्पादन पिछले वर्ष की तुलनीय अवधि के कुल उत्पादन से अधिक था ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :(क) जी हां। भारी उद्योग विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के एककों और सरकार के प्रबंध के अधीन एककों में जनवरी 1976 और फरवरी, 1976 में क्रमशः 73.87 करोड़ रुपये और 80.09 करोड़ रुपये का उत्पादन हुआ था।

(ख) जनवरी, 1975 की तुलना में जनवरी, 1976 में 42 प्रतिशत सुधार हुआ है।

(ग) जी, हां। अप्रैल, 1975—जनवरी, 1976 मे एककों का कुल उत्पादन गत वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में 35 प्रतिशत अधिक था।

(घ) अप्रैल 1975—जनवरी, 1976 में हुआ 557.31 करोड़ रुपये का कुल उत्पादन गत वर्ष की तदनुरूपी अवधि में हुए 412.66 करोड़ रुपये के उत्पादन से 35 प्रतिशत अधिक था। गत वर्ष की तुलना में लगभग सभी एककों के उत्पादन में सुधार हुआ। भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने जो भारी उद्योग विभाग के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र का एक बड़ा उपक्रम है, अप्रैल, 1975–जनवरी, 1976 में 312·43 करोड़ रुपये का उत्पादन प्राप्त करके अपने उत्पादन में 38 प्रतिशत तक सुधार किया। इसी प्रकार अन्य प्रमुख उपक्रमों अर्थात् हैवी इंजीनियरिंग, कारपोरेशन, एच० एम० टी०, एम० ए० एम० सी० और बी० एच० पी० वी० में गत वर्ष की तूलना में उत्पादन में क्रमशः 16 प्रतिशत, 32 प्रतिशत, 37 प्रतिशत, और 76 प्रतिशत तक सुधार हुआ। फ़रवरी, 1976 के उत्पादन के आंकड़े और भी उत्साहवर्द्धक हैं, इस महीने उत्पादन चालू वर्ष में अब तक प्राप्त किए गये पिछले महीनों के सभी उत्पादन के आंकड़ों से अधिक है। जबकि एककों को 1972–73 में 13 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था, 1974–75 मे उन्हे 30.73 करोड़ रुपये का लाभ हुआ और इस वर्ष उनके लगभग 40 करोड़ रुपये का लाभ कमाने की आशा है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

1227. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सार्वजनिक वितरण प्रणाली में दोषों के सम्बन्ध में शिकायतों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या सरकार का सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर नजर रखने के लिये समितियां गठित करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) व (ग). सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कारगर बनाने के प्रक्रम के अंग के रूप में राज्य सरकारों को सलाह दी गई थी कि वे शहरी इलाकों, कमी वाले देहाती इलाकों, पहाड़ी इलाकों, औद्योगिक, बागान तथा खनन कम्पलैक्सेस तथा दूसरे जरूरतमंद इलाकों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बढ़ायें तथा उसका विस्तार करें। इसके अतिरिक्त दिल्ली में जून, 1975 में आवश्यक वस्तुओं

के वितरण की एक आदर्श योजना भी कार्यान्वित की गई है और सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से इस योजना को अपनाने की सिफ़ारिश की गई थी। इस आदर्श योजना की एक मुख्य बात उपभोक्ता आन्दोलन का विकास करना है, जिसमें आवश्यक वस्तुओं के वितरण, खुदरा बिक्री केन्द्रों के पर्यवेक्षण, मिलावट तथा तोल व माप सहित दूसरे कदाचारों की जांच करने के बारे में मुहल्ला/वार्ड स्तरों पर कानूनी अधिकार-प्राप्त समितियां हों जिनमें महिला संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हों।

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटड, सूनाबेडा का विस्तार

1228. **श्री अनादि चरण दास :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, सूनाबेडा के फ़ाउण्ड्री सैक्शन का विस्तार करने का विचार था; और

(ख) यदि हां, तो क्या विस्तार कार्य प्रारम्भ हो गया है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विट्ठल गाडगिल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

फिल्म सेंसर बोर्ड का गठन तथा उसका कार्यकाल

1229. **श्री शंकरराव सामन्त :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिल्म सेंसर बोर्ड के सदस्यों के नाम क्या हैं और उसका कार्यकाल कितना है;

(ख) क्या इस बोर्ड के कार्यकरण के लिये कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं, यदि हां, तो वे क्या हैं;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने भी अपने-अपने सेंसर बोर्ड नियुक्त किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस बोर्ड का कार्य-क्षेत्र क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह): (क) चलचित्र अधिनियम, 1952 और इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार, फिल्म सेंसर बोर्ड का एक अध्यक्ष और केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अधिक से अधिक 9 अन्य सदस्य होंगे और केन्द्रीय सरकार प्रसाद पर्यन्त उसका कार्यकाल तीन वर्ष होगा। बोर्ड का वर्तमान गठन इस प्रकार है :—

(1) श्री वी० डी० व्यास	अध्यक्ष
(2) कु० कुर्रातुलैन हैदर	सदस्य
(3) श्री अनिल धारकर	सदस्य
(4) श्री पी० सी० मैथ्यू	सदस्य

देश की प्रौद्योगिकी सम्बन्धी आवश्यकतायें

1230. **श्री धामनकर :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य जन की बेहतरी के लिये विभिन्न क्षेत्रों में देश की प्रौद्योगिकी सम्बन्धी आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के लिये कोई अध्ययन किया गया है; और

(ख) प्रौद्योगिकी तथा कच्ची सामग्री के आयात के लिये विदेशो पर निर्भर हुए बिना ही हमारे देशीय अनुसन्धान तथा प्रौद्योगिकी देश के विकास में किस हद तक सहायक हो सकते हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी हां, कुछेक अध्ययन किये गये हैं तथा पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति द्वारा विकास हेतु, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोजना की प्रक्रिया का एक प्रयास किया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय योजना (एस०एंड०टी०योजना) को पांचवीं पंचवर्षीय योजना के साथ सन्निकट सम्बद्ध किया गया है। यह योजना (जिसकी एक प्रति पहले ही सभा पटल पर प्रस्तुत की गई थी), विज्ञान और प्रौद्योगिकी को सामान्य जनहित हेतु लागू करने के लिए उपयुक्त कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने, औद्योगिक तथा कृषि उत्पादन में सुधार तथा विभिन्न क्षेत्रों में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए, क्षेत्रों के आधार पर बनाई गई। उन क्षेत्रों को भी अभिनिर्धारित किया गया, जहां ज्ञान के विस्तार तथा प्रसार की शीघ्र आवश्यकता है तथा जहां तकनीकी पहले से उपलब्ध है।

(ख) ऊपरलिखित अनुसंधान एवं विकास के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों में से अधिकांश कार्यक्रम, हमारी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, अनुसंधान तथा ज्ञान के बड़े संस्थानों तथा देश के भीतर अनुसंधान में जुटे हुए संगठनों में, चलाये जायेंगे। आशा की जाती है कि अनुसंधान के परिणामों तथा इन परिणामों के प्रसार से देश के विकास में योगदान मिलेगा। कुछेक कार्यक्रमों, जैसे गोबर गैस संयंत्रों का प्रतिष्ठापन तथा विकसित कम मूल्य आवास तकनीकों से, निकट भविष्य में स्वयंमेव ही प्रभाव पड़ेगा। तथापि यह मान लेना उचित नहीं है कि हम पूरी तरह से परिष्कृत यंत्रों के आयात के बिना निर्वाह कर पायें। संसार के किसी भी अन्य अत्यधिक विकसित अथवा उन्नत देश जैसे इंग्लैंड, अमरीका, रूस तथा जापान की भांति किसी सीमा तक प्रौद्योगिकी का आयात करने की आवश्यकता पड़ेगी।

डी० ए० वी० पी० के विज्ञापन

1231. **श्री सरोज मुखर्जी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन दैनिक समाचारपत्रों को डी०ए०वी०पी० के विज्ञापन देना बन्द करने के लिये कोई नियम बनाया गया है जिन पर केन्द्र सरकार अथवा/और राज्य सरकारों ने पूर्व-सेंसर की शर्त लगाई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : ऐसा कोई नियम नहीं है। तथापि, पूर्व-सेंसरशिप के अन्तर्गत रखे गये समाचारपत्रों को दिये जाने वाले सरकारी विज्ञापनों के प्रश्न पर प्रत्येक मामले के गुणावगुण के अनुसार निर्णय किया जाता है।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य

1232. **श्री राम भगत पासवान** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आपात स्थिति की घोषणा के बाद आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में भारी कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो 1 जुलाई, 1975 और 29 फरवरी, 1976 को थोक सूचकांक क्या था ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) 28 जून, 1975 और 28 फरवरी, 1976 को समाप्त होने वाले सप्ताहों के थोक मूल्य सूचकांक क्रमश: 310.6 और 284.0 थे, जिनसे थोक मूल्यों में 8·5 प्रतिशत की कमी होने का पता चलता है। यह कमी उपभोक्ता मूल्यों में पर्याप्त रूप से परिलक्षित हुई है। औद्योगिक मजदूरों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जून, 1975 में 328 और जनवरी, 1976 में 298 था, जिससे 9·1 प्रतिशत की कमी होने का पता चलता है। इसी अवधि में कृषि मजदूरों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 19·5 प्रतिशत की कमी आयी, क्योंकि जून, 1975 में सूचकांक 375 और जनवरी, 1976 में 302 था।

मत्स्य पालन के बारे में सम्मेलन

1233. **श्री पी० रंग नाथ शिनाय** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1976 में एर्णाकुलम में अखिल भारतीय आधार पर मत्स्य पालन सम्बन्धी सहकारी समितियों का एक सम्मेलन हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में क्या प्रस्ताव रखे गये तथा उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) सम्मेलन की महत्वपूर्ण सिफारिशें अनुबन्ध में दी गई हैं। मत्स्य पालन सहकारी सोसायटियो के ढांचे, सदस्यता और कार्यों तथा उनके कार्मिकों और सदस्यों के प्रशिक्षण से सम्बन्धित सिफारिशें मोटे तौर पर मत्स्य-पालन सहकारी सोसायटियों के विकास के लिये सरकार द्वारा स्वीकृत पहुंच के ढंग पर ही हैं। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, जिसने यह सम्मेलन बुलाया था, दूसरी सिफारिशों, विशेष रूप से उन पर जो मत्स्य पालन सहकारी सोसायटियों को धन देने के बारे में हैं, सम्बन्धित अधिकारियों की सलाह से विचार कर रहा है।

विवरण

एर्नाकुलम में 19 तथा 20 फरवरी, 1976 को हुए सहकारी मत्स्य पालन संबंधी अखिल भारतीय सम्मेलन की महत्वपूर्ण सिफारिशें

ढांचा, सदस्यता तथा कार्य :

सहकारी क्षेत्र में मत्स्य पालन कार्यक्रम का विस्तार करने तथा उसे मजबूत बनाने के लिये संयुक्त प्रयत्न किये जाने चाहिएं। लक्ष्य यह होना चाहिए कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक

सहकारिता के अन्तर्गत कम से कम 50 प्रतिशत मछुवे आ जायें।

2. जहां कहीं आवश्यक हो वर्तमान मत्स्य पालन सहकारी सोसायटियों के पुनर्गठन तथा नयी सहकारी सोसायटियों के गठन का काम हाथ में लिया जाना चाहिए ताकि ये सहकारी सोसायटियां आर्थिक दृष्टि से सक्षम यूनिटों के रूप में कार्य कर सकें और इकट्ठी सेवायें उपलब्ध कर सकें, जिनमें ऋण, प्रोसेसिंग, विपणन, तकनीकी सलाह तथा मार्गदर्शन और दूसरी सेवाएं भी शामिल हैं।

3. विपणन और सप्लाई सम्बन्धी कार्यों के लिए केन्द्रीय स्तर की सहकारी सोसायटियां गठित की जायें/मजबूत बनाई जायें, जिनके अन्तर्गत आन्तरिक संग्रहण बाजार लाये जायें। मत्स्य-पालन सहकारी सोसायटियों के एक राष्ट्रीय स्तरीय फैडरेशन का गठन फिलहाल स्थगित किया जाये।

मत्स्य पालन सहकारी सोसायटियों को राज्य सरकारों की सहायता :

4. मत्स्य पालन सहकारी सोसायटियों का विकास करने का कार्यक्रम मुख्य रूप से राज्य क्षेत्र में आता है, अत: राज्य सरकारों को चाहिए कि वे इन सहकारी सोसायटियों को पर्याप्त बजट, तकनीकी तथा प्रशासनिक सहायता दें। मछली के थोक बाजारों का भी नियमन किया जाये।

5. राज्य सरकारों द्वारा सहकारी मत्स्य पालन सोसायटियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार अंशपूंजी अंशदान दिया जाना चाहिए।

6. राज्य सरकारों को सहकारी/वाणिज्यिक बैंकों से अनुकूल शर्तों पर पर्याप्त मात्रा में कार्यकर पूंजी-ऋण प्राप्त करने में मत्स्य पालन सहकारी सोसायटियों की सहायता करनी चाहिए।

7. सरकार को चाहिए कि वह मत्स्य पालन सहकारी सोसायटियों द्वारा दिया गया बिक्री कर उन्हें अंश-पूंजी, दीर्घकालीन ऋणों आदि के रूप में वापस करें।

वित्तीय संस्थाओं से सहायता :

8. मछुओं को साहूकारों व व्यापारियों के शिकंजे से मुक्त कराने की दृष्टि से सहकारी सोसायटियों के लिए यह जरूरी हैं कि वे उन्हें खर्च तथा नावों और उपकरणों की मरम्मत व रख-रखाव के लिये ऋण दें। इसके लिये भारतीय रिजर्व बैंक से पुनर्वित्त सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहियें।

9. मछुओं को सहकारी सोसायटियों की अंश-पूंजी में अंशदान देने के लिये राज्य सरकारों को रिजर्व बैंक की दीर्घकालीन परिचालन निधि से सहायता मिलनी चाहिए।

10. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में किये गये हाल के संशोधनों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक को चाहिए कि वह मछुओं और उनकी सहकारी सोसायटियों को उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कृषि सहकारी ऋण की तरह ही रियायती दर पर अल्पकालीन/दीर्घकालीन ऋण दें।

11. कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम जैसी वित्तदायी संस्थाओं से धन प्राप्त करने के लिए समेकित सहकारी मत्स्य पालन परियोजनाएं तैयार की जानी चाहिए।

12. मत्स्यपालन सहकारी सोसायटियां के लिये राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा तैयार किये गये वित्तीय सहायता के प्रतिमान को और उदार बनाया जाये।

प्रशिक्षण तथा शिक्षा :

13. मत्स्यपालन सहकारी सोसायटियों के सदस्यों तथा उनके कार्यकर्ताओं के शिक्षण और इन सहकारी सोसायटियों के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए भी प्राथमिकता के आधार पर एक कार्यक्रम तैयार किया जाये और उसे कार्यान्वित किया जाये।]

भारतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं को पुनः आरम्भ करना

1234. **मौलाना इसहाक सम्भली :**

श्री बी० आर० शुक्ल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं को पुनः आरम्भ करने सम्बन्धी प्रस्ताव संसद ने वर्ष 1963 में ही मंजूर कर दिया था परन्तु उसका क्रियान्वयन नहीं किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या भारतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं को पुनः आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (घ). एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

भारतीय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 का अन्य बातों के साथ साथ भारतीय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा के सृजन की व्यवस्था के लिए सितम्बर, 1963 में संशोधन किया गया था। सेवा को 1-2-1969 से गठित करने से संबंधित आदेश अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 2क के अधीन जारी किए गए थे। भर्ती तथा संवर्ग प्रबन्ध के संबंध में मूल नियमों को राज्य सरकारों तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से अन्तिम रूप दे दिया गया था और उन्हें भारत के राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया था। किन्तु अभी तक सेवा के राज्य संवर्गों का गठन करने अथवा उनमें आरम्भिक भर्ती करने के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकी क्योंकि सात राज्य सरकारों अर्थात असम, जम्मू तथा काश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल ने जिन्होंने पहले इस सेवा में शामिल होने की सहमति दे दी थी बाद में सेवा में भाग लेने के लिए अपने विचार बदल दिए अथवा इस सेवा के निर्माण की आवश्यकता के संबंध में अपनी कुछ शर्तों को अभिव्यक्त किया। असहमत राज्य सरकारों के साथ मामला उठाया गया था

और उनसे अनुरोध किया गया था कि वे अधिक राष्ट्र हित में सेवा में भाग लेने के लिए सहमत हों। असम, जम्मू तथा काश्मीर और तामिल नाडू सरकारों ने पुनः विचार करने के बाद भी, सेवा में भाग न लेने के अपने पहले विचार को फ़िर दोहराया। बाकी चार राज्य सरकारें मामले पर अभी पुन-विचार कर रही हैं।

असहमत राज्य सरकारों को सेवा में शामिल होने के लिए राजी करनेहेतु प्रयत्न जारी हैं।

झरिया कोयला क्षेत्र में आग

1235. **श्री मोहम्मद इस्माइल :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बिहार में झरिया कोयला क्षेत्र में भूमि के नीचे लगी आग की ओर दिलाया गया है जिसके कारण करोड़ों टन प्राइम कोकिंग कोल जल कर राख हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). सरकार को बिहार के झरिया कोयला क्षेत्र में भूमिगत आग के बारे में पता है। कोयला कम्पनियों द्वारा इस प्रकार की आग का मुकाबला करने/बचाव करने के लिए नियत उपाय किए जाते हैं। कोयला खान संरक्षण और विकास सलाहकार समिति ने ऐसी आग से निपटने के लिए उपाय सुझाने के संबंध में एक अध्ययन दल नियुक्त किया है।

बहुराष्ट्रीय टायर कम्पनी द्वारा धन का विदेश भेजा जाना

1236. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक विदेशी बहुराष्ट्रीय टायर कम्पनी तकनीकी जानकारी सम्बन्धी शुल्क की प्रतिपूर्ति के आधार पर वर्ष 1965-66 से लेकर वर्ष 1971-72 तक गत वर्षों में काफी बड़ी धनराशि विदेश भेजती रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इस बहुराष्ट्रीय टायर कम्पनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख). चूंकि विदेशी बहुराष्ट्रीय (मल्टी नेशनल) टायर कम्पनी के नाम का अलग से उल्लेख नहीं किया गया है अतः चारों विदेशी टायर कम्पनियों द्वारा तकनीकी जानकारी शुल्क और रायल्टी के रूप में

विदेशों को 1968-69 से 1971-72 तक के वर्षों में भेजी गई रिजर्व बैंक आफ़ इण्डिया द्वारा स्वीकृत राशि सम्बन्धी जानकारी निम्नलिखित है :

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	वर्ष	तकनीकी जानकारी शुल्क	रायल्टी
			(लाख रुपयों में)	
1.	मै० सीट टायर आफ इण्डिया लि०	1968-69	28.94	—
		1969-70	—	—
		1970-71	12.36	—
		1971-72	—	—
2.	मै० डनलप इण्डिया लि०	1968-69	44.05	—
		1969-70	48.03	—
		1970-71	—	—
		1971-72	—	—
3.	मै० फ़ायरस्टोन टायर एण्ड रबड़	1968-69	—	5.58
	कम्पनी आफ़ इण्डिया प्रा० लि०	1969-70	—	5.52
		1970-71	—	9.16
		1971-72	—	—
4.	मै० गुडईयर इण्डिया लि०	1968-69	50.26	—
		1969-70	66.17	—
		1970-71	55.37	—
		1971-72	0.12	28.64

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने बताया है कि इसके पहले के वर्षों की जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

भारतीय विद्युत् परियोजना के लिये आई० डी० ए० से सहायता

1237. **श्री नूरुल हुडा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई० डी० ए० से 1500 लाख डालर की सहायता लेकर बनाई जाने वाली प्रस्तावित भारतीय विद्युत परियोजना कहां पर स्थापित की जायेगी;

(ख) इस संयंत्र की विद्युत प्रजनन क्षमता कितनी होगी ;

(ग) आई० डी० ए० की सहायता की शर्तें और उसे चुकाने का तरीका क्या होगा; और

(घ) निर्माण का कार्यक्रम क्या है ।

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). भारत सरकार ने 150 मिलियन डालर के ऋण के लिए 22-1-1976 को आई० डी० ए० के साथ एक करार किया है यह ऋण पारेषण लाइनों, भूमिगत केबिल, उपकेन्द्र के उपकरणों आदि की सप्लाई और निर्माण के लिए है न कि किसी विद्युत उत्पादन परियोजना के लिए ।

(ग) इस ऋण की अदायगी 50 वर्षों में की जानी है । इस अवधि में 10 वर्ष की रियायती अवधि भी शामिल है और इस ऋण पर कोई ब्याज नहीं है, परन्तु आई० डी० ए० का प्रशासनिक खर्च पूरा करने के लिए इस पर 3/4 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से सेवा-प्रभार देना होगा ।

(घ) आशा है कि यह परियोजना 31 दिसम्बर, 1979 तक पूरी हो जाएगी ।

Blue Films

1238. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the **Minister of Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether there is racketing in blue films in India ;

(b) whether the racket has been operating openly and huge amount of money is being earned illegally by some people ; and

(c) if so, whether Government have taken any steps to check this racket and screening of blue films ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) and (b) . Government have seen reports in this regard.

(c) Necessary advice is being given to State Governments.

Electrification of Adivasi and Harijan areas

†**1239. Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the **Minister of Energy** be pleased to state :

(a) estimated expenditure to be incurred on electrification of Adivasi and Harijan areas under the Minimum Needs Programme in the Fifth Five Year Plan ;

(b) amount of assistance to be given to Madhya Pradesh and Rajasthan, separately ; and

(c) population in the Harijan and Adivasi areas to be benefited thereby ?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad) : (a) In the Draft Fifth Plan, an outlay of Rs. 272.33 Crores has been provided for rural electrification in the country under the Minimum Needs Programme. The Loan Assistance to the State Electricity Boards under this programme is routed through the Rural Electrification Corporation Ltd. The Corporation has ear-marked Rs. 71·22 Crores for schemes in Tribal Areas. The actual sanction of the Loan Assistance will, however, depend on the availability of funds and the number of schemes sponsored by the State Electricity Boards in accordance with the norms and viability criteria laid down by the Corporation.

No separate provision has been made in the Draft Fifth Plan for Rural Electrification in Harijan Basties. However, whenever any villages are electrified for general purposes the Harijan Basties adjoining them are also provided with street light facilities.

(b) The amounts allocated for rural electrification in Tribal Areas in Draft Fifth Plan under the Minimum Needs Programme for Madhya Pradesh and Rajasthan are Rs. 20 crores and Rs. 4 crores respectively.

(c) About 1·47 crores of Tribal population is expected to be benefited by electricity under the Minimum Needs Programme in the Fifth Plan.

Villages likely to be covered by Television net work during Fifth Plan

1240. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) number of villages served by T. V. set-work at present ;

(b) number of villages proposed to be covered by the end of Fifth Plan ; and

(c) names of the regions, together with the total number of villages, in Madhya Pradesh and Rajasthan proposed to be covered during the above period (excluding villages in Madhya Pradesh covered by SITE) ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) (i) No. of villages covered by terrestrial transmitter . . 18,673

(ii) No. of villages covered through Satellite 2,315

(b) 55,793 villages

(c) (i) *Madhya Pradesh* :

In Raipur and surrounding areas, 320 villages, excluding 80 villages now covered by TV Satellite Programme.

(ii) *Rajasthan* :

In Jaipur and surrounding areas, 4104 villages excluding 296 villages now covered by TV Satellite Programme.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद

1241. **श्री मधु दण्डवते :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत समय से अनिर्णीत पड़े कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा विवाद को हल करने के लिये महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने पुनः प्रयत्न किये थे ;

(ख) यदि हां, तो इन प्रयत्नों के क्या परिणाम निकले; और

(ग) सीमा विवाद का हमेशा के लिये निबटारा किस निश्चित समय तक हो जायेगा ।

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग). इस विवाद का कोई सन्तोषजनक हल निकालने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं और इस अवस्था में कोई ब्यौरे देना अथवा कोई समय सीमा निर्धारित करना उचित नहीं होगा ।

क्षेत्र प्रचार एककों का विस्तार

1242. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषकर पर्वतीय और पिछड़े राज्यो में, जहां दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित नहीं हो रहे हैं, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम की क्रियान्विति में जनता का प्रभावकारी योगदान सुनिश्चित करने के लिये वर्तमान क्षेत्र प्रचार एककों में कर्मचारियों की संख्या बढाने तथा उनका विस्तार करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का विस्तार करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख). जी हां। पांचवीं योजना अवधि के दौरान कुछ नये एकक स्थापित करने का प्रस्ताव है । नये एकक स्थापित करते समय पिछड़े क्षेत्रों को जिनमें पर्वतीय क्षेत्र भी शामिल है, प्राथमिकता दी जाती है। 1975-76 के दौरान चार नये एकक स्थापित किये गये और पांच नये एकक 1976-77 के दौरान स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

Setting up of a Television Centre in Madhya Pradesh

1243. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government have taken a decision in regard to the setting up of a television centre in Madhya Pradesh ;

(b) if so, facts thereof; and

(c) time by which it is likely to start functioning?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) and (b). A Television transmitting station is proposed to be installed at Raipur to provide continuity of service to some of the SITE villages after the ATS-6 satellite is withdrawn with effect from 1st August, 1976.

(c) The transmitter is likely to be commissioned in early 1977.

Small Scale Industries

1244. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(a) whether Government of Madhya Pradesh have formulated some comprehensive schemes for the development of small scale industries in the State ;

(b) if so, salient features of these schemes ;

(c) whether some financial assistance has been sought from the Central Government for the purpose; and

(d) if so, Government's decision thereon?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri A. P. Sharma) : (a) Yes, Sir.

(b) The main schemes for development of small scale industries in Madhya Pradesh outlined in their draft Annual Plan proposals for 1976-77 are :

1. Investment in the share capital of Madhya Pradesh Laghu Udyog Nigam.
2. Loans under State Aid to Industries Act.
3. Subsidy under State Aid to Industries Act.
4. Power Subsidy.
5. Interest subsidy to Institutional Financing Agencies.
6. Inplant Training.
7. Testing quality, marking and marketing assistance.
8. Establishment of Leather Development Corporation.
9. Loan for Working Capital to M.P. Laghu Udyog Nigam.
10. Loans to M. P. Laghu Udyog Nigam for supply of machines on hire-purchase.
11. Training programme—study tours institutional training and refresher courses for officials and non-officials.
12. Export house including award of prizes to exporters.
13. Supervisory staff for looking after un-employment programme.
14. Administration for management of ancillary industrial estates at Sehore and Jabalpur.
15. Tool room for Ancillary Industrial Estate at Sehore.
16. Contribution to National Productivity Council.
17. Creation of Plan Evaluation and Statistical Cell in the Directorate of Industries.
18. Industrial Co-operatives.
19. Industrial Estates.

(c) and (d). Under the Annual Plan for 1976-77 the State Government of Madhya Pradesh proposed an outlay of Rs. 47·74 lakhs for small scale industries and Rs. 14·29 lakhs for industrial estates. The Working Group on Village & Small Industries has approved an outlay of Rs. 51·00 lakhs for small scale industries and Rs. 14·00 lakhs for industrial estates. The block assistance from the Centre to the State in the form of loans and grants will take into account the expenditure incurred by the State Government on the approved schemes.

Projects for Development of Adivasi Backward Areas

1245. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) names of places, specially in Madhya Pradesh, where pilot projects for the development of Adivasi backward areas of the country have been undertaken ; and

(b) expenditure to be incurred thereon, project-wise during the Fifth Five Year Plan ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri I. K. Gujral) : (a) & (b). The names of places including those in Madhya Pradesh where pilot projects for the development of Adivasi backward areas of the country have been undertaken and the outlays available for these projects during the Fifth Plan area as follows :—

(Rs. in Lakhs)

Sl. No.	State/Project	Release of grants during IV Plan	Funds available for V Plan
	ANDHRA PRADESH		
1.	Srikakulam	78·00	122·00
	BIHAR		
2.	Singhbhum	65·00	135·00
	MADHYA PRADESH		
3.	Dantewada	40·00	160·00
4.	Konta	40·00	160·00
	ORISSA		
5.	Ganjam	109·00	91·00
6.	Koraput	108·00	92·00
7.	Keonjhar		200·00
8.	Phulbani	...	200·00

Stock of Newsprint in Nepa Mills in Madhya Pradesh

1246. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(a) whether large stock of newsprint has accumulated in Nepa Mills of Madhya Pradesh and it is getting damaged day by day; and

(b) if so, action being taken by Government to dispose it of ?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri B. P. Maurya) : (a) & (b). Owing to large availability of imported newsprint and consequent slow lifting of the Nepa Newsprint, considerable stocks of newsprint, particularly of non-standard size and reject grade had accumulated in the Nepa Mills. With a view to remedying the situation, the following steps were taken :—

1. The import of newsprint was stopped for some time.
2. Nepamills have been allowed to sell non-standard sized newsprint and rejects of newsprint in the open market.
3. The high sea sales of imported newsprint were stopped.
4. The quote of lifting of Nepa newsprint has been increased to 25%.
5. The Newsprint Control Order has been amended to reduce the validity period of allocation orders of newsprint made by the Registrar of Newspapers of India from 6/12 months to 3/6 months at the discretion of the Registrar of Newspapers of India.

As a result of these steps there has been improvement by the situation.

निर्यात के लिये निर्धारित कोयले का निर्यात

1247. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष उत्पादित सम्पूर्ण कोयले के लिये तात्कालिक बाजार ढूंढ लिया गया है ;

(ख) फरवरी, 1976 के अन्त तक कोयला खान के मुहानों में कितना स्टाक जमा था तथा फरवरी, 1975 के अन्त तक की तुलना में इसकी स्थिति क्या है ; और

(ग) निर्यात के लिये कोयले की कितनी मात्रा निर्धारित की गई है तथा किन-किन देशों को निर्यात किया जायेगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी नहीं । चालू वर्ष के दौरान कोयले के खान मुहाना स्टाक में लगभग 40 लाख टन की वृद्धि हुई है ।

(ख) तुलनात्मक स्टाक आंकडे निम्नलिखित हैं :–

फरवरी 1976 के अन्त तक . . .	103.40 लाख टन
फरवरी 1975 के अन्त तक . .	70.30 लाख टन

(ग) 1975–76 के दौरान संभावित निर्यात इस प्रकार है :–

बंगला देश	3.5 लाख टन
नेपाल . . .	बहुत कम
बर्मा	0.8 लाख टन
. . . . जोड़	4.3 लाख टन

इन देशों के अलावा निर्यात 1976-77 के दौरान कुछ अन्य देशों को भी कोयले का निर्यात करने के उपाय किये जा रहे हैं ताकि लगभग 15.00 लाख टन कोयले का निर्यात किया जा सके ।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन

1248 **श्री भान सिंह भौरा** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन को अनेक वर्षों तक लगातार घाटे में रहने के उपरान्त इस वर्ष कुछ लाभ होगा; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) भारी इंजीनियरी निगम लिमिटेड को 1975-76 की अवधि में लाभ-हानि रहित स्थिति में अथवा मामूली लाभ कमाने की स्थिति में पहुंच जाने की आशा है।

(ख) यह अनुमान इस आधार पर लगाया गया है कि एच० ई० सी० इस वर्ष 106 करोड़ रुपये का कुल उत्पादन प्राप्त कर लेगा।

गैस युक्त खानों में सुरक्षा उपाय

1249. **श्री सरजू पाँडे** : क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड ने गैसयुक्त खानों में सुरक्षा उपायों की जांच करने के लिए एक अध्ययन दल का गठन किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस दल ने क्या सुझाव दिये थे तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी नहीं। परन्तु भारत सरकार के कोयला विभाग ने राष्ट्रीयकृत कोयला खानों में सुरक्षा के सम्पूर्ण प्रश्न की जांच हेतु एक सुरक्षा समिति गठित की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को मधुबन्द कोयला खान में मरे व्यक्तियों को मुआवजा

1250. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन तीन खनिकों के शोकाकुल परिवारों को क्या मुआवजा दिया गया है जो भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को मधुबन्द खान की छत का एक हिस्सा गिरने के कारण मारे गए थे?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : भारत कोकिंग कोल लि० की मधुबन्द कोयला खान में 18 फरवरी, 1976 को हुई दुर्घटना के फलस्वरूप मारे गए 3 खनिकों के शोकाकुल परिवारों को मुआवजा कामगार मुआवजा अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुसार दिया जाएगा।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण

1251. **श्री शशि भूषण** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं का समान वितरण करने के लिये एक नई योजना शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं तथा इसमें कितना खर्चा आयेगा?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा तैयार की गई योजना की खास-खास बातें अनुबन्ध में दी गई हैं। साथ में वित्तीय सहायत का पैटर्न तथा दूसरी वित्त सम्बन्धी बातें भी दी गई हैं। निगम का वर्ष 1975–76 और 1976–77 के दौरान इस योजना के कार्यान्वयन के लिये लगभग 200 लाख रु० की कुल वित्तीय सहायता का विचार है।

विवरण

वर्ष 1975-76 और 1976-77 में देहाती इलाकों में उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण के लिए सहायता देने की राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की प्रायोजित योजना

हाल में हुई विशेष बातों और आर्थिक विकास के 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत दिये गये मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों को देखते हुये सहकारी ग्रामीण आपूर्ति की प्रणाली को जल्द विकसित करना आवश्यक हो गया है। सहकारिता सम्बन्धी पांचवीं योजना कार्यकारी दल ने यह सिफारिश भी की थी कि सहकारी सोसायटियों के अन्तर्गत ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र लाने, विपणन सोसायटियों को उपभोज्य उपभोज्य वस्तुओ के व्यापार में वृद्धि करने के लिये मजबूत बनाने और बहुत सी कृषि सेवा सोसायटियों की आवश्यक वितरण के लिये उचित मूल्य की दुकानें/खुदरा दुकानें खोलने के लिये प्रोत्साहित करने की ओर प्रयत्न केन्द्रित किये जाने चाहियें।

2. इस कार्यक्रम को गति देने के लिये राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने चुनी प्राथमिक विपणन सोसायटियों और ग्रामीण सेवा सहकारी सोसायटियों के माध्यम से ग्रामीण उपभोक्ता आन्दोलन को बढ़ाने के प्रयोजन के लिये सहायता देने की एक योजना तैयार की है।

योजना के उद्देश्य :

3. इस योजना के मुख्य उद्देश्य ये हैं :

प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर के वर्तमान सहकारी ढांचे के माध्यम से ग्रामीण उपभोक्ता व्यापार के विकास को प्रोत्साहन देना तथा सहायता पहुंचाने, ताकि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में पूरे देश द्वारा देहाती इलाकों में कुल सहकारी उपभोक्ता व्यापार को 600 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जाये और देहाती इलाकों में उपभोक्ता वस्तुओं की सप्लाई का एक प्रभावी तथा नियमित माध्यम निर्मित किया जाये।

परियोजनाएं तैयार करना :

4. परियोजनाओं के रूप में विकास करने की परिकल्पना की गई है प्रत्येक परियोजना में 20 से 25 तक प्राथमिक सेवा सोसायटियां होंगी, जो सम्बन्धित इलाकों की विशेष परिस्थितियों के अनुसार प्राथमिक विपणन सोसायटी या थोक उपभोक्ता भण्डार या राज्य सहकारी उपभोक्ता फडरेशन की किसी शाखा से माल की आपूर्ति के प्रयोजन के लिये सम्बद्ध होंगी। परियोजनाओं इलाकों का चुनाव करते समय उन इलाकों को प्राथमिकता दी जाये जहां इस समय उपभोक्ता कार्यकलाप बहुत कम हैं। शुरू में उन इलाकों को नहीं लिया जाये जहां सहकारी सोसायटियां उपभोक्ता व्यापार के बारे में अच्छा काम कर रही हैं।

सोसायटियों का चयन :

5. चयन प्रत्येक मामले की पात्रता के आधार पर किया जाये जिसमें सोसायटियों की सामान्य स्थिति, उनकी वर्तमान प्रबन्ध क्षमता तथा उपभोक्ता व्यापार आरम्भ करने का विस्तार करने की उनकी क्षमता को ध्यान में लिया जाये। चयन के समय जनजाति, पहाड़ी व दूसरे अल्प विकसित इलाकों और कमी वाले क्षेत्रों में स्थित सोसायटियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

वित्तीय सहायता :

6. इस योजना के कार्यान्वयन के लिये राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा 1975-76 तथा 1976-77 के वर्षों में निम्न प्रकार सहायता दी जायेगी :—

(1) सोसायटी को पर्याप्त मात्रा में बैंक वित्त जुटाने के लिये अतिरिक्त अंश पूंजी के रूप में उपान्त धन (मार्जिन मनी) की सहायता दी जायेगी। यद्यपि, निर्धारित कार्यक्रम तथा विकास क्षमता के अनुसार प्रत्येक परियोजना के लिये सहायता की राशि भिन्न-भिन्न मात्रा में होगी, तथापि प्रत्येक सोसायटी के लिये अनुमानित औसत सहायता 50,000 रुपये होगी।

(2) यदि, परियोजना तैयार करते समय अप्रधान सोसायटी के लिये यह जरूरी समझा जायेगा कि तुरन्त सप्लाई सुनिश्चित करने की दृष्टि से उसके पास परिवहन की अपनी व्यवस्था हो तो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (75 : 25 के अनुपात से) ऋण व आर्थिक सहायता के रूप में प्रति टैम्पो 24000 पये की अनुमानित लागत पर एक टैम्पो खरीदने के लिये सहायता दे सकता है।

(3) यदि अप्रधान सोसायटी प्राथमिक विपणन सहकारी सोसायटी है और वह विशेषकर देहाती इलाकों से आने वालों के लाभ के लिए मण्डी स्तर पर एक खुदरा बिक्री केन्द्र खोलना चाहती है तो प्रति सोसायटी 12,000 रुपये की दर से फर्नीचर, फिक्सचर और फिटिंग के लिये (75 : 25 के अनुपात से) ऋण व आर्थिक सहायता दी जा सकती है।

7. प्राथमिक सेवा सोसायटियो के बारे में राज्य सरकारों से यह आशा की जाती है कि वे उनके वित्तीय आधार को पर्याप्त रूप से मजबूत बनायें, ताकि वे देहाती इलाकों में आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं का फुटकर व्यापार कर सकें। इस प्रयोजन के लिये भारतीय रिजर्व बैंक की दीर्घकालीन परिचालन निधि में से पर्याप्त सहायता उपलब्ध है और उसका उपयोग किया जाना चाहिये। परन्तु, यदि यह पाया जायेगा कि किसी प्राथमिक सेवा सोसायटी को एक आधुनिक ढंग की खुदरा दुकान की आवश्यकता है, तो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम फर्नीचर तथा फिक्सचर के लिये ऋण व आर्थिक सहायता के रूप में (75 : 25 के अनुपात से) सहायता दे सकता है। परन्तु प्रति सोसायटी औसत लागत 5000 रुपये से अधिक नहीं होगी। प्राथमिक सोसायटियां राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से उसके देहाती गोदामों को सहायता के सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत गोदामों के निर्माण के लिये भी सहायता ले सकती है।

कुल वार्षिक बिक्री :

8. सामान्यतया परियोजना क्षेत्र की प्राथमिक सेवा समिति की प्रतिवर्ष लगभग 50,000 रुपये की आवश्यक उपभोज्य वस्तुओं का वितरण करने का प्रयास करना चाहिये । परियोजना की माध्यमिक सोसायटी को इस आधार पर प्रतिवर्ष लगभग 7.5 लाख रुपये की बिक्री करनी चाहिये । यह कम से कम बिक्री होनी चाहिये, जो प्राथमिक सेवा सोसायटियों तथा विपणन सहकारी सोसायटियों को करनी चाहिये और व्यापार में यथाक्रम वृद्धि करने का प्रयास करना चाहिये ।

सप्लाई व्यवस्था :

9. गांवों में खुदरा दुकानों से सप्लाई की जाने वाली वस्तुओं का चयन करने के लिये सावधानी बरतनी होगी । इसके लिये इस बात का ध्यान रखना होगा कि उस इलाके में किस प्रकार की वस्तुओं की खपत है कम चलने वाली तथा तथा विलासिता की वस्तुयें नहीं रखी जायें । मुख्य रूप से कपड़ा, चीनी, वनस्पति, चाय, नमक, दियासलाइयां, मिट्टी का तेल, खाने के तेल, खाद्य वस्तुयें, ड्राई बैटरी सैल, छात्रों के लिये कागज व लेखन सामग्री आदि जसी आवश्यक वस्तुयें ही चुनी जायें । इस योजना की सफलता स्पष्टत: इस बात पर निर्भर करेगी कि खुदरा केन्द्रों (डिपो) की माल की नियमित सप्लाई हो । राज्यों में इस समय कतिपय उपभोज्य वस्तुओं की सप्लाई पर राज्योंमें विभिन्न विभागों/संस्थाओं का नियन्त्रण है, जिनमें ये शामिल हैं--राज्य नागरिक पूर्ति विभाग/राज्य खाद्य/नागरिक पूर्ति/आवश्यक वस्तु निगम राज्य स्तरीय सहकारी फैडरेशन तथा कुछ दूसरे संगठन । चूंकि इस योजना की सफलता के लिये नियमित रूप से माल की सप्लाई होते रहना बहुत ही जरूरी है, अत: राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा इस योजना के अन्तर्गत किसी परियोजना की मंजूरी देने से पहले इस योजना में सम्बन्धित पूर्ति संगठनों को शामिल करना होगा और चुनी सहकारी सोसायटियों को नियमित रूपसे उपभोक्ता वस्तुओं की सप्लाई करने के बारे में उनको पूर्ण सहयोग सुनिश्चित करना होगा ।

उचित मूल्यों की दुकानों का आवंटन :

10. ऐसे स्थानों में जहां उचित मूल्य की दुकानें भी खोली गई हैं, वहां ये दुकानें चुनी सोसायटियों को चलाने के लिये सौंपी जायें ।

सहायता का प्रतिमान तथा तरीका :

1. सामान्यतया, परियोजना बनाते समय ऊपर बताए गये प्रतिमान को ध्यान में रखा जायेगा, परन्तु स्थानीय परिस्थिति के अनुसार ऊपर बतायी गई पद्धति के अलावा सहायता दिये जाने की बात पर राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा प्रत्येक मामले की पात्रता के आधार पर विचार किया जा सकता है ।

12. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम राज्य सरकारों को इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता मंजूर करेगा और वे यह सहायता चुनी सोसायटियों को देंगी ।

आर्य भट्ट की 1500वीं जन्म-शताब्दी मनाना

1252. **श्री शशि भूषण :** क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्य भट्ट की 1500वीं जन्म शताब्दी, जो वर्ष 1976 में होगी, मनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) प्रस्तावित समारोहों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

आर्य भट्ट के प्रस्तावित 1500वीं जन्म शताब्दी समारोह का ब्यौरा

भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली के तत्वावधान में आर्यभट्ट के 15वें शताब्दी समारोह का कार्यक्रम नीचे दिया जा रहा है :—

(1) निम्नलिखित चार अधिवेशनों में दो दिन की संगोष्ठी :

अधिवेशन—1 आर्य भट्ट के समय में गणित तथा खगोल-विज्ञान के इतिहास के नाजुक प्रश्न।

अधिवेशन—2 आर्यभट्ट के समय में विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में गणित तथा खगोल-विज्ञान।

अधिवेशन—3 आर्यभट्ट युग की शिक्षा प्रणाली तथा भारतीय खगोल-विज्ञान का विकास।

अधिवेशन—4 भारत के कलासिकी युग में विज्ञान और समाज। उक्त संगोष्ठी में कई भारतीय विद्वान् भाग लेंगे। इसके अलावा मध्य-पूर्वी तथा पश्चिमी देशों और सम्भवतः जापान से खगोल-विज्ञान तथा गणित के कुछ इतिहासकारों के भाग लेने के लिए भी प्रबन्ध किए जा रहे हैं।

(2) समारोह के उद्घाटन दिवस पर आर्यभट्ट के जीवन तथा कार्यों के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रकाशन निकाले जाएंगे :

तीन खण्डों में लगभग दो हजार पृष्ठों में आर्य भटिया का समालोचनात्मक संस्करण।

(1) अंग्रेजी अनुवाद प्राक्कथन, टीका सहित आर्यभटिया का संस्कृत मूलपाठ,

(2) आर्य भटिया पर भास्कर का भाष्य 2 और

(3) समालोचनात्मक प्रस्तावना टिप्पणी आदि सहित **आर्य भटिया** पर सूर्यदेव यज्वन् की टीका।

समारोह के अन्तर्गत आर्य भट्ट के कार्यों पर हिन्दी में एक पुस्तक तथा खगोल-विज्ञानी के जीवन पर अंग्रेज़ी में एक पुस्तिका भी मुद्रित तथा प्रकाशित की जाएगी।

(3) हमारे कुछ विश्वविद्यालयों में भारतीय खगोल-विज्ञान के इतिहास पर कुछ व्याख्यान आयोजित करने के सुझाव पर भी विचार किया जा रहा है।

(4) आर्यभट्ट की स्मृति में एक डाक टिकट निकालने के सुझाव पर विचार किया जा रहा है।

(5) सामान्यतः भारतीय खगोल-विज्ञान के इतिहास तथा विशेषतया आर्य भट्ट के इतिहास पर कुछ टी० वी०/रेडियो कार्यक्रम आयोजित करने पर विचार किया जा रहा है।

ऊपर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी को आर्यभट्ट का 15वां जन्म शताब्दि समारोह आयोजित करने के लिये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यथेष्ट धनराशि प्रदान करेगा।

बिहार में ऋण समाप्त करने सम्बन्धी अध्यादेश

1253. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमान्त किसानों के ऋण समाप्त करने सम्बन्धी अध्यादेश जो बिहार के राज्यपाल द्वारा उद्घोषित किया जाना है का प्रारूप नवम्बर 1975 से राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए पड़ा हुआ है; और

(ख) यदि हां तो इस मामले में विलम्ब के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कोलतार को गैसोलीन में बदला जाना

1254. **श्री रघु नन्दन लाल भाटिया** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनबाद के निकट स्थित केन्द्रीय ईंधन अनुसन्धान संस्थान के प्रायोगिक संयंत्र में कोलतार को गैसोलीन में बदलने के लिये कोई कदम उठाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय ईंधन अनुसन्धान संस्थान के वाहनों को पम्प से निकाले हुये पैट्रोल के स्थान पर इस गैसोलीन से चलाया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बात क्या हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) से (ग). केन्द्रीय ईंधन अनुसन्धान संस्थान (सी० एफ़० आर० आई०) में किया गया कार्य कोलतार को गैसोलीन में बदलने से नहीं बल्कि कैरोसीन (मिट्टी के तेल) और डीजल में परिवर्तन करने से सम्बन्धित है ।

प्रयोगशाला के कार्य को बढाने के लिये दृष्टिकोण से यह प्रस्तावित किया गया है कि संस्थान के निम्न तापीय कारवनीकरण (एल० आई० सी०) संयंत्र जिसकी उत्पादन क्षमता 100 लीटर प्रति दिन है, से प्राप्त (टार) तारकोल का प्रयोग कर प्रायोगिक संयंत्रको चलाया जाये । इसको विशेष रूप से परीक्षण करने के रूप में एक महीने तक निरन्तर जारी रखा जाये जिससे पर्याप्त मात्रा में डीजल ईंधन के परीक्षणकर्ताओं द्वारा पूर्ण मूल्यांकन और सही तौर पर प्रयोग के लिए उत्पादन दिया जा सके । इन परीक्षणों में सी० एफ़० आई० आश० की डीजल गाड़ियों का चलना भी शामिल है ।

विदेशी धन का आगमन

1255. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में विदेशी धन के आगमन के बारे में जांच करने के लिये कोई स्पेशल सैल बनाया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता):(क) तथा (ख). अवैध मार्गों द्वारा देश में विदेशी धन के आगमन पर कार्यवाही करने के लिये प्रवर्तन निदेशालय में एक स्पैशल सैल कार्य कर रहा है ।

गैर-सरकारी जासूसी एजेंसियां

1256. श्री शशि भूषण : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी गर-सरकारी जासूसी एजेंसियां कार्यकर रही हैं और इनमें से कितनी ऐजेंसियां का अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क है ; और

(ख) व्यापक राष्ट्रीय हित में इनकी गतिविधियां को नियंत्रित करने तथा इनकी रोक-थाम के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) सरकार को ऐसी 57 एजेंसियों की जानकारी है, जिनमें से समझा जाता है कि किसी का अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क नहीं है ।

(ख) अभी तक ऐसी कार्यवाहियां की आवश्यकता महसूस नहीं की गई है ।

उपग्रह शिक्षण टेलीविजन परीक्षण

1257. **श्री शशि भूषण :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपग्रह शिक्षण टेलीविजन परीक्षण के प्रभाव का अध्ययन करने के लिये संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान के अन्तर्गत गत माह विकासशील राष्ट्रों के एक दल ने भारत की यात्रा की थी;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिये राष्ट्रमण्डलीय देशों के एक अन्य दल ने भी हाल ही में भारत की यात्रा की है ; और

(ग) इन दोनों अध्ययन दलों की प्रतिक्रिया क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां । विकासशील देशों के विशेषज्ञों का एक दल उपग्रह शैक्षिक दूरदर्शन प्रयोग परियोजना के आयोजन, संगठन और कार्यान्वयन का अध्ययन करने के लिये जनवरी, 1976 में भारत आया था ।

(ख) उपग्रह शक्षिक दूरदर्शन प्रयोग का अध्ययन करने के लिये कामनवैल्थ ब्राड-कास्टिंग एसोसिएशन के तत्वावधान में राष्ट्रमण्डल देशों का एक दल अप्रैल, 1976 में भारत आ रहा है ।

(ग) विकासशील देशों का जो दल जनवरी, 1976 में भारत आया था, यद्यपि उसकी प्रतिक्रियाओं के बारे में आकाशवाणी में कोई औपचारिक पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, तथापि, दिल्ली के उनके दौरे के दौरान दल के सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये सामान्य विचारों से ऐसा लगता था कि वे उपग्रह शैक्षिक दूरदर्शन प्रयोग से प्रभावित थे ।

Cases of Freedom Fighters getting Pension on Bogus grounds

1258. **Shri Ram Bhagat Paswan :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that many persons are getting political pension on the basis of bogus and wrong statements;

(b) whether Government propose to appoint a district level committee under the Chairmanship of a Senior Government Officer to go into the cases of persons receiving pension on bogus grounds; and

(c) whether Government propose to get all the applications examined by a high level Government Committee to withhold bogus pension and if so, by what time ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) Some complaints have been received in this regard.

(b) and (c). Complaints of sanction of pension on the basis of bogus and wrong statements are investigated with the help of the State Government/Union Territory Administration concerned. The setting up of any special machinery all over the country is not considered necessary. However, a State Government is not precluded from setting up a committee to make enquiries when a complaint embraces a very large number of cases.

दार्जिलिंग में घड़ियाँ बनाने का कारखाना

1259. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल) में घड़ियां बनाने के कारखाने की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस कारखाने में घड़ियों का उत्पादन किस तारीख तक शुरू हो जाने की सम्भावना है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग). हिमट् प्रति वर्ष 30 लाख में घड़ी की क्षमता का विस्तार करने का कार्य कर रहा है। पुर्जे जोड़कर घड़ियां तैयार करने वाले एकक विभिन्न केन्द्रों में स्थापित किये जायेंगे । विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इस अवस्था में तारीख बता सकना सम्भव नहीं है ।

टायरों का उत्पादन

1260. **श्री बयालार रवि** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डनलप, गुडइयर, फ़ायरस्टोन तथा सिएट द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान मोटर-गाड़ियों के कितने टायरों का उत्पादन किया गया और यह उत्पादन स्वीकृत क्षमता से कितना अधिक है ;

(ख) क्या गत पांच वर्षों में इन कम्पनियों को अपना विस्तार करने की अनुमति दी थी ; और

(ग) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) :

(क) मोटर गाड़ियों के टायर

एकक का नाम	स्वीकृत क्षमता (संख्या)	उत्पादन		
		1973	1974	1975
डनलप :				
कलकत्ता एकक	1,141,000	1,126,407	1,066,284	1,138,204
अम्बातुर एकक	580,000	507,066	720,579	637,405
गुडइयर	600,000	613,626	632,299	608,359
फ़ायर स्टोन	1,100,000	931,699	935,426	870,730
सीएट	850,000	673,096	617,226	752,353

कम्पनियों में उत्पादन स्वीकृत क्षमता और 25 प्रतिशत की अनुमति प्राप्त सीमा जहां कहीं भी वह लागू हैं, के अन्दर ही हुआ है ।

(ख) और (ग). मैसर्स डनलप, फ़ायरस्टोन और सीएट कम्पनियों को उनकी विद्यमान क्षमता के पूर्व उपयोग के लिये 1973 में मंजूरी दी गई थी। मोटर गाड़ियों के टायर और ट्यूब बनाने हेतु पर्याप्त विस्तार करने के लिये 1973 में मैसर्स डनलप, गुडइयर और सिएट कम्पनियों को आशय पत्र दिये गये हैं। स्वीकृतियो/आशयपत्रों का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

एकक का नाम	क्षमता का उपयोग		विस्तार	
	स्वीकृति पत्र के जारी होने की तारीख	क्षमता (संख्या)	आशयपत्र के जारी होने की तारीख	क्षमता (संख्या)
डनलप	30-4-1973	272,100	16-4-1973	200,000
गुडइयर	..	..	6-8-1973	250,000
फ़ायरस्टोन	24-11-1973	425,500	..	..
सिएट	1-10-1973	200,000	31-12-1973	160,000

उपग्रह शिक्षण टेलीविजन परीक्षण (साईट) कार्यक्रमों का मूल्यांकन

1261. **श्री नरेन्द्र कुमार साँघी :**
श्री राजदेव सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपग्रह शिक्षण टेलीविजन परीक्षण (साइट) के अन्तर्गत दिखाये गये टेलिविजन कार्यक्रमों का कोई मूल्यांकन किया गया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) क्या कृषि विकास सम्बन्धी कार्यक्रम ग्रामवासियों द्वारा पूरी तरह से अपनाये जा रहे हैं ; यदि नहीं, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) सरकार का विचार ऐसे कार्यक्रमों में और अधिक क्षेत्रों को क्रमबद्ध ढंग से कब तक शामिल करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी हां। अन्तरिक्ष विभाग के भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन ने स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, अहमदाबाद में एक अनुसन्धान और मूल्यांकन सैल की स्थापना की है। यह सैल, अन्य बातों के साथ साथ, कार्यक्रमों के बारे में दर्शकों के विचार, जनता पर उनका प्रभाव और उनके देखे जाने की स्थितियों के स्वरूप, आदि के बारे में जानकारी प्रदान करने की दृष्टि से प्रक्रिया मूल्यांकन करता है। यह सैल फ़ीडबैक कार्यक्रमों के अंग के रूप में यह जानने के लिये सर्वेक्षण करता है कि कार्यक्रम कितने समझ में आते हैं, उनकी उपयोगिता कितनी है, वे कितने लोकप्रिय हैं और उपग्रह शैक्षिक दूरदर्शन प्रयोग के अन्तर्गत आने वाले गांवों में किन विशिष्ट कार्यक्रमों की आवश्यकता है।

(ख) जी, हां ।

(ग) 1 अगस्त, 1976 से ए० टी० एस०-6, उपग्रह वापस ले लिये जाने के बाद उपग्रह शैक्षिक दूरदर्शन प्रयोग के अन्तर्गत आने वाले लगभग 40 प्रतिशत गांवों में स्थलीय ट्रांसमीटरों के माध्यम से कार्यक्रम जारी रखने का प्रस्ताव है । उम्मीद है इस प्रयोजन के लिये ट्रांसमीटर 1977 के आरम्भिक भाग में चालू हो जायेंगे ।

Participants in Talks Broadcast From Patna Station of A. I. R.

1262. Shri Ramavatar Shastri: Will the **Minister of information and Broadcasting** be pleased to state;

(a) names of persons who participated in the talks broadcast from Patna Station of All India Radio during the period from 18th March, 1974 to 20th March, 1976; and

(b) whether the participants also include persons supporting Rashtriya Swayam Sewak Sangh, Jan Sangh, Anand Marg and Jayaprakash movement?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha):

(*a*) The required information is being collected and will be laid on the table of the House.

(b) Persons with knowlegde and understanding of particular subjects are invited to broadcast talks over A. I. R. Special care is now being taken not to invite any person to broadcast programmes who belongs to a banned organisation.

Changes made in system of Examinations held for Recruitment to I. A. S. and I. P. S.

1263. Shri Ramavatar Shastri : Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) whether Government have decided to make changes in the system of examinations held for recruitment to I. A. S. and I. P. S.;

(b) if so, main features thereof;

(c) reasons for the change ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs; Department of Personnel and Administrative Reforms and Deptt. of Parliamentary Affairs (Shri Om Mehta) :

(a) No, Sir.

(b) & (c) Do not arise.

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत गाँवों में बनाई गई सड़कें

1264. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में प्रत्येक राज्य में न्यूनतम-आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत गांवों में बनाई गई सड़कों की कुल लंबाई क्या है ; और

(ख) कार्यक्रम की क्रियान्विति में धीमी गति के यदि कोई कारण हैं, तो वे क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल): (क) और (ख) : राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्रों से सूचना एकत्र की जा रही है ।

क्वार्टज क्रिस्टल का उत्पादन

1265. **श्री बरके जार्ज** : क्या **इलेक्ट्रोनिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य इलेक्ट्रोनिक्स विकास निगम ने क्वार्टर्ज क्रिस्टल के उत्पादन के लिए अपनी यूनिटों के विस्तार के लिए केन्द्र सरकार से आवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस विस्तार कार्य पर कितना खर्च होगा; और

(ग) इस मद के निर्यात पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु, ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : (क) जी, हां। मैसर्स केलट्रोन फ्रिस्टल ने एक आवेदन पत्र के जरिए 1.2 लाख क्रिस्टल बनाने की अपनी वर्तमान लाइसेंसयुक्त क्षमता को बढ़ाकर 22 लाख 40 हजार क्रिस्टल कर देने का अनुरोध किया है।

(ख) प्रस्तावित क्षमता-विस्तार के फलस्वरूप लगभग 60 लाख रु० मूल्य के पूंजीगत सामान का आयात करना पड़ेगा और स्वदेश में निर्मित 20 लाख रुपये मूल्य का पूंजीगत माल खरीदना होगा।

(ग) पार्टी को आशा है कि यह 5 वर्षों में 58 लाख रुपये की शुद्ध विदेशी मुद्रा कमा सकेगी।

Traffic Violations in Delhi

1266. **Shri Shankar Dayal Singh:** Will the **Minister of Home Affairs** be pleased to state

(*a*) Whether Delhi has the largest incidence of traffic violations by vehicles in the world;
(*b*) if so, the main factors responsible therefor and number of persons who were fined during 1975 and amount realised from them as fine ; and

(*c*) concrete steps taken by Government in this regard to improve traffic conditions in Delhi ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin): (*a*) & (*b*)

No such comparative study has been made. However, during the year 1975, 2, 01, 095 persons were prosecuted and Rs. 35, 93, 822.50 were realised as fine.

(*c*) Various measures such as widening of roads, improvement in road intersections, provisions of footpaths and cycle-tracks, construction of fly overs/ over-bridges and underpasses have been taken up to improve traffic conditions. Further, traffic lights have been installed at all the important and busy crossings. Provison for parking places is being made near main offices and Business centres. Restriction on the movement of slow moving and heavy transport vehicles have been imposed in the congested areas. Speed limits have been fixed on busy roads. Officers of traffic police constantly partol their areas on motor-cycles for ensuring smooth flow of traffic and bringing to book offenders on roasd. The Delhi Admn., have also constituted a traffic Advisory Committee to discuss various proposals for improvement in traffic conditions. A special road safety education and publicity cell has been created. Publicity of road safety measures is being done through various media such as T. V. , radio, cinema slides, etc.

Directions issued by Central Hindi Advisory Committee.

1267. **Shri Shankar Dayal Singh:** Willthe **Minister of Home Affairs** be pleased to state

(*a*) how far the directions issued by the Central Hindi Adivsory Committee are being followed by the Government officers;

(*b*) whether any officers have been found guilty of non-compliance; and

(*c*) if so, the action taken by Government against such officers?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs Department of Personnel and Adimistrative Reforms and Department of Parliamentary Affairs: (Shri Om Metha) :

(*a*) Necessary formal orders are issued by the concerned Ministry/ Department on the basis of the decisions of the Central Hindi Committee, which are as binding on all Government employees as other Government orders.

(*b*) &(*c*) In the matter of Language, the Government's policy is generally based on persuasion and incentives and not on punishment. As a result of the instructions and incentives, use of Hindi in Government work is progressively increasing.

Further, on the recommendation of the Central Hindi Committee, the Central Government have recently decided that attendance in the classes and appearing at the examination after the session be made obligatory or those Government employees who are entroled for training in Hindi classes. The employees who still persist in not obeying these orders would be liable for disciplinary action after consulation with the Department of Official Language.

T. V. Programmes in Hindi

1268. Shri Shankar Dayal Singh: Will the **Minister of Information and Broadcasting** be pleased to state:

(*a*) broad outlines of the programmes telecast in Hindi and other Indian languages by Television Centres at Calcutta, Amritsar and Madras;

(*b*) whether Hindi programmes are not given priority in these centres despite the fact that those are very much in demand by Television viewers; and

(*c*) if so, steps proposed to be taken in this direction?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcating (Shri Dharam Bir Singh):

(*a*) Theslinguitic percentage of programmes telecast by the 3 TV Centres is as follows:—

Calcutta TV Centre:

Bengali	58[%
Hindi	20 %
English	10·6%
Other languages	2·4%

Amritsar TV Centre:

Punjabi	38%
Hindi	48%
English	14%
Urdu	2%

Madras TV Centre:

Tamil	65%
English	20%
Hindi	12%
Other languages	3%

(*b*) Hindi programmes have been given adequate priority from these Centres considering the facts that TV Centres are functioning on a single channel, that the programmes have to be understood by the maximun number of people within the coverage area of the Centres and transmission timings are somewhat limited owing to inadequate technical facilities.

(*c*) Does not arise.

Uranium Smuggling

1269. Shri Shankar Dayal Singh: Will the **Minister of Home Affairs** be pleased to state:

(*a*) whether inquiry into the uranium smuggling from jaduguda uranium mines has been completed;

(*b*) if so, main points of the investigation report;

(*c*) whether any foreign hands have been found involved therein; and

(*d*) if so, names thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin): (*a*) Three cases of Bihar had been taken over for investigation by the C. B. I. out of which investigation in one case thas been completed and complaints have been lodedg in the court for prosection of the accused. The other two cases with the C. B. I. are still under investigation. Report from West Bengal about case started by them is awaited.

(*b*) In the case in which C.B.I. has completed investigation, prosecution has been launched under sections 14/24 of the Atomic Energy Act, 1972.

(*c*) No, Sir.

(*d*) Question does not arise.

केरल में नयी जल विद्युत् परियोजनायें

1270. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने चार नयी जल-विद्युत् परियोजनाएं–एडामेलयर, साईलैंट वैली, सबरीगिरि (संवर्धन) और इडुक्की (तृतीय चरण)––केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति हेतु भेजी है;

(ख) क्या सरकार से "साइलैंट वैली प्रोजेक्ट" के लिए राज्य योजना से अलग उपबन्ध करने के लिए अनुरोध किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). केरल में इदामलयार साइलैंट वैली, सबरीगिरि (आग्मेन्टेशन) तथा इडुक्की (चरण–तीन) जल-विद्युत् परियोजनाएं कार्यान्वित करने के लिए स्वीकृति दे दी गयी है। इन परियोजनाओं में से, इदामलयार परियोजना की 37.5 मेगावाट की केवल एक यूनिट पांचवीं योजना की अवधि में लाभ देने के लिए शामिल है।

साइलैंट वैली परियोजना का कार्य आरम्भ करने के लिए केरल सरकार ने अक्तूबर, 1975 में विशेष सहायता के लिए अनुरोध किया था। विभिन्न परियोजनाओं की आवश्यकताओं और 1976–77 के लिए उनके लिए साधनों का आबंटन करने के लिए योजना आयोग में राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ हुई वार्षिक योजना सम्बन्धी बैठकों में विचार-विमर्श हुआ था। उपलब्ध साधनों और परियोजनाओं की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए, साइलैंट वैली परियोजना के लिए अभी तक कोई आबंटन नहीं किया गया है।

केरल राज्य विकास निगम द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये क्रियान्वित की जा रही योजनायें

1271. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बेहतरी के लिए केरल राज्य विकास निगम द्वारा कौन-कौन सी योजनाऐं क्रियान्वित की जा रही हैं;

(ख) वर्ष 1974–75 और 1975–76 मे इन योजनाओं के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता मांगी गई और कितनी सहायता मंजूर की गई; और

(ग) क्या वर्ष 1976–77 के लिए भी केन्द्रीय सहायता मांगी गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) :(क) केरल राज्य हरिजन विकास निगम द्वारा हाथ में ली गई विभिन्न योजनाएं हैं :—(1) किराया खरीद पर आटो-रिक्शायें देना, (2) आटो-रिक्शा चलाने मैं प्रशिक्षण, (3) लघु व्यवसाय/व्यापार/उद्योग शुरू करने के लिये ऋण देना, (4) कृषि भूमि खरीदने के लिये ऋण देना, (5) दुधारू गायों की खरीद के लिये राष्ट्रीयकृत बकों से ऋण सहायता और (6) किराया खरीद पर उत्पादक प्रयोजन के लिये मशीनें तथा अन्य वस्तुयें देना। इसके अतिरिक्त, निगम द्वारा निम्नलिखित योजनाएं हाथ में लेने का विचार है :—

(1) वस्त्र बनाने की यूनिट की स्थापना।

(2) कम लागत के मकानों का निर्माण।

(3) मकानों की मरम्मत और अधूरे मकानों को पूरा करने के लिए ऋण।

(4) मकानो के ऋण के लिये प्रावस्थागत ऋण देना।

(5) लकड़ी के सामान के लिये उत्पादन सहकारिता की स्थापना।

(ख) तथा (ग). केरल राज्य हरिजन विकास निगम एक राज्य क्षेत्र योजना के रूप में चलाई जा रही है। ऐसी योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता खण्ड अनुदानो तथा ऋणो के रूप में दी जाती है। 1974–75 के दौरान निगम को चलाने पर 27.50 लाख रुपये खर्च किये गये थे और अनुमान लगाया जाता है कि 1975–76 में यह खर्च 25.00 लाख रुपये होगा। 1976–77 के लिये भी प्रस्तावित परिव्यय 25.00 लाख रुपये है।

Formulation of District Plans in States

1272. **Shri M. C. Daga :** Will the **Minister of Planning** be pleased to state :

(*a*) when a decision to formulate district plans in States was taken by Government; and

(*b*) progress made by States so far in this direction ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri I. K. Gujral) : (*a*) Successive Five Year Plans have emphasised the importance of local planning. While formulating the Fourth Five Year Plan, The Planning Commission had urged upon the State Governments the need for formulating integrated district plans based on selective and integrated strategies and taking into account *inter se* priorities. For this purpose, the Planning Commission had also circulated guidelines for the formulation of district plans to the State Governments.

(b) Statement is laid on the Table of the House. [*Placed in the Library. See* No. L.T.-10520/76].

Scheme to provide Road Lines to Villages During Fifth Plan

1273. **Shri M. C. Daga :** Will the **Minister of Planning** be pleased to state :

(a) whether any scheme has been formulated to provide road links to villages under minimum needs programme during the Five Year Plan; and

(b) if so, amount earmarked therefor, State-wise and number of roads stipulated to be constructed in each State ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri. I. K. Gujral) : (a) Yes Sir. A scheme has been formulated to provide road links to villages under the Minimum Needs Programme during the Fifth Five Year Plan. The objective is to link all villages in the country with a population of 1500 and above with all weather roads. In the hilly, coastal or tribal areas, where the population is relatively dispersed, the objective is to provide all weather road to cluster of villages having a population of 1500 or more.

(b) A sum of about Rs. 500 crores has been earmarked for this programme for the country as a whole. A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-10521/76], showing the break-up of this amount among the States and Union Territories. It is not possible to indicate the number of roads proposed to be constructed since the programme involves construction of a large number of small villages roads spread over various parts of the States and Union Territories and the programme is being executed by the State Governments.

Expenditure incurred on Refresher Courses and Training for Higher Officers

1274. **Shri M. C. Daga :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) total amount being spent on refresher courses and training to higher officers and the places where this training is imparted; and

(b) whether there is great paucity of academic staff, if so, reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Department of Personnel and Administrative Reforms and Deptt. of Parliamentary Affairs) (Shri Om Mehta) : (a) The Department of Personnel and Administrative Reforms has made a grant in aid of Rs. 7.21.500 in 1975-76 to different institutions for imparting training to higher officers as per details given in Annexure A. The list of Central Training Institutions imparting training to members of the All-India and organized Group-A Central Services (Non-Technical), including the Institute of Secretariat Training and Management, New Delhi, is given in Annexure B. The training institutions use the same facilities such as Faculty, library services, accommodation, etc. for both refresher training and probationers' training. As the expenditure on refresher courses for higher officers is not booked separately from expenditure on training of new entrants into service by the training institutions, the amount spent on refresher courses for higher officers is not separately available.

(b) Most of the training in the Central Training Institutions is done by trainers drawn from the Government Departments and who have aptitude for study and teaching. Arrangements exist for training these officers in the methodology of training. Generally academic staff is used only as guest faculty where required, and there is no problems about getting them.

Statement

	Rs.
1. Indian Institute of Public Administration, New Delhi .	6,65,000
2. Osmania University, Hyderabad.	8,000
3. Punjab University, Chandigarh.	5,000
4. Bombay University, Bombay. . . .	9,000
5. H.C.M. State Institute of Public Administration, Jaipur.	30,000
6. National Labour Institute, New Delhi.	4,500
TOTAL	7,21,500

"Statement"

Central Training Institutions

1. Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Charleville. Mussoorie-248179.
2. Institute of Secretariat Training and Management, West Block, No. 1. Wing No. 5 R. K Puram. New Delhi-110022.
3. Directorate of Training (Customs and Central Excise). K-15. Hauz Khas Enclave, New Delhi 110016.
4. Forest Research Institute and Colleges, P. O., New Forest, Dehradun-148006.
5. Indian Audit and Accounts Service Staff College. Railway Board Building, Simla-171003.
6. Indian Revenue Service (Direct Taxes) Staff College, P. B. No. 40. Gokul Building, Temple Road, Nagpur-440001.
7. Posts and Telegraphs Training Centre, Saharanpur-247002.
8. Railway Staff College, Baroda-390004.
9. Sardar Vallabhbhai Patel, National Police Academy. Shivrampally Hyderabad-500252.

रि-रोलिंग मिलों का बन्द होना

1275. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में छोटे पैमाने के उद्योगों के अंतर्गत रि-रोलिंग मिल बंद होने को है अथवा बन्द हो चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार कितने रि-रोलिंग मिल बंद हो चुके हैं; और

(ग) उनको चालू रखने तथा उनके बंद होने के कारण बेकार हुए श्रमिकों को रोजगार देने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) से (ग). रि-रोलिंग मिलो में उत्पादित अन्तिम उत्पादों की जो भवन निर्माण, सड़कों, पुलों और हल्की संरचनाओं में काम आते हैं मांग में गिरावट आने के कारण मिलें बार-बार बन्द हुई थीं। लघु उद्योग क्षेत्र में रि-रोलिंग मिलों की संख्या लगभग 750 है। बार बार बन्द होने के परिणाम स्वरूप राज्यवार रि-रोलिंग मिलों के बन्द होने की संख्या देना सम्भव नहीं है। हाल ही में अन्तिम उत्पाद का उपयोग करने वाले क्षेत्र की मांग बढ़ गई है और इसके आगे भी बढ़ने की आशा है क्योंकि बजट में भवनों और निर्माण कार्यों सम्बन्धी विभिन्न अभ्युपायों का संकेत किया गया है इससे लघु क्षेत्र में रि-रोलिंग मिलों की क्षमता के उपयोग में सुधार हुआ है।

पाँचवीं योजना में आदिवासी कल्याण योजनायें

1276. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :**

श्री सी० जनार्दनन :

श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न राज्यों में आदिवासियों के कल्याणार्थ पांचवीं योजना के दौरान कितनी राशि का नियतन करने का प्रस्ताव है;

(ख) इस कार्यक्रम के अधीन कौन सी योजनायें आरम्भ की जायगी; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये नियत धनराशि को अन्य कार्यों में लगाने से रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) आदिवासियों के कल्याणार्थ पांचवीं योजना के अधीन अस्थायी आबंटन निम्नलिखित है :—

(1) केन्द्रीय/केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं . . 32 करोड़ रुपये

(2) राज्य क्षेत्र की योजनाएं . . . 71 करोड़ रुपये

(3) आदिवासी उप-योजनाओं के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता . . . . . 200 करोड़ रुपये

उपयुक्त व्यवस्थाएं उन लाभों में योगात्मक हैं जो सामान्य राज्य योजना और केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं में वास्तविक कार्यक्रमों के अधीन अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को प्राप्त होंगे। राज्यों ने खासकर आदिवासियों के आबाद क्षेत्रों के लिए उप-योजनाएं तैयार की हैं। आदिवासी उप-योजनाओं का उद्देश्य राज्य योजना परिव्यय से उप-योजना क्षेत्र में लागत की मात्रा को निश्चित करना है। उप-योजनाओं के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता इस मूल लागत में योगात्मक है। उप-योजना क्षेत्रों के लिए राज्य योजना परिव्यय और विशेष केन्द्रीय सहायता का आकार योजना आयोग द्वारा निर्धारित किया जायेगा जब वे उप-योजनाओं को अन्तिम रूप से अनुमोदन करेंगे जिसके शीघ्र किये जाने की आशा है।

(ख) आदिवासियों के कल्याणार्थ हाथ में ली गई केन्द्रीय/केन्द्र द्वारा प्रायोजित और राज क्षेत्र के कार्यक्रम अनुलग्नक में दिये जाते हैं। आदिवासी क्षेत्रों के लिए उप-योजना सभी विभागों के कुल प्रयत्न को प्रस्तुत करता है और इसलिए प्रत्येक क्षेत्र के वे कार्यक्रम शामिल हैं जो आदिवासी क्षेत्रों से सम्बद्ध हो सकते हैं।

(ग) आदिवासी विकास के लिए विशेष रूप से आबंटित किये गये धन को अन्यथा उपयोग न करने का राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है। भारत के नियंत्रक तथा महा लेखाकार ने भी अलग-अलग उप-योजना क्षेत्रों में परिव्यय दिखाने के लिए प्रत्येक क्रियाशील मुख्य वित्तीय शीर्षक के अधीन एक विशेष बजट शीर्षक खोलने के लिए राज्यों को प्राधिकृत किया है। इससे आदिवासी क्षेत्रों में परिव्यय की व्यवस्था करने में सहायता मिलेगी।

'विवरण'

1. केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं

योजनाएं

(1) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां

(2) छात्राओं के लिए छात्रावास

(3) सहकारिता

(4) अनुसंधान तथा प्रशिक्षण

(5) परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र

(6) स्वैच्छिक संगठनों के लिए सहायता

2. **राज्य क्षेत्र**

(1) **शिक्षा**

(1) मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्तियां तथा वजीफ़े

(2) अतिरिक्त मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां

(3) शिक्षा तथा परीक्षा शुल्क में छूट

(4) शैक्षिक उपकरणों का प्रावधान

(5) दोपहर के भोजन की व्यवस्था

(6) आश्रम स्कूलों की स्थापना

(7) स्कूल और होस्टल भवनों के निर्माण के लिए अनुदान

(2) **आर्थिक विकास**

(1) भूमि तथा सिंचाई की व्यवस्था

(2) बैलों, कृषि उपकरणों, बीजों तथा खादों इत्यादि की सप्लाई

(3) कुटीर उद्योगों का विकास

(4) संचार व्यवस्था का विकास

(5) सहकारिता

(6) हटाये जाने वाले किसानों के लिए बस्तियां बनाना

(7) मुर्गी, भेड़ें, सुअरों और बकरियों इत्यादि की सप्लाई

(3) **स्वास्थ्य, आवास तथा अन्य**

(1) चिकित्सा सुविधाएं

(2) पेय जल सप्लाई योजनायें

(3) आवास स्थलों तथा मकानों की व्यवस्था

(4) कानूनी सहायता की व्यवस्था

(5) राज्य स्तरों पर कार्य कर रहे गैर सरकारी संगठनों के लिए अनुदान।

बिहार में संकटग्रस्त उद्योगों का सरकारीकरण

1277. **श्री के० एस० मधुकर :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री ने फ़रवरी के महीने में रांची में प्रैस को बताया कि देश में 12 प्रतिशत उद्योग संकटग्रस्त हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने बिहार में संकटग्रस्त उद्योगों की प्रतिशतता ज्ञात की है;

(ग) क्या इन उद्योगों को सरकार से 0 ऋण और सहायता मिली है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन संकटग्रस्त उद्योगों का सरकारीकरण करने तथा उन्हें पुनर्जीवित करने का है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री अनन्त प्रसाद जी शर्मा ने सामान्य तौर बताया है कि देश के लगभग 72 प्रतिशत लघु उद्योग संकटग्रस्त हैं।

(ख) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Assistance sought by Bihar for Implementation of 20-Point Programme

1278. Shri K. M. Madhukar : Will the **Minister of Planning** be pleased to state:

(a) whether Government of Bihar have sought an additional assistance for implementing the 20-Point Programme; and

(b) if so, amount of assistance provided by Central Government for the purpose?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri I. K. Gujral) : (a) & (b): Yes, Sir. The request of Bihar Government for allocation of additional funds for the State Annual Plan 1976-77 with particular reference to the 20-Point Economic Programme is presentlyunder consideration.

एयरो-इंजनों से टर्बाइनों का निर्माण

1279. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुराने एयरो-इंजनों से टर्बाइनों का निर्माण करने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी राज्य सरकार ने पुराने एयरो-इंजनों को टर्बाइनों में परिवर्तित करने के उद्यम में भाग लेने की पेशकश की है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी हां ।

(ख) इस परिवर्तन उद्यम के बारे में, राज्य सरकार से हमें कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। मेल, जी० टी० आर० ई० तथा डी० एस० टी० के प्रतिनिधियों को मिला कर एक कर्णधार समिति द्वारा परियोजना पर विशद रूप से विचार किया जा रहा है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

इस्पात के व्यर्थ जाने वाले उत्पाद से उर्वरक का उत्पादन

1280. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जमशेदपुर में केन्द्रीय प्रौद्योगिकी अनुसन्धान संस्थान के दो वैज्ञानिकों ने हाल ही में इस्पात उद्योग के व्यर्थ जाने वाले उत्पाद आधारभूत स्लैग के नमूनों का विश्लेषण किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस से उर्वरक बनाया जा सकता है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई०के० गुजराल): (क) और (ख) क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर के रसायन विभाग के दो वैज्ञानिकों ने टाटा नगर, बरनपुर, दुर्गापुर, भिलाई, रूड़केला तथा भद्रावती के आधारभूत स्लैगों का विश्लेषण किया है ।

(ग) यह पता चला है कि विश्लेषित नमूनों में से केवल टाटा नगर, बरन पुर तथा दुर्गापुर इस्पात प्लांटों के स्लैग ही मिश्रित उर्वरकों के लिए उपयुक्त हैं । सामान्यतः अम्लीय धरती में, उर्वरक अवयवों से रहित रसायन को बगैर मिलाए, धरतीय प्रानुकूलन के लिए आधारभूत स्लैग का उपयोग किया जा सकता है। आर०आई०टी० जमशेदपुर में प्रयोगशाला स्तर पर तैयार मिश्रित उर्वरक में नाइट्रोफ़ास्फ़ेट होता है, जो आधारभूत स्लैग तथा यूरिया नाइट्रेट के साथ धर्षण से उत्पन्न होता है । यह दावा किया गया है कि इस प्रकार से उर्वरक को अम्लीय, क्षारीय तथा ऊसर धरती में भी उपयोग किया जा सकता है ।

उत्तर प्रदेश में तापीय एकक की व्यवहायता

1281. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने उत्तर प्रदेश में एक तापीय एकक की स्थापना की व्याहार्यता के बारे में हाल ही में अध्ययन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अध्ययन के क्या निष्कर्ष निकले ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) हाल ही में विश्व बैंक का मूल्यांकन मिशन भारत आया था और उत्तर प्रदेश में सिंगरौली के प्रस्तावित सुपर ताप विद्युत केन्द्र के स्थल का दौरा उसने किया था ।

(ख) विश्व बैंक ने अभी तक कोई पत्रादि प्राप्त नहीं हुआ है ।

पश्चिमी यूरोपीय सहयोग से उद्योगों की स्थापना

1282. **श्री सरजू पाँडे** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार पश्चिमी यूरोप से तथा उनकी प्रौद्योगिकी की सहायता से आगामी वित्त वर्ष में तथा पांचवीं योजना के दौरान कितने नए उद्योगों की स्थापना करने का है ; और

(ख) इसी अवधि में सोवियत संघ की सरकार तथा अन्य समाजवादी मित्र देशों की सहायता से सरकार का विचार अन्य देशों में कितने उद्योगों की स्थापना करने का है और वे उद्योग कहां कहां स्थापित होंगे तथा उनका स्वरूप क्या होगा ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) 1976-77, 1977-78 और 1978-79 में पश्चिमी योरोपीय देशों के सहयोग से सरकारी क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले सम्भावित उद्योगों की संख्या निम्न प्रकार है :–

1976-77	15
1977-78	18
1978-79	6

(ख) फ़िलहाल अन्य देशों में सोवियत रूस और अन्य समाजवादी देशों के सहयोग से संयुक्त क्षेत्र में एकक स्थापित करने के कोई प्रस्ताव नहीं है ।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के प्रबन्ध-निदेशक के विरुद्ध जांच

1283. **श्री वसन्त साठे** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के प्रबंध निदेशक द्वारा की गई वित्तीय तथा प्रशासनिक अनियमितताओं की जांच करने के लिए इस निगम के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी और अध्यक्ष ने तत्संबंधी आरोपों की जांच करने के लिए निदेशकों की एक उपसमिति गठित की थी,

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं और उसका प्रतिवेदन सरकार को किस तारीख को प्रस्तुत किया गया, और

(ग) समिति के निष्कर्षों पर शीघ्र कायवाही कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि० के तत्कालीन अध्यक्ष श्री के० वी० राव द्वारा निगम के प्रबन्ध निदेशक सहित प्रबन्धकों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच करने के लिए निदेशकों सर्व श्री एस० गुहन, मंत्रालय के भूतपूर्व संयुक्त सचिव, मोह० फ़ैजल, प्रबन्ध निदेशक इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस (इण्डिया) लि० और जानकी राम, परियोजना समन्वयक, एन० सी०, एस० टी० की एक उप समिति गठित की गई थी । समिति ने अपनी रिपोर्ट 7 अगस्त, 1974 को प्रस्तुत कर दी ।

(ग) रिपोर्ट रा० औ० वि० नि० के निदेशक मण्डल के विचारार्थ 18 नवम्बर, 1974 को भेजी गई थी । निदेशक मण्डल के विचार हाल ही में मिल गए हैं और उन पर सरकार द्वारा शीघ्र निर्णय लिए जाने की सम्भावना है ।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष की नियुक्ति

1284. **श्री वसन्त साठे** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम एक लम्बे समय से अध्यक्ष के बिना ही कार्य कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख) तकनीकी विकास के महानिदेशालय के भूतपूर्व निदेशक श्री के० वी० राव सरकारी सेवा से निवृत्त होने के पश्चात् राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष पद पर थे । अध्यक्ष पद से उन्होंने सितम्बर, 1974 में त्यागपत्र दे दिया था ;

यह निश्चय किया गया कि राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के उद्देश्यों, ढांचे और कार्य-निष्पादन की संवीक्षा सरकारी उद्यम चयन बोर्ड (पब्लिक इंटरप्राइजेज सेलेक्शन बोर्ड) के अध्यक्ष

द्वारा की जानी चाहिए तथा यह भी उचित समझा गया था कि रा०उ०च० बोर्ड के अध्यक्ष की रिपोर्ट प्राप्त होने तथा उस पर निर्णय लिए जाने तक अध्यक्ष की नियुक्ति आस्थगित रखी जाए। स०उ०च० बोर्ड के अध्यक्ष की रिपोर्ट अभी हाल ही में प्राप्त हो गई है तथा वह सरकार के विचाराधीन है ।

अमरीकी फिल्मों का आयात

1285. **श्री वसन्त साठे** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान कितनी तथा कितने मूल्य की अमरीकन फिल्मों का आयात किया गया, उनमें से कितनी फिल्मों को सेंसर ने पास कर दिया है और उन फिल्मों के नाम क्या हैं जो सेंसर द्वारा पास नहीं की गई हैं ;

(ख) क्या अधिकांश आयातित फिल्में यौन-प्रदर्शन तथा गौरवान्वित हिंसा के लिये प्रख्यात हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा फिल्मों के आयात के लिये कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किये गये हैं ; और

(घ) क्या फ़िल्म वित्त निगम ने सरकार की नीति को ध्यान में रखते हुए फ़िल्मों के उद्देश्यपूर्ण चयन हेतु बहुत सी फ़िल्मों को पूर्वालोकित करने के लिये कोई उपयुक्त व्यवस्था स्थापित की है अथवा उसे सुदृढ़ किया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ग) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) जी नहीं ।

(घ) फ़िल्म वित्त निगम ने आयातित फ़िल्मों के चयन के लिए छः सदस्यों के एक 'फ़िल्म व्यूइंग पेनल' का गठन किया है ।

विवरण

भाग (क) 1. मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट एसोसियेशन आफ़ अमरीका के साथ हुए करार के अन्तर्गत फ़रवरी, 1976 तक आयातित फ़ीचर फ़िल्मों की संख्या—109
(लागत बीमा भाड़ा मूल्य 17,05,941 रुपये)

2. प्रमाणीकरण के लिए केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड को प्रस्तुत की गई फ़िल्मों की संख्या—107

3. फ़िल्म सेंसर बोर्ड द्वारा सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए स्वीकृत की गई फ़िल्मों की संख्या—81

4. केन्द्रीय फ़िल्म सेंसर बोर्ड के पास प्रमाणीकरण के लिए विचाराधीन पड़ी अमरीकी फ़िल्मों के नाम इस प्रकार हैं:—

1. दि हीस्ट
2. साइन्ज
3. शाफ्ट इन अफ्रीका
4. शापटसबिग स्कोर
5. वार्किंग टाल
6. पैट गैरेट एण्ड बिल्ली दि किड
7. गाड फ़ादर
8. डायमंड्स
9. नाइटकमर्स
10. बैनानाज
11. आर्गनाइजेशन
12. लार्फ़िंग पुलिसमैन
13. डे आफ़ दि जैकाल
14. एक्सार्सिस्ट
15. गेट वे
16. स्टेनिक राइट्स आफ़ ड्राकुला
17. मेग्नम फ़ोर्स
18. ओ लकी मैन
19. स्केयर क्रो

भाग (ग) : आयात के लिए फ़ीचर फ़िल्मों का चयन करने के लिए निम्नलिखित मोटे मार्गदर्शी सिद्धान्तो को ध्यान में रखा जाता है :—

(1) फ़िल्मों से जनता को अच्छा स्वस्थ और हितकारी मनोरंजन उपलब्ध होना चाहिए ।

(2) ऐसी फ़िल्मों, जिनकी कथावस्तु में हमारे राष्ट्रीय रीति रिवाजों और हमारे मूल्यों का अधोमल्यांकन होता हो, का आयात नहीं किया जाना चाहिए, भले ही वें सेंसर की दृष्टि से अच्छे स्तर की हों और आपत्तिजनक हों ।

(3) आयात की जाने वाली फ़िल्में तकनीकी और चलचित्रकला दोनों की दृष्टि से उच्च स्तर की होनी चाहिए ।

(4) उनमें हिसा, नग्नता या सैक्स का चित्रण नहीं होना चाहिए ।

(5) वे जन रुचि का स्वस्थ विकास और लोगों के सभी वर्गों और विभिन्न देशों के लोगों के बीच सदभावना और मेल मिलाप को बढ़ावा देने वाली हो ।

सभा पटल पर रख गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम नई दिल्ली के वर्ष 1973–74 के प्रमाणित लेखे तथा हिन्दुस्तान मशीन लिमिटेड की वर्ष 1974 के कार्यकरण की समीक्षा, वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा-परीक्षित लेखे

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 की धारा 17 की उपधारा (4) के अन्तर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1973–74 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए सं० एल० टी० 10511/76 **]**

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1974–75 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1974–75 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए सं० एल० टी० 10512/76**]**

संघ लोक सेवा आयोग का वर्ष 1974–75 का प्रतिवदन तथा बिलम्ब का कारण बताने वाला एक विवरण

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटर पर रखता हूं :—

(एक) संविधान के अनुच्छेद 323 (1) के अन्तर्गत संघ लोक सेवा आयोग के 1 अप्रैल, 1974 से 31 मार्च, 1975 की अवधि के 25वें प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए सं० एल० टी० 10513/76**]**

प्राग टूल्ज सिकन्दराबाद का वर्ष 1974–75 का वार्षिक प्रतिवेदन

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्राग टूल्स लिमिटेड सिकन्दराबाद, के वर्ष 1974–75 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए सं० एल० टी० 10514/76]

REVIEW AND ANNUAL REPORT OF NATIONAL PROJECTS CORPORATION LIMITED NEW DELHI FOR 1974-75

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad): I beg to lay on the Table:

A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619 A of the Companies Act, 1956:—

(*i*) Review by the Government on the working of the National Projects Construction Corporation Limited, New Delhi, for the year 1974-75.

(*ii*) Annual Report of the National Projects Construction Corpro-Projects Construction Corporation Limited, New Delhi, for the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[*Placed in the Library. See No.* LT. 10515/76]

रबड़ (संशोधन) नियम, 1976

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मैं रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 25 की उपधारा (3) के अन्तर्गत रबड़ (संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 21 फ़रवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 241 में प्रकाशित हुये थे । सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए सं० एल० टी० 10516/76]

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON ABSANCE OF MEMBERS FROM SITTINGS OF THE HOUSE

25वां प्रतिवेदन

श्री पुरुषोत्तम काकोड़कर (पंजिम) : मैं सभा की बैठकों से सस्दयों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का 25वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS
81वाँ प्रतिवेदन

श्री दामोदर पाँडे (हजारी बाग) : फ़र्टीलाइजर एण्ड कैमिकल्स, ट्रावनकोर लिमिटेड पर सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के 67 वें प्रतिवेदन में दी गई सिफ़ारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 81वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

मनार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी में भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सीमा सम्बन्धी करार के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE AGREEMENT BETWEEN INDIA AND SRILANKA ON MARITIME BOUNDARY IN GULF OF MANAR AND BAY OF BENGAL

विदेश मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : सदन के समक्ष मैं उन दो समझौतों को प्रस्तुत कर रहा हूं जो 23 मार्च, 1976 को नई दिल्ली में भारत और श्रीलंका के बीच सम्पन्न हुये हैं । पहला समझौता मनार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी में भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र सीमा के सम्बन्ध में है । इस समझौते पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद "वाज बैंक" में श्रीलंका की मछियारी नौकाओं द्वारा मछली पकड़ने के नियमन के बारे में दोनों ओर से पत्रों का आदान-प्रदान भी हुआ । इन पत्रों का आदान-प्रदान दोनों देशों के बीच एक समझौता भी है ।

पाक खाड़ी में भारत और श्रीलंका के बीच की समुद्री सीमा भी इसी प्रकार के एक समझौते द्वारा जून, 1974 में तय की गई थी । अब इस नये समझौते पर हस्ताक्षर हो जाने से भारत और श्रीलंका के बीच समूची समुद्री सीमा तय हो गई है । इस समुद्री सीमा के अपनी-अपनी ओर के हिस्सों में दोनों देशों की पूर्ण प्रभुसत्ता और पूर्ण क्षेत्राधिकार होगा । दोनों इस बात पर सहमत हो गये हैं कि समुद्री सीमा निश्चित हो जानेपर एक देश की मछियारी नौकायें और मछुआरे दूसरे देशके जल-क्षेत्र में मछली नहीं पकड़ेंगे । लेकिन श्रीलंका की ओर से मछली पकड़ने का काम अगर तत्काल बन्द हो जाता तो वहां किसी हद तक आर्थिक गड़बड़ी हो सकती थी । अपने पड़ौसी मित्र के प्रति सद्भाव के नाते हमने इस बात को मान लिया है कि 'वाज बैंक' में श्रीलंका द्वारा मछली पकड़ने का काम भारत द्वारा अपना एकान्तिक आर्थिक क्षेत्र स्थापित किये जाने की तारीख से धीरे-धीरे करके तीन वर्ष में खत्म हो । तीन वर्ष की इस अवधि में श्रीलंका क्रियाशीलता के उसी स्तर पर मछली पकड़ने का काम कर सकता है जिस स्तर पर वह इस समय करता है ।

यों तो ये दस्तावेज अपनी बात खुद ही कहते हैं, फ़िर भी मैं इतना कहना चाहूंगा कि जून, 1974 का समझौता और ये दोनों समझौते मिलकर भारत और श्रीलंका के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को सुदृढ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं ।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इन दोनों समझौतों के मूल पाठ सदन के समक्ष रखने की अनुमति चाहूंगा ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 10517/76]

गुजरात बजट 1976–77

THE GUJARAT BUDGET—1976-77

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : मैं वर्ष 1976–77 के लिए गुजरात राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण प्रस्तुत करता हूं ।

विवरण

सदन को मालूम है कि किन परिस्थितियों में गुजरात राज्य का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा 12 मार्च 1976 को अपने हाथ में ले लिया गया था। राज्य सरकार ने 1976–77 के लिए अपना बजट विधान सभा में हालांकि 13 फरवरी 1976 को पेश कर दिया था लेकिन गुजरात में राष्ट्रपति का शासन लागू होने से पहले यह वहां की विधान सभा द्वारा पारित नहीं किया जा सका था। अतः मैं सभा पटल पर 1976–77 के वित्तीय वर्ष के लिए गुजरात राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता हूं ।

2. 1975–76 के बजट अनुमानों में 27.93 करोड़ रुपयों के राजस्व अधिशेष और चालू वित्तीय वर्ष में राजस्व और पूंजी खातों में सकल लेनदेनों के कारण 3.27 करोड रुपए के घाटे का अनुमान किया गया था। संशोधित अनुमानों में 33.83 करोड़ रुपए के राजस्व अधिशेष और कुल मिला कर 30.95 करोड़ रुपए के घाटे का अनुमान किया गया है। लेनदेन के परिणाम-स्वरूप पिछले वर्ष में 22.95 करोड़ रुपयों की कमी को देखते हुए अनुमान है कि चालू वर्ष में 53.90 करोड़ रुपयों की कमी रहेगी। वर्ष के अन्त की स्थिति का यह अनुमान आय और धन को प्रकट करने की स्कीम के अधीन आय कर के संग्रह से केन्द्रीय करों में राज्य सरकार को 14.31 करोड़ रुपयों के अंश और केन्द्र से राज्य आयोजना के लिए 1.39 करोड़ रुपयों और कडाना और माही बजाजसागर परियोजना के लिए 7.30 करोड़ रुपयों और बाढ़ व चक्रवात के कारण आयोजनागत निर्माण कार्यों जैसे कार्यों के लिए 9.15 करोड़ रुपयों की अतिरिक्त सहायता की प्राप्ति को हिसाब में लेने पर किया गया है। चालू वर्ष के अन्त तक राज्य के राजस्व में इस भारी कमी का कारण मुख्यतः यह है कि 1974–75 और 1975–76 में सूखा सहायता कार्यों पर काफी खर्च हुआ था।

3. 1976–77 में राजस्व खाते में 483.26 करोड़ रुपयों की प्राप्ति का अनुमान किया गया है। इसमें मोटर स्पिरिट पर बिक्री कर और मनोरंजन शुल्क के संबन्ध में हाल में लगाए गए अतिरिक्त करों से प्राप्ति होने वाला 2.80 करोड़ रुपयों का राजस्व शामिल है। अनुमान है कि राजस्व खाते से 439.25 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और 44.01 करोड़ रुपए का अधिशेष रहेगा। पूंजी खाते से भुगतान के बारे में अनुमान है कि यह पूंजी प्राप्तियों की अपेक्षा 33.19 करोड़ रुपए ज्यादा होगा। इस प्रकार 1976–77 में दोनों खातों अर्थात् राजस्व खाते और पूंजी खाते के लेनदेन को देखते हुए अनुमान है कि 10.82 करोड़ रुपयों का अधिशेष रहेगा। लेकिन अथ शेष में 53.90 करोड़ रुपयों की कमी को देखते हुए जिसका जिक्र ऊपर किया गया है अनुमान है कि 1976–77 में 43.08 करोड़ रुपयों की कमी रहेगी। इस घाटे को कुछ अंश तक पूरा करने के उद्देश्य से 17.66 करोड़ रुपयों की राशि अतिरिक्त साधनों को जुटा कर संग्रहीत की जाएगी जिस फलस्वरूप अनुमान है कि 1976–77 के अन्त तक यह घाटा 25.42 करोड रुपए तक रह जाएगा

वर्ष में इस बात की और कोशिश की जाएगी कि कर और कर-भिन्न राजस्व का अधिक से अधिक संग्रह किया जाए और खर्च में कटौती की जाए जिससे इस कमी को कुछ और पूरा किया जा सके।

यहां यह उल्लेखनीय है कि उक्त अनुमानों में राज्य आयोजना के लिए केन्द्र से सामान्यत मिलने वाली 32.17 करोड़ रुपयों की सहायता के अलावा आयोजना और बाजार उधारों के लिए केन्द्रीय सहायता में 10 प्रतिशत की वृद्धि राज्य आयोजना के लिए 10 करोड़ रुपयों की अग्रिम आयोजना सहायता और जनजाति उपआयोजनाओं के लिए 3 करोड़ रुपयों की विशेष सहायता को शामिल कर लिया गया है।

4. मानसून के अनुकूल होने से राज्य की आर्थिक स्थिति के सुधरने के स्पष्ट संकेत मिलने लग गये हैं। अनुमान है कि राज्य में 1975–76 में लगभग 47.15 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन होगा जो 1970–71 में 44 लाख टन के उत्पादन से भी जबकि यह सबसे ज्यादा था बढ़ जाएगा। अनुमान है कि वर्ष में मूंगफली का उत्पादन 18.60 लाख टन और कपास का उत्पादन 18 लाख गांठें होगा। खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि होने तथा कीमतों को बढ़ने देने से रोकने के लिए किए गए उपायों के फलस्वरूप खेतों में पैदा होने वाली चीजों की कीमतें गिरने लगी हैं। जिससे गरीब व मध्यम श्रेणी के लोगों को बड़ी राहत मिली है। औद्योगिक क्षेत्र में भी लगातार वृद्धि हो रही है।

5. अगले वर्ष के लिए 193.25 करोड़ रुपयों का आयोजना परिव्यय निश्चित किया गया है जिसमें से 129.43 करोड़ रुपए अर्थात् आयोजना परिव्यय की दो तिहाई रकम बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाली स्कीमों के लिए रखी गई है। विद्युत् क्षेत्र के लिए 70 करोड़ रुपयों के परिव्यय और सिंचाई क्षेत्र के लिए 48.13 करोड़ रुपयों के परिव्यय को मिला कर यह परिव्यय आयोजना के लिए अनुमोदित परिव्यय का 60 प्रतिशत बैठता है। आशा है कि राज्य में विद्युत् उत्पादन की स्थापित क्षमता उकाई पनबिजली परियोजना के चौथे यूनिट (75 मैगावाट) और उकाई थर्मल परियोजना के दो यूनिटों के जिनमें से हर एक की क्षमता 120 मैगावाट है चालू हो जाने से चालू वर्ष के अन्त तक बढ़ कर 1682 मेगावाट तक हो जाएगी। गांधीनगर थर्मल स्टेशन (240 मेगावाट) पर निर्माण कार्य हो रहा है और आशा है कि यह स्टेशन अगले वर्ष चालू हो जाएगा। इसके चालू हो जाने से राज्य की स्थापित क्षमता 1976–77 के अन्त तक बढ़कर 1922 मेगावाट तक हो जाएगी। सिंचाई के क्षेत्र में चालू परियोजनाओं जैसे उकाई, कडाना, धरोई, पानम और बजाजसागर परियोजनाओं को शीघ्रतापूर्वक पूरा करने पर बल दिया जाएगा। आयोजना परिव्यय में जनजाति उपआयोजनाओं के लिए 15 करोड़ रुपए रखे गए हैं जिन पर विशेष केन्द्रीय सहायता के तौर पर 3 करोड़ रुपए और खर्च किये जायेंगे।

6. इन शब्दों के साथ, मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि वह गुजरात राज्य के लिए 1976-77 के बजट अनुमानों का अनुमोदन करने की कृपा करे।

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : गुजरात राज्य सम्बन्धी राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी उद्घोषणा के बारे में सांविधिक संकल्प पास होने तक हम गुजरात बजट पर चर्चा नहीं कर सकते। अतः गुजरात बजट को कल लिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : यह सभा की इच्छा पर निर्भर है।

तमिलनाडु बजट, 1976–77—सामान्य चर्चा

TAMIL NADU BUDGET, 1976-77 GENERAL DISCUSSION

अनुदानों की माँगें (तमिलनाडु) 1976–77

DEMANDS FOR GRANTS (TAMIL NADU) 1976-77

अनुदानों की अनुपूरक माँगें (तमिलनाडु), 1975–76

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (TAMIL NADU) 1975-76.

तमिलनाडु की वर्ष, 1976–77 की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
1	2	3	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०
1	भू-राजस्व विभाग	3,90,79,000	..
2	राज्य उत्पाद शुल्क विभाग	53,65,000	..
3	मोटर वाहन अधिनियम—प्रशासन	78,95,000	..
4	सामान्य बिक्रीकर तथा अन्य कर और शुल्क—प्रशासन	4,53,99,000	..
5	स्टाम्प प्रशासन	55,61,000	..
6	पंजीकरण	1,89,56,000	..
7	राज्य विधान मंडल	31,10,000	..
8	निर्वाचन	37,81,000	..
9	राज्याध्यक्ष, मंत्री और मुख्यालय का स्टाफ	10,89,92,000	..
10	दुग्ध पूर्ति स्कीमें	92,38,000	..
11	जिला प्रशासन	15,24,18,000	..
12	तमिलनाडु हिन्दू धार्मिक और पूर्त्त अक्षय निधि अधिनियम, 1959 का प्रशासन	1,23,59,000	..

1	2	3	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०
13	न्याय प्रशासन . . .	4,10,09,000	
14	जेलें	5,29,56,000	
15	पुलिस	28,79,09,000	
16	अग्निशमन सेवा . . .	2,09,08,000	..
17	शिक्षा . . .	1,27,36,48,000	..
18	चिकित्सा . . .	38,06,26,000	
19	लोक स्वास्थ्य . . .	19,42,65,000	
20	कृषि	33,32,34,000	
21	मीन उद्योग . . .	1,83,56,000	
22	पशुपालन . . .	7,01,62,000	
23	सहकारिता . . .	4,89,27,000	
24	उद्योग	3,13,75,000	
25	सिनकोना . . .	86,33,000	
26	हथकरघा और वस्त्र उद्योग . .	2,19,98,000	
27	खादी	60,50,000	
28	सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि .	30,31,12,000	
29	श्रमिक और कारखाने . . .	3,47,57,000	..
30	समाज कल्याण . . .	3,40,67,000	..
31	अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों आदि का कल्याण . . .	12,90,09,000	..
32	पिछड़े वर्गों आदि का कल्याण .	5,90,77,000	
33	आवास	5,22,35,000	..

1	2	3	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०
34	शहरी विकास . . .	7,82,42,000	..
35	नागरिक पूर्त्ति . . .	3,47,44,000	..
36	सिंचाई . . .	20,96,43,000	..
37	लोक निर्माण––इमारतें . . .	2,86,25,000	..
38	लोक निर्माण–अस्थापना तथा औज़ार और संयंत्र	4,56,56,000	..
39	सड़कें और पुल . . .	23,72,86,000	..
40	सड़क परिवहन सेवाएं और नौवहन .	1,89,31,000	..
41	दैवी विपत्तियों के कारण सहायता .	8,34,000	
42	पेंशनें और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ .	14,36,38,000	..
43	विविध	44,57,70,000	..
44	लेखन सामग्री और मुद्रण	6,11,97,000	..
45	वन विभाग . . .	3,96,68,000	..
46	मुआवज़ा और समनुदिष्ट राशियां .	11,27,39,000	..
47	ज़मींदारों को मुआवज़ा . .	..	1,67,70,000
48	लोक स्वास्थ्य, सफाई और जलपूर्ति पर पूंजी परिव्यय	..	1,59,76,000
49	कृषि पर पूंजी परिव्यय		43,20,61,000
50	औद्योगिक विकास पर पूंजी परिव्यय .	..	5,98,16,000
51	सिंचाई पर पूंजी परिव्यय . .	..	27,31,31,000
52	लोक निर्माण पर पूंजी परिव्यय––इमारतें .		7,99,78,000
53	सड़कों और पुलों पर पूंजी परिव्यय . .	..	5,45,29,000
54	सड़क परिवहन सेवाओं और नौवहन पर पूंजी परिव्यय		64,82,000
55	वनों पर पूंजी परिव्यय .	..	2,51,26,000
56	विविध पूंजी परिव्यय . .	..	8,05,43,000
57	राज्य सरकार द्वारा उधार और अग्रिम .	..	53,62,28,000

तमिलनाडु की वर्ष 1975–76 की अनुदानों की निम्नलिखित अनुपूरक मांगें प्रस्तुत की गयीं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
1	2	3	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०
1	भू-राजस्व विभाग . . .	13,08,000	
4	सामान्य बिक्री कर तथा अन्य कर और शुल्क—प्रशासन . . .	36,31,000	..
9	राज्याध्यक्ष, मंत्री और मुख्यालय का स्टाफ .	92,76,000	..
10	दुग्ध पूर्ति स्कीम . . .	5,56,000	..
11	जिला प्रशासन . . .	2,000	..
12	तमिल नाडु हिन्दू धार्मिक और पूर्त्त अक्षय निधि अधिनियम, 1959 का प्रशासन .	5,00,000	..
14	जेलें	1,33,26,000	..
15	पुलिस	18,46,000	..
16	अग्नि शमन सेवा . . .	3,57,000	..
17	शिक्षा	5,15,08,000	..
18	चिकित्सा	4,52,13,000	..
19	लोक स्वास्थ्य . . .	1,92,45,000	..
20	कृषि	12,000	
21	मीन उद्योग	7,99,000	..
22	पशुपालन	1,33,15,000	..
23	सहकारिता	26,58,000	..
24	उद्योग	1,000	
25	सिनकोना	20,73,000	..
26	हथकरघा और वस्त्र उद्योग . .	10,91,000	..
27	खादी	7,00,000	..
28	सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि .	1,000	..

1	2	3	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०
30	समाज कल्याण . . .	41,00,000	..
31	अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों आदि का कल्याण . . .	2,75,46,000	..
32	पिछड़े वर्गों आदि का कल्याण . .	1,000	..
33	आवास	9,76,000	..
34	शहरी विकास . . .	40,85,000	..
35	नागरिक पूर्ति . . .	1,35,60,000	..
36	सिंचाई	1,45,76,000	..
37	लोक निर्माण––इमारतें . .	5,11,000	..
38	लोक निर्माण––स्थापना और औजार तथा संयंत्र	2,000	..
39	सड़कें और पुल . . .	2,71,25,000	..
41	दैवी विपत्तियों के कारण सहायता . .	4,000	..
42	पेंशनें और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ .	3,22,11,000	..
43	विविध	1,000	..
44	लेखन सामग्री और मुद्रण . .	4,45,000	..
45	वन विभाग	48,95,000	..
48	लोक स्वास्थ्य, सफाई और जलपूर्ति पर पूंजी परिव्यय	..	6,73,000
49	कृषि पर पूंजी परिव्यय . .	..	1,000
50	औद्योगिक विकास पर पूंजी परिव्यय .	..	26,02,000
51	सिंचाई पर पूंजी परिव्यय . .	..	2,36,61,000
52	लोक निर्माण पर पूंजी परिव्यय . .	..	1,18,44,000
53	सड़कों और पुलों पर पूंजी परिव्यय .	..	1,00,02,000
55	वनों पर पूंजी परिव्यय . . .	..	24,78,000
56	विविध पूंजी परिव्यय . . .	..	4,09,78,000
57	राज्य सरकार द्वारा उधार और अग्रिम .	..	29,66,88,000

श्रीमती पार्वती कृष्णन् (कोयम्बटूर) : तमिलनाडू बजट पर चर्चा के लिये निर्धारित समय बहुत ही कम है। इसके लिये समय में कुछ और वृद्धि की जाये।

कुछ माननीय सदस्य : समय कम से कम चार घंटें और बढ़ाया जाये।

अध्यक्ष महोदय : अब हम कटौती प्रस्ताव संख्या 1 से 25 को लेते हैं।

तमिलनाडु की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
3	1	श्रीमती पार्वती कृष्णन् (कोयम्बटूर)	मोटर वाहनों पर कर की दरें समान बनाने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए।
4	2	,,	होजरी उत्पादों पर बिक्री कर कम करके अन्य राज्यों के समान करने में असफलता।	,,
,,	3	,,	आयुर्वेदिक दवाइयों पर अत्यधिक तथा भेदभावपूर्ण बिक्री कर कम करने में असफलता।	,,
,,	4	,,	प्रशासन में कुरीतियों को समाप्त करने और उसे सुचारू बनाने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।
			(नीति निरनुमोदन)	
कि पुलिस शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 26-27) को कम करके 1 रुपया किया जाये।				
15	5	,,	पुलिस विभाग का पुनर्गठन करने और उसे सुचारू बनाने की आवश्यकता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये।
20	6	,,	धान की वसूली में धीमी प्रगति और पहले के खरीद मूल्य पुनः लागू करने की आवश्यकता।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये।
29	7	,,	राष्ट्रीय सर्वोच्च निकाय की तरह के एक सर्वोच्च निकाय की स्थापना करने के लिये उठाए जाने वाले कदम।	,,

1	2	3	4	5
36	8	श्रीमती पार्वती कृष्णन्	राज्य में मोरघना, कावेरी डेल्टा नहरों का आधुनिकीकरण कीसियार योजना और पाण्डियीपुन्नपुझा योजना जैसी दीर्घावधि कृषि परियोजनाओं को आरम्भ करने में असफलता।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये।
,,	9	,,	तमिलनाडु में, विशेष कर सूखे वाले क्षेत्रों में, भूमिगत जल संसाधनों के सर्वेक्षण के उपाय करने में असफलता।	,,
39	10	,,	नई सड़कों का निर्माण और सड़कों का तथा पुलों का रखरखाव विभागीय आधार पर कराने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।
,,	11	,,	नदियों के साथ-साथ जाने वाली सड़कों को पक्का करने की आवश्यकता।	,,
43	12	,,	आपात् स्थिति तथा 20 सूत्री कार्यक्रम का, इसे लागू करने के लिए, समर्थन करने वाले सभी संगठनों एवं दलों के प्रतिनिधियो की सभी स्तरों पर लोकप्रिय समितियां गठित करने में असफलता।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये।
20	13	,,	केन्द्रीय मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार भूमि सुधार विधान में परिवर्तन करने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।
,,	14	,,	खाद्यान्नों के लिये पर्याप्त भांडागरण सुविधायें उपलब्ध करने की आवश्यकता।	,,
,,	15	,,	कृषकों से कच्चे कपास की एकाधिकारी खरीद के लिये एक राज्य कपास निगम स्थापित करने के लिये उपाय।	,,

1	2	3	4	5
23	16	श्रीमती पार्वती कृष्णन	सहकारी और संस्थागत ऋणों को दीर्घकालीन ऋणों में परिवर्तित करने के लिये उपाय।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।
,,	17	,,	सहकारी और अन्य वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ग्रामीण जनता को हीरा–जवाहरात ऋण देना आरम्भ करना।	,,
24	18	,,	वेदारनयम क्षेत्र में लवण–आधारित उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता।	,,
24	19	,	तमिलनाडु में सभी बन्द कपड़ा कारखानों को अपने हाथ में लेने तथा उन्हें चालू करने की आवश्यकता।	,,
24	20	,,	राज्य में बन्द इंजिनियरी एककों को अपने हाथ में लेने तथा उन्हें चालू करने की आवश्यकता।	,,
28	21	,,	विशेषतया सूखा पड़ने वाले क्षेत्रों में नये सामुदायिक कुए खोदने और वर्तमान कुओं को गहरा करने की आवश्यकता।	,,
29	22	,,	अध्यादेश के अनुसार कृषि श्रमिकों को मजदूरी संदाय के कार्यान्वयन के लिए उपाय।	,,
33	23	,,	20 सूत्री कार्यक्रम के अनुसार आवास स्थलों की व्यवस्था करने तथा निर्माण के लिये सभी विकास सुविधायें तथा आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराने की आवश्यकता।	,,
36	24	,,	विशेषतया सूखा पड़ने वाले क्षेत्रों में कुओं को योजनाबद्ध ढंग से गहरा करने तथा नये सामुदायिक कुऐ खोदने की आवश्यकता।	,,
41	25	,,	कोयम्बतूर के सरकार सेन्नाकुलम फिरका में संगानूर पल्लम की बाढ़ नियंत्रण योजना पर कार्य आरम्भ करने की आवश्यकता।	,,

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मैं केन्द्र द्वारा प्रस्तुत इस बजट का विरोध करता हूं। यदि तमिलनाडु विधान सभा को भंग न किया जाता तो उसकी सामान्य अवधि कल तक थी। गुजरात विधान सभा को भंग नहीं किया गया था परन्तु तमिलनाडु सभा को भंग कर दिया गया है। द्रमुक वहां पर बहुमत में था तथा वे नये चुनाव की मांग कर सकते थे। अतएव मैं इस बारे में अपना विरोध प्रस्तुत करता हूं।

दावा किया गया है कि थोड़े से समय में राज्य की आवश्यकताओं और विकास कार्यों की प्राथमिकताओं का अध्ययन करके बजट पेश किया गया है। जनता को विरोध प्रकट करने का अवसर दिये बिना बस किराया बढ़ाया गया है। मुझे पता चला है कि मद्रास से मदुरै के लिये 5 रुपया अधिक देना पड़ता है। धनी लोग बसों का उपयोग नहीं करते। आम लोग ही बसों का उपयोग करते हैं।

हाथ करघा बुनकरों की स्थिति दयनीय है। उनकी नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है। कर्मचारियों के वेतन में 18 रुपए की कमी कर दी गई है। कर्मचारियों के दोनो संगठनों ने इसका विरोध किया है। केवल मदुरै में 15000 कार्मिक हैं। मैं वित्त मंत्री से निवेदन करता हूं कि इस मामले की ओर ध्यान दें।

राज्य सरकार के कर्मचारी तथा शिक्षक केन्द्रीय दरों पर मंहगाई भत्ते की मांग कर रहे हैं। इस प्रकार की मांग सारे देश में की जाती रही है। मंत्री महोदय भेदभाव समाप्त करने की चेष्टा करें।

रामनद जिले में कामुदी थेवर कालेज तथा शिवगंगाई राजा कालेज के छात्र शिक्षक तथा अभिभावक हानि उठा रहेहैं। तमिलनाडु के शिक्षकों के बारे में शिश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों का क्या बना ? मेरा प्रस्ताव है कि शिक्षकों को अदायगी सीधे ही कर दी जानी चाहिए। प्रबन्धकों के माध्यम से नहीं।

चीनी मिलों के कार्मिकों के बारे में मिलों का यह तर्क है कि उन्हें चीनी का लाभदायक मूल्य नहीं मिल रहा। फलतः तमिलनाडु में गन्ने का उत्पादन घट गया है जिसके कारण 950 कार्मिकों की जबरी छुट्टी की गई है।

तमिलनाडु कपड़ा मिलों के मालकों की शिकायत है कि उनके पास माल जमा हो गया है। उन्हें भय है कि शीघ्र ही 20–25 मिलें बन्द हो जायेंगी। केन्द्र ने छटनी, तालाबन्दी तथा जबरी छुट्टी के विरुद्ध कानून अधिनियमित किया है। कावेरी मिल 6 दिसम्बर, 1975 से बन्द पड़ी है जिससे 1200 कार्मिक प्रभावित हुए हैं।

राष्ट्रपति की उद्घोषणा के बाद कृषि कार्मिकों के नये वेतन घोषित किये गये हैं। बैल आदि रखने वाले कर्मचारी की दैनिक मजूरी 9 रुपया तय की गई है, जोकि बहुत कम है। अन्य कार्मिकों के लिये और भी कम मजूरी निर्धारित की गई है। तमिलनाडु के एक करोड़ कृषि कार्मिकों को वर्ष में 150–170 दिन कार्य मिलता है। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों का विकास कसे किया जा सकता है ?

हमारे किसान सभा संगठन लाभदायक उचित मजूरी और कृषि कार्मिकों के लिये वष भर कार्य की मांग करते रहेहैं। मेरी राय है कि ऐसी दरें तय करें कि ये लोग सन्तुष्ट हो सकें। सरकार दावा करती है कि मूल्य घट रहे हैं। लाल मिर्च तथा मूंगफली के मूल्यों में वृद्धि हुई है।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : यह मूंगफली उत्पादकों को समर्थन मूल्य दिये जाने के कारण सम्भव हुआ है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : द्रमुक सरकार के हटाये जाने के बाद तमिलनाडु में लोकतन्त्र समाप्त हो गया है। आज सभाएं नहीं की जा सकती। सरकार और प्रधान मंत्री की आलोचना नहीं की जा सकती। कल ही प्रधान मंत्री ने अपने भाषण में हमारी पार्टी का सम्बन्ध ऐसी पार्टी से जोड़ा है जिनके साथ हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु हम अपनी बात न कर सकते हैं न प्रकाशित कर सकते हैं। संवैधानिक संशोधनों के नाम पर जनता के मौलिक अधिकारों को कम कर रहे हैं। हमारी पार्टी के विरुद्ध एक तरफा प्रचार बन्द किया जाये अन्यथा लोग अपना मार्ग स्वयं बनायेंगे।

श्री जी० भुवाराहन (मटूर) : मैं वित्त मंत्री द्वारा तमिलनाडु का बजट प्रस्तुत किये जाने का स्वागत करता हुं। द्रमुक शासन समाप्त करके प्रधान मंत्री ने तमिलनाडु के लोगों को बहुत राहत दी है। बजट हमें जन विकास कार्यों पर दृष्टि डालने का अवसर देता है दुर्भाग्य पिछले कुछ वर्षों से बजट से तमिलनाडु के आर्थिक विकास की झलक नहीं मिलती। द्रमुक शासन काल में सरकार का ध्यान स्मारक बनाने, मूर्तियां स्थापित करने तथा धन एकत्र करने पर ही रहता थी। मैं प्रधान मंत्री से निवेदन करता हूं कि तमिलनाडु के विकास पर विशेष ध्यान दें ताकि राज्य का पुनः नाम उज्जवल हो सके।

परम्परा से ही जब तमिलनाडु राज्य के लिये मांग आती है तब प्रधान मंत्री राज्य के विकास कार्यों के लिये भरपूर सहायता देते हैं। अभी पिछले वर्ष सूखा पड़ने पर 25 करोड़ रुपया की सहायता दी गई थी। राज्य के पुनर्निर्माण को बढ़ावा देने के लिये योजना परिव्यय के लिये निर्धारित राशि को 177 करोड़ से बढ़ाकर 201 करोड़ कर दिया गया। तुतीकोरन बिजली परियोजना के लिये 27 करोड़ रुपया की अग्रिम राशि दी गई है।

मैं वित्त मंत्री से निवेदन करता हूं कि निवेली में सर्वेक्षण आदि कार्यों के लिये 2 करोड़ रुपया दिये जायें। वित्त मंत्री को होगे कल पन बिजली योजना की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। कर्नाटक सरकार से अच्छे सम्बन्धों को देखते हुए अब इस परियोजना पर बातचीत की जा सकती है और सहानुभूति पूर्ण निर्णय लिया जा सकता है।

पिछल कुछ वर्षों में तमिलनाडु में एक भी बड़े उद्योग की स्थापना नहीं की गई है। जहां का एकमात्र बड़ा उद्योग सेलम इस्पात संयंत्र है। इस उद्योग की ओर समूचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है और न ही इसे पर्याप्त सहायता प्राप्त हो रही है। वित्त मंत्री को इस वर्ष सेलम इस्पात संयंत्र के लिए अधिक धन देना चाहिए। इसके लिए 16.6 करोड़ रुपए की जो राशि निर्धारित की गई है वह बहुत कम है।

जहां तक सिंचाई का सम्बन्ध है राज्य ने भूमि तल पर उपलब्ध जल का उपयोग कर लिया है। अब बड़े टैंकों से गाद हटाने, बांधों को मजबूत बनाने और सभी बांधों की नहर प्रणालियों को आधुनिक बनाने का विचार है।

सामान्यतः एक कल्याणकारी राज्य में लोग वित मंत्री से यह आशा करते हैं कि यह अमीरों से वसूली करके गरीबों को राहत पहुंचाएंगे । किन्तु तमिलनाडु के बजट में इस पहलु पर ध्यान नहीं दिया गया है । इन्हें किसानों को तथा सड़क परिवहन को राहत प्रदान करनी चाहिए ।

श्री एस० कल्याण सुन्दरम (तिरुचिनापल्ली): 1952 से 1962 तक श्री सुब्रह्मण्यम तमिलनाडु के वित्त मंत्री थे। उन्होंने 100 करोड़ रुपया का बजट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की थी । जब द्रमुक सरकार सत्ता में आई तो बजट आंकड़े 200 करोड़ रुपए से कुछ ऊपर हो गए और आज यह आंकड़े 580 करोड़ से ऊपर हैं लेकिन इसका क्या फायदा हुआ है । सात जिलों के अधिकांश क्षेत्र स्थायी रूप से सूखाग्रस्त हो गए हैं । इस राशि के व्यय करने के बावजूद भी आधी जनसंख्या गरीबी के स्तर से निचले स्तर पर जीवन यापन कर रही है । बिजली संकट एक पुरानी बिमारी के समान हो गया है । अब राष्ट्रपति शासन के अधीन अधिक बिजली तथा सिंचाई सुविधायें देने तथा आधारभूत प्राथमिकता प्राप्त कार्यों को शुरु करने की दिशा में शुरुआत की गई हैं । यह एक स्वागत योग्य कदम है ।

तमिलनाडु में जल का अभाव है । कावेरी ही वहां की एकमात्र नदी है । इस समस्या को स्थायी हल हेतु पड़ोसी राज्यों को हमारी सहायता करनी चाहिए । केरल, कर्नाटक और आंध्र को हमारी सहायता करनी चाहिए । बदले में हम उन्हें धान दे सकते हैं । लेकिन केन्द्र का भी कुछ कर्तव्य है । उसे भूमिगत जल का पता लगाना चाहिए ।

भारत सरकार द्वारा भूगर्भीय सर्वेक्षण किया गया है और मैं अनुरोध करुंगा कि अन्वेषण कार्य शीघ्र पूरा किया जाये ताकि भूमिगत पानी को बाहर लाया जा सके और उसका उपयोग किया जा सके क्योंकि हमारे भूमि के ऊपर के जल साधन सीमित हैं । ओगनाक्कल परियोजना, जिसे विद्युत परियोजना के रूप में शुरु किया जायेगा, का शीघ्र समाधान किया जाना चाहिए । मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह तमिलनाडु की विद्युत और जल संकट से उत्पन्न वर्तमान कठिनाइयों को दूर करें ।

नेवेली तमिलनाडु की सबसे अधिक महत्वपूर्ण परियोजना है । इस योजना को आरम्भ करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गये हैं । इस योजना पर तेजी से कार्य किया जाना चाहिए । कल्याक्कम के बारे में वार्ता पूरी हो चुकी है और इसे हमारे स्वयं के संसाधनों से विकसित करना सम्भव है । कृपया देखें कि इसे शीघ्र पूरा किया जाये तथा इसका विस्तार किया जाये ।

जहां तक उद्योग का सम्बन्ध है सरकारी तथा गैरसरकारी दोनों ही क्षेत्रों में हथकरघा वस्तुओं का स्टाक जमा हो गया है । जब तक इस स्टाक को उठाया नहीं जाता तब तक किसी राहत के बारे में सोचा नहीं जा सकता । स्टाक जमा हो जाने के कारण ही मजूरी दर में भी कमी हुई है। इस जमा स्टाक को उठाने के बारे में भी कोई कार्यवाही की जानी चाहिए लेकिन दुर्भाग्यवश बजट भाषण में इस सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।

जहां तक कर प्रस्तावों का सम्बन्ध है, बस के किरायों में वृद्धि, जिसके लिए द्रमुक सरकार उत्तरदायी है, एक बहुत गम्भीर मामला है । द्रमुक सरकार ने 6 परिवहन निगमों की स्थापना की जिनके कारण बेकार का खर्चा और चोरी चकारी बढ़ी । इन निगमों के पुनर्गठन की आवश्यकता है। इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो राजस्व में वृद्धि होगी और बसों के किराए बढ़ाने की आवश्यकता नहीं रहेगी ।

[श्री एस कल्याण सुन्दरम्]

सिंचाई उपकर से खेतिहरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह बात समझ में नहीं आती कि सभी क्षेत्रों, चाहे उनमें उत्पादन हो या न हो, उपकर लगाया गया है। यहां तक कि खराब मौसम में भू-राजस्व भी माफ कर दिया जाता है। यदि एक एकड़ भूमि वाला किसान केले की खे ी करता है तो उसे जल उपकर के रूप में 12 रुपए और केले की खेती पर उपकर के रूप में 25 रुपए देने होंगे। छोटे किसानों पर इस प्रकार का कर क्यों लगाया गया है। इसपर पुनर्विचार की आवश्यकता है। एक बेहतर वैज्ञानिक श्रेणीकृत कृषि आय कर होना चाहिए। जब तक इस प्रस्ताव पर विचार नहीं होता तब तक कुछ राहत दी जानी चाहिए। मूल्य में पहले ही कमी हुई है। तमिलनाडु में गन्ना उत्पादक को अन्य राज्यों में 150 रु० प्रति टन के मुकाबले केवल 90 रुपए प्रति टन दिए जा रहे हैं। आप किसानों को किस प्रकार संरक्षण दे रहे हैं ?

सलाहकारों द्वारा वहां का शासन सम्भालने के बाद कुछ दिन के लिए विभिन्न अधिकारी वर्ग में कुछ भय उत्पन्न हो गया था किन्तु जिस ढंग से वे व्यवहार कर रहे हैं उससे जन साधारण की नजरों में राष्ट्रपति शासन बदनाम हो जायेगा। उन्हें सुधारा जाये।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

यदि आवश्यक समझा जाये तो उनमें से कुछ को ऐसे व्यवहार के लिए जेल भी भेज दिया जाये। प्रशासन के विरुद्ध यह सुधारात्मक कार्यवाही अवश्य की जाये।

वित्त मंत्री ने 20 सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिए 111 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। जिन राजनीतिक दलों का इस 20 सूत्री कार्यक्रम, आपात स्थिति, राष्ट्रीय एकता और देश की स्वतंत्रता में आस्था है, उन्हें इसमें शामिल करने के लिए एक समिति बनाई जाये।

श्री ओ० वी० अलगेशन (तिरुत्तनी) : द्रमुक शासन के दौरान तमिलनाडु राज्य में विकास रूक गया था और वह नैतिकता के अधोस्तर तक पहुंच गया था। यह राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा से भटक गया था। इसे दिशा और उद्देश्य का ज्ञान नहीं रहा। अब इसे प्रगति के पथ पर पुनः वापस लाना है।

यह बजट उक्त तथ्यों के प्रति पूरी तरह जागरुक है और केन्द्रीय बजट की भावना के अनरूप है। योजना परिव्यय को बढ़ाकर 201 करोड़ रुपए किया गया है। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे बिजली सिंचाई, उर्वरकों, इत्यादि पर भारी विनियोजन किया गया है। 20 सूत्री कार्यक्रम की सभी बातों का अनुपालन किया जायेगा। यह सब स्वागत योग्य है लेकिन राज्य के अपने संसाधन राज्य की पिछड़ी स्थिति से उभारने में पर्याप्त नहीं है। केन्द्र सरकार को इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होगी।

नेवेली परियोजना में 65 लाख टन उत्पादन का लक्ष्य था लेकिन इसे पूरा नहीं किया जा सका। जब वह खान मंत्रालय में थे तो दूसरी खान कार्यक्रम के संबंध में एक आदेश दिया था लेकिन वह आदेश आज तक पूरा नहीं हुआ। यह उचित समय है कि तमिलनाडु जैसे राज्य की बिजली आवश्यकताओं की ओर ध्यान दिया जाये तथा इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही की जाये और दूसरी खान पर

कार्य चालू किया जाये । कलपक्कम परियोजना में अनावश्यक विलम्ब किया जा रहा है । इस परियोजना के पहले यूनिट से हमें शायद 1978–79 में बिजली मिलने लगेगी और दूसरे यूनिट से उसके दो वर्षों बाद बिजली प्राप्त होने लगेगी । अत : इस परियोजना को शीघ्र पूरा किया जाये ।

जहां तक कृष्णा नदी के जल का प्रश्न है यह सन्तोष की बात है कि आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के मुख्य मंत्री मद्रास को पेय जल की सप्लाई करने के बारे में सहमत हो गए हैं लेकिन जब तक पन्नार नदी पर एक बांध नहीं बनाया जाता तब तक वहां पानी नहीं पहुंच सकता और जब तक केन्द्र सरकार इस मामले में आन्ध्र प्रदेश की सहायता नहीं करती तब तक वह इस परियोजना को आरम्भ नहीं करेंगे ।

यह प्रसन्नता की बात है कि कृषि क्षेत्र में भारी पूंजी निवेश किया जा रहा है । सरकार ने अतिरिक्त जल उपकर लगाकर तथा वाणिज्यिक फसलों का विशेष मूल्यांकन करके एक हाथ से जो दिया था दूसरे हाथ से वह वापस ले लिया है । यह उपकर ऐसे समय पर लगाया गया है जबकि किसान अपना उत्पाद बेचने की स्थिति में नहीं है । इससे किसान को काफी कठिनाई होगी । अत: एक राज्य से दूसरे राज्य में खाद्यान्नों के लाने ले जाने पर प्रतिबंध हटा दिया जाये ताकि किसानों को अपने उत्पाद के लिए कुछ मूल्य प्राप्त हो सके ।

तमिलनाडु विधान सभा में यह सम्भावना व्यक्त की गई थी कि भूमि की अधिकतम सीमा लागू करते ही कृषि आय पर आयकर समाप्त कर दिया जायेगा । मेरा अनुरोध है कि कृषि आय-कर समाप्त कर दिया जाये ।

भूमि सम्बन्धी विधानों को केन्द्र के अनुरुप बनाते समय हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए । यदि वर्तमान अधिकतम भूमि सीमा अधिनियम की कमी को केन्द्र के निर्देशन के अनुसार दूर किया जाता है तो वे परिवर्तन अब से आगे के लिए लागू किए जायें न कि विगत प्रभाव से लागू किये जायें ।

बसों के किराये में ही 25 प्रतिशत की वृद्धि नहीं की गई है वरन् मोटरगाड़ी कर भी प्रति सीट 180 रु० से बढ़ाकर 225 रु० कर दिया गया है । यह निश्चय ही बहुत कम है । इसका अर्थ होगा कि लोग रेल गाड़ी से यात्रा करने लगेंगे । इसपर विचार किया जाये ।

भूमि की अधिकांश सीमा 15 स्टेण्डर्ड एकड़ रखी गई है । यदि इसके और टुकड़े होते हैं तो इससे अधिकतम कृषि उत्पादन और उत्पादकता नहीं रह सकती है । अधिकतम उत्पादन और उत्पादकता बनाये रखने के लिए तमिलनाडु में शीघ्र चकबन्दी की जाये ।

1958 और 1960 के बीच तमिलनाडु में कई पोलिटेक्निक स्थापित किए गयें । पर वे सभी गैर-सरकार प्रबंध के अन्तर्गत हैं । उनके सामने एक कठिनाई यह आ रही है कि पहले उनसे एक अंश का योगदान देने को कहा जाता था परन्तु अब उन्हें बहुत अधिक देना पड़ता है । सरकार प्रबंधकों के योगदान को पुराने स्तर पर ही बनाये रखे, इसे बढ़ाये नहीं ।

हम पल्लीपट्ट के निकट कुसास्थली नदी पर पुल बनाने का अनुरोध करते आ रहे हैं । यह नदी आन्ध्र प्रदेश के बिल्कुल समीप है और यह सड़क एक अन्तर्राज्यीय सड़क है । मुझे आशा है कि सरकार इस मामले की जांच करेगी और यहां पर एक पुल बनायेगी ।

[श्री ओ० बी० अलगेशन]

द्रमक सरकार ने अनेक प्रतिमायें स्थापित की हैं । वर्तमान अधिकारी इस ओर ध्यान दें कि इन प्रतिमाओं के कारण यातायात में रुकावट न पड़े । इन्हें हटाकर संग्रहालयों में रख दिया जाये जिससे सड़कों पर आवागमन में रुकावट न पैदा हो ।

*श्री जे० माता गौडर (नीलगिरी) : प्रत्येक व्यक्ति वित्त मंत्री से लेकर प्रधान मंत्री तक यह कह रहे हैं कि द्रमुक सरकार के शासन के दौरान तमिलनाडु में योजना निवेश में भारी कमी हुई है। वास्तविकता यह है कि द्रमुक सरकार ने तमिलनाडु के लिए योजना आयोग से 22 करोड़ रुपए की मांग की थी, परन्तु उन्हें केवल 177 करोड़ रुपए की राशि दी गई । इसके पीछे उद्देश्य यह था कि द्रमुक सरकार को उतनी राशि न दी जाये जितनी राशि उन्होंने मांगी है । इस 50 करोड़ रुपए की कमी किए जाने का और कोई कारण नजर नहीं आता और द्रमुक सरकार के हटाये जाने के 1½ महीने में ही योजना परिव्यय बढ़ाकर 201 करोड़ रुपए कर दिया गया । क्या इससे यह प्रतीत नहीं होता कि केन्द्रीय सरकार तमिलनाडु के लोगों को यह जताना चाहती है कि वह तमिलनाडु के लोगों के कल्याण में रुचि रखती है । प्रतीत होता है कि यह सब प्रचार के लिए किया जा रहा है अत: यहां भी स्पष्टीकरण दिए जाने की आवश्यकता है ।

कुल 201 करोड़ में से 80 केन्द्रीय सरकार देगी जिसका 70 प्रतिशत ऋण तथा 30 प्रतिशत राज्य को अनुदान के रूप में होगा । वास्तव में तमिलनाडु को 227 करोड़ रुपए दिये जाने चाहिए ।

मौसम अच्छा होने से तमिलनाडु में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है । बताया गया है कि सूखे का मुकाबला करने के लिये दिये गये धन का राज्य की द्रमुक सरकार ने अन्य उद्देश्यों के लिये उपयोग किया है । इसे कुओं, सड़कों और भूमिगत जल व्यवस्था पर व्यय किया गया है ।

बजट में राज्य की विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का उल्लेख किया गया है । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे केन्द्रीय सरकार ने तमिलनाडु की जनता के लाभार्थ यह परियोजनाएं शुरू की हैं । जबकि वास्तव में यह बात है नहीं ।

हरिजनों तथा पिछड़े वर्गों के विकास के लिये 17.45 करोड़ रुपए आवंटित किये गये हैं । यह 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जा रहा है । मैं समझता हूं कि यह राशि अप्रयाप्त है ।

मद्रास को पेय जल के लिये कृष्णा नदी के पानी के दिये जाने की चर्चा की गई है । इस बारे में बातचीत 1963 से चल रही है परन्तु इसे अभी तक क्रियान्वित नहीं किया जा सका । 1963 से 1967 तक वहां पर कांग्रेस का मंत्रिमंडल था । कांग्रेस सरकार ने जनता के हितों की अवहेलना की। परिणामस्वरूप 'द्रमुक' सत्ता में आया । 15 फ़रवरी, 1976 को प्रधान मंत्री ने मद्रास में घोषणा की कि पड़ोसी राज्य तमिलनाडु विशेषत: मद्रास नगर के लिये पेय जल देने को सहमत हो गये हैं ।

---

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

बजट भाषण में कहा गया है कि तमिलनाडु के कुछ भागों में सूखे की स्थिति बनी हुई है । सरकार पडियार-पुत्तमपुझा परियोजना को शीघ्रता से पूरा करने की चेष्टा करे । केरल सरकार ने आग्रह किया है कि इसकी सिंचाई के लिये उपयोग न किया जाये । इस बारे में केरल और तमिलनाडु सरकारों के मध्य एक करार हुआ था । यह उस समय की तमिलनाडु सरकार की भूल थी कि इस परियोजना को सिंचाई के लिये उपयोग में न लाया जाये । तमिलनाडु में कांग्रेस की भूलों के लिये द्रुमक उत्तरदायी नहीं है ।

मोटर-यानों पर कर को 180 से बढ़ा कर 225 रुपए कर दिया गया है । केरल में यह कर 70 रुपए, कर्नाटक में 35 रुपए, आन्ध्र प्रदेश में 135 रुपए, पांडिचेरी में 10 रूपए था । इसका भार आम व्यक्तियों पर पड़ेगा ।

तमिलनाडु को अलग थलग करना राष्ट्रीय हित में नहीं है । द्रमुक सरकार को इसलिए बरखास्त किया गया क्योंकि वहां पर कांग्रेस सरकार की स्थापना की सम्भावना नहीं थी ।

राज्य में हर बुराई के लिये भूतपूर्व द्रमुक सरकार को उत्तरदायी ठहराने के स्थान पर केन्द्रीय सरकार राज्य के लोगों का प्यार जीतने का यत्न करे ।

श्री के० गोपाल (करूर) : मैं वित्त मंत्री को यह श्रेष्ठ बजट पेश करने के लिये बधाई देता हूं जिसमें योजना परिव्यय के लिये 201 करोड़ रुपए रखे गये हैं । यह वर्ष 1975-76 के मूल परिव्यय से 177 करोड़ रुपए अधिक है । यह चालू परिव्यय से 177 करोड़ रुपया अधिक है जोकि 40 प्रतिशत अधिक है । 20 सूत्री कार्यक्रम पर 111 करोड़ रूपए व्यय किये जा रहे हैं। यह भी प्रसन्नता का विषय है कि तूतीकोरिण तापीय बिजली घर परियोजना पर व्यय किया जायेगा ।

सिंचाई दरों के बढाये जाने के बारे में बहुत कुछ कहा गया है । तमिलनाडु में सिंचाई दर 1963 से नहीं बढ़ाई गई है जबकि पड़ौसी राज्यों में यह चार गुना अधिक बढ़ाई गई है । अब भी यह राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात की दरों से कम है । यह वृद्धि सर्वथा ठीक है ।

नेपाल जलाशय योजना 1959 में चालू की गई थी । इससे 10,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होने की सम्भावना थी और इस पर 2.5 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान था । वर्तमान मूल्यों के अनुसार इस पर 9 करोड़ रुपए व्यय होंगे । इसे तुरन्त हाथ में लिया जाये । इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

तमिलनाडु में 10,000 बसें हैं उनमें से 5000 गैर-सरकारी क्षेत्र में हैं । आज स्थिति यह है कि 20 प्रतिशत बसें बन्द पड़ी हैं इससे आम व्यक्ति को हानि उठानी पड़ती है । मैं बसों के शत प्रतिशत राष्ट्रीयकरण के पक्ष में हूं । मैं स्वीकार करता हूं कि करों के मामले में हम एकरूपता नहीं रख सकते ।

तमिलनाडु के किसानों की विचित्र दशा है । पिछले महीने में कई वित्तीय निगमो की स्थापना की गई है । 100 रुपया ऋण लेने के लिये 200 का बाण्ड भरना पड़ता है । इस बारे में समूचे देश के लिये एक नीति निर्धारित की जानी चाहिए ।

[श्री के० गोपाल]

नसबन्दी से राज्य को लगभग 56 करोड़ रुपए की हानि हुई । 1976–77 में उत्पादन शुल्क में की गई वृद्धि से हानि 80 करोड़ हो जायेगी । केन्द्र को इस हानि को पूरा करने के लिए अनुदान देना चाहिए । तमिलनाडु में लाटरियां भी बन्द कर दी गई । तमिलनाडु में बहुत से उठाऊ सिंचाई समितियां स्थापित की गई । 2300 ऐसी समितियों में से 80 प्रतिशत दिखावे की हैं । आम लोगों की भलाई के लिये इन समितियों को तुरन्त कार्य करना चाहिए ।

20 सूत्री कार्यक्रम को क्रियान्विति के लिये हमें अधिकारी तन्त्रपर निर्भर रहना पड़ता है । लोकप्रिय सरकार का कोई विकल्प नहीं है । मेरे निर्वाचन क्षेत्र में विगत 25 वर्षों से 1000 व्यक्ति कावेरी नदी के साथ लगे क्षेत्र में खेती करते रहे हैं । यह भूमिहीन हरिजन और स्वतन्त्रता सेनानी हैं । राष्ट्रपति की उद्घोषणा के बाद उन्हें 2500 रुपये प्रति एकड़ देने को कहा गया है । इस बारे में मैंने सरकार को एक अभ्यावेदन भी भेजा है । अभी तक इस बारे में कुछ कार्यवाही नहीं की गई है । मेरे क्षेत्र में बुनकर केन्द्र की स्थापना के लिये 40 लाख रूपए दिये जा रहे हैं ।

द्रमुक सरकार ने पुलिस सेवा में 50 प्रतिशत से अधिक भर्ती की थी जिनमें थानेदार स्तर के व्यक्ति आते हैं । इसका उद्देश्य प्रधान मंत्री को बदनाम करना है । मुझे उम्मीद है कि वर्तमान परामर्शदाता ध्यान देंगे कि राज्य की जनता को तंग न किया जा सके ।

श्री जी० विश्वनाथन (बान्दीवाडा) : तमिलनाडु में करुणानिधि सरकार का पतन सत्ता लोलप भ्रष्ट लोगों के लिये शिक्षाप्रद होना चाहिए । प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाये जाने के बारे मूल्यों में पर्याप्त कमी हुई है ।

हमें प्रसन्नता है कि योजना परिव्यय में 201 करोड़ रुपये लगाये जायेंगे । बिजली के लिये 70 करोड़ रुपए दिये गये हैं जिसमें से 20 करोड़ रुपए तुतीकोरन थर्मल संयंत्र के लिये दिये गये हैं, जो कि उचित ही हैं ।

मेरी समझ में नहीं आता कि वित्त मंत्री ने पहले से पीड़ित मोटर गाड़ी संचालकों पर और कर क्यों लगा दिया है । मैं वित्त मंत्री को इस पर पुनः विचार करने का आग्रह करता हूं ।

पहली बार वाणिज्यिक फ़सलों पर कर लगाया गया है । परन्तु यह बात विचारनीय है कि क्या 1–2 एकड़ भूमि वाले छोटे किसानों पर भी कर लगाना कहां तक उचित है । 3 अथवा 5 एकड़ भूमि वाले किसानों को इससे मुक्त रखा जाना चाहिए । ग्रामीण ऋण प्राय समाप्त कर दिया गया है । इस बार अनाज की वसूली 10 रुपए कम मूल्य पर की जा रही है ।

केन्द्र ने तमिलनाडु राज्य में उद्योगों की उपेक्षा की है । अब तो उसे इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए ।

सेलम इस्पात संयंत्र पर अब तक 10 करोड़ रुपए लग चुके हैं । दस्तूर कम्पनी द्वारा प्रस्तुत ब्यौरे का विशेषज्ञ समितियों द्वारा अध्ययन किया जा चुका है । 1973 तक कार्य ठीक चलता रहा । परन्तु बजट में कटौती के कारण कार्य की गति मन्द पड़ गई ।

विलम्ब के कारण परियोजना व्यय 340 करोड़ से बढ़कर 516 करोड़ रुपये हो गया। कम से कम अब तो इसे क्रियान्वित किया जाये। लोगों में इस परियोजना के पूरे किये जाने के बारे में सन्देह पैदा हो गया है। वित्त मंत्री महोदय को इस सन्देह को दूर करना चाहिए। संयंत्रों एवं मशीनरी के लिये विश्वव्यापी टेंडर शीघ्र आमंत्रित किये जायें क्योंकि उनमें पर्याप्त समय लगता है।

नेवेली में दूसरी खान के बारे में वर्षों से चर्चा चली आ रही है। इसके कब तक चालू होने की सम्भावना है ?

कलपाकम के बारे में 10-15 वर्षों से चर्चा की जाती रही है। मैं चाहता हूं कि इस इस्पात संयंत्र पर केन्द्रीय सरकार अधिक ध्यान दें क्योंकि इससे लाखों पम्प सैटों के चालू होने की सम्भावना है। हम तमिलनाडु के लिये अधिक बिजली तथा पावर चाहते हैं। वित्त मंत्री ने करों की अच्छी उगाही की चर्चा की है। तमिलनाडु में सिनेमा मालक "मामूल" देते रहे हैं।

हमने कई कटौती प्रस्ताव दिये हैं। उनमें से एक में मांग की गई है कि राज्य में पुलिस बल को पुनर्गठित किया जाये। पुलिस के सतर्कता तथा भ्रष्टाचार विरोधी विभाग को अब तो कार्यरत होना चाहिए। अपराधों को रोकना तथा भ्रष्टाचार समाप्त करना पुलिस का ही कार्य है। परन्तु जब पुलिस ही भ्रष्ट है तब भ्रष्टाचार को कौन रोकेगा ? राज्यपाल तथा उनके परामर्शदाताओं को इस मामले को प्राथमिकता देनी चाहिये। तमिलनाडु में गरीबी तथा भ्रष्टाचार दोनों को समाप्त करना चाहिए।

सिंचाई की चार परियोजनाएं राज्य में ली गई हैं। दो अन्य परियोजनाओं को भी लिया जाना चाहिए।

भूतपूर्व सरकार प्रचार पर बहुत अधिक व्यय करती रही है। इस खर्चे में काफ़ी कटौती की जानी चाहिए।

तमिलनाडु लोक सेवा आयोग महत्वपूर्ण पदों के लिये मंत्रियों के द्वारा सिफ़ारिश किये गये उम्मीदवारों को चुनने के लिए प्रसिद्ध हैं। मैं समझता हूं कि अब यह सेवा आयोग वास्तविक सेवा आयोग बन सकेगा।

लोगों ने नये प्रशासन पर बहुत सी उम्मीदें लगाई हुई हैं। राष्ट्रपति के शासन का यह अर्थ नहीं होना चाहिए कि भ्रष्ट द्रमुक मंत्रियों के स्थान पर भ्रष्ट अधिकारियों को नियुक्त कर दिया जाये। मुझे उम्मीद है कि जनता की आकांक्षाएं पूरी की जायेंगी।

***श्री ए० एम० चेल्लाचामी** (टेंकासी) : तमिलनाडु की अर्थ-व्यवस्था को 9 वर्षों से द्रमुक सरकार द्वारा बिगाड़ा जाता रहा है। वित्त मंत्री ने राज्य की अर्थ-व्यवस्था में सुधार लाने का यत्न करने का आश्वासन दिया है। इसके लिये मैं उनका धन्यवाद करता हूं।

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of speech delivered in Tamil.

[श्री ए० एम० चेलाचामी]

योजना परिव्यय के लिए 201 करोड़ रुपए आवंटित किये गये हैं। इनमें से 56 प्रतिशत प्रधान मंत्री के 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिये व्यय किये जायेंगे। प्रत्येक जिले में एक गैर सरकारी समिति तुरन्त गठित की जानी चाहिए।

द्रमुक सरकार का दावा था कि राज्य में लगभग 2300 उठाऊ सिंचाई परियोजनायें हैं परन्तु नये प्रशासन को पता चला है कि उनमें से 1800 समितियां जाली हैं। इन समितियों को आवंटित 80 करोड़ रुपए का द्रमुक द्वारा दुरूपयोग किया गया है।

अब सरकार ने 177 करोड़ रुपए की द्रमुक सरकार की मांग से 24 करोड़ पए अधिक दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि इस धन का सद् उपयोग किया जायेगा।

नये प्रशासन को पता चला है कि प्रदेश में 900 सहकारी समितियों का कई वर्षों से लेखा परीक्षण नहीं किया गया, जोकि अब शुरू कर दिया गया है।

भूमि बंधक बैंकों की राज्य में 223 शाखाएं हैं जिनके विरूद्ध बहुत से आरोप हैं। तमिलनाडु के 2000 तथा उसके अधिक जन संख्या वाले 1500 ग्रामों में कोई भी स्कूल नहीं हैं। वहां पर स्कूल स्थापित किये जायें। द्रमुक सरकार ने राष्ट्रीय राजपथों के दोनों ओर आदर्श "हटों" का निर्माण किया जोकि प्रचार साधनों के लिये उपयोग में आती रही हैं। न तो जिला अधिकारी ही और न ही मंत्रियों ने कभी यह कोशिश की है कि वे गांवों में जाकर लोगों की आवास सम्बन्धी आवश्यकताओं का पता लगाएं। खुशी की बात है कि प्रधान मंत्री के 20-सूत्री कार्यक्रम में गांवों में मकानों की व्यवस्था करने का प्रावधान है। मेरी मांग है कि तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हरिजनों और पिछड़े लोगो को मकान देने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जानी चाहिए।

तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों--रामनाथपुरम, तिरुनवेली और कन्याकुमारी आदि में सूखा रहता है। द्रमुक सरकार ने इस समस्या को हल करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की। वस्तुतः कांग्रेस सरकार ने वर्ष 1952 से 1967 तक तमिलनाडु में इस समस्या के हल के लिए कोई कार्यवाही नहीं की। वहां भुखमरी से मौतें सामान्य बात हो गई है। यदि वहां सूखा राहत दी भी जाती है तो उसका आधा भाग इंजीनियर और अन्य अधिकारी खा जाते हैं। सूखे की समस्या को हल करने के लिए ऐस कार्यवाही की जानी चाहिए। वस्तुतः वहां एक सिंचाई परियोजना शुरू की जानी चाहिए।

घिरियार परियोजना के सम्बन्ध में सरकार को अभ्यावेदन भेजे गए थे। घिरियार नदी पर बांध बनाकर उसके पानी को पूर्वी दिशा की ओर मोड़ा जा सकता है। इसके लिए 12,000 फुट लम्बी सुरंग का निर्माण करना होगा इससे जो पानी इकट्ठा होगा इससे 20,000 एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी। इससे 15,000 टन अतिरिक्त अनाज का उत्पादन हो सकता है।

यदि इस योजना का क्रियान्वयन किया जाए तो यह सूखा-पीड़ित लोगों के लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। वहां के लोगों को बहुत खुशी होगी यदि यह योजना क्रियान्वित की जाए।

वित्त मंत्री ने समेकित ग्रामीण परियोजना का उल्लेख किया है और कहा है कि इसके लिए 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाए। मैं चाहता हूं कि तमिलनाडु में यह योजना उत्साहपूर्वक शुरू की जाए।

सरकारी अस्पतालों में डाक्टर मरीजों की परवाह नहीं करते। इसका कारण यह है कि उनके अपने निजी औषधालय हैं और वे मरीजों को वहां आने के लिए कहते हैं। गरीब आदमी अपने इलाज पर इतना पैसा कैसे व्यय कर सकते हैं? डाक्टरों को निजी प्रैक्टिस की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और इस बारे में निदेश जारी किए जाने चाहिए।

अन्त में मैं फिर कहूंगा कि रामनाथपुरम, तिरुनवेली, कन्याकुमारी में रहने वाले लोगों के हित के लिए विरियार सिंचाई परियोजना को शीघ्र क्रियान्वित किया जाए।

श्री एस० राधाकृष्णन (कुड्डलूर) : मैं बजट प्रस्तावों का विरोध करता हूं। तमिलनाडु के कृषि उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। किसी अन्य राज्य में इतना कृषि उत्पादन नहीं हुआ जितना इस राज्य में। (**व्यवधान**) यह कहना गलत है कि द्रमुक सरकार ने जो कुछ किया गलत किया। वस्तुतः केन्द्रीय सरकार ने तमिलनाडु के साथ सौतेली मां सा व्यवहार किया है। मार्च, 1972 में द्रमुक सरकार ने केन्द्रीय सरकार को सहायता तथा परिव्यय बढ़ाने की मांग की थी। वर्ष 1972 में मुख्य मंत्री ने विधान सभा में कहा था कि इतनी कम सहायता की राशि से प्रगति एवं विकास की दर में बाधा आएगी। तब से अब तक द्रमुक सरकार सहायता तथा परिव्यय की राशि में वृद्धि करने की मांग करती आ रही है।

यह सच है कि तमिलनाडु में उर्वरक उपलब्ध है। लेकिन किसानों में उर्वरकों को खरीदने की क्षमता नहीं है। क्या किसी भी सदस्य ने इन किसानों को कम मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने पर जोर दिया है?

विद्युत के बारे में बोलते हुए मंत्री महोदय ने नेवेली और सेलम संयंत्र का उल्लेख नहीं किया है। लोगों को मन में यह संदेह उत्पन्न हो गया है कि सेलम इस्पात संयंत्र बनाकर तैयार भी होगा अथवा नहीं।

प्रसन्नता की बात है कि मंत्री महोदय ने मद्रास में पीने के पानी की अत्यधिक कमी का उल्लेख किया है। वीरनाम परियोजना का उल्लेख भी किया गया है। तमिलनाडु के लोगों को इस परियोजना के बारे में कटु अनुभव है।

हमारे राज्यपाल तमिलनाडु के कई स्थानों का दौरा करते हैं और जनता की याचिकाएं लेते हैं। यह समझ नहीं आता कि इस प्रकार वह लोगों की कठिनाइयां किस प्रकार दूर करेंगे। यह भी पता नहीं चल पाया कि राज्य के लिए नियुक्त की जाने वाली समिति औपचारिक होगी अथवा वास्तविक। मंत्री महोदय यह आश्वासन दें कि इस समिति का कार्यकरण जनता की शिकायतों तथा संदेहों को दूर करने में सहायक होगा।

बजट में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति शासन के कारण वित्तीय प्रशासन में अनुशासन की भावना आई है और इस प्रकार राजस्व में वृद्धि होने की आशा की जा सकती है। लेकिन राजस्व अधिकारी किसानों से सिंचाई पम्प-सैट ले रहे हैं। इस जबरन उपाय से स्थिति और भी बिगड़ेगी।

[श्री एस० राधा कृष्णन]

बस मालिकों को तमिलनाडु से निकाल दिया गया है। अब वे अपना कारोबार बन्द करके दिल्ली में कार्य शुरू करने पर विचार कर रहे हैं। वे मंत्रियों से भी मिले हैं और उन्होंने मोटर गाड़ी कर में कमी करने के लिए अनुरोध किया है। परन्तु कर प्रति तिमाही एक सीट पर 180 रुपये से बढ़ाकर 225 रुपये कर दिया गया। यह उचित नहीं है।

हालांकि तमिलनाडु में 80 लाख टन से अधिक कृषि उत्पाद हुआ है लेकिन फिर भी अतिरिक्त जल उपकर लगा दिया गया है। इससे अगले वर्ष उत्पादन में कमी होगी।

श्री के० नायनेवर (डिंडीगुल) : बजट-पत्र देखने से पता चलता है कि केन्द्रीय बजट में गतवर्ष राज्यों तथा संघशासित क्षेत्रों के लिए 2812 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई थी। लेकिन वर्ष 1976-77 के लिए 3762 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। हमें बताया गया है कि कुल परिव्यय में 31.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस वित्तीय वर्ष में तमिलनाडु का अंश 24 करोड़ रुपये रखा गया है। यह कुल परिव्यय का 15–18 प्रतिशत बैठता है। जबकि तमिलनाडु 50–60 करोड़ रुपये प्राप्त करने का हकदार है। यदि सरकार तमिलनाडु राज्य को अन्य राज्यों के बराबर लाना चाहती है तो इसे राशि पर पुनः विचार करना होगा।

भारत सरकार तथा राष्ट्रपति के माध्यम से मैं राज्यपाल को अनुरोध करता हूं कि वे पंचायतों और परिषदों को समाप्त कर दें क्योंकि उनके चुनाव तीन वर्ष पूर्व हो जाने चाहिए थे। मेरा एक अनुरोध यह भी है कि स्थानीय निकायों के शीघ्र चुनाव कराए जाएं। तमिलनाडु के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि तीन वर्षों से चुनाव न हुए हों।

तमिलनाडु में निर्धन बुनकरों को रोजगार देने के लिए 6 केन्द्र खोले गए हैं। लेकिन 6 केन्द्र पर्याप्त नहीं हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 25,000 बुनकर लम्बे अरसे से बेरोजगार हैं। अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह राज्यपाल तथा तमिलनाडु सरकार को चिनालमपट्टी, डिंडीगुल तथा अन्य क्षेत्रों में नए केन्द्र खोलने के लिए निर्देश दे।

राज्यपाल के सलाहकार श्री आर० वी० सुब्रह्मण्यम् ने हाल में यह सुझाव दिया है कि यदि निजी उद्यमकर्ता उद्योग स्थापित करें तो सरकार अधिक से अधिक सहायता देने को तैयार है। मैं इस सुझाव का समर्थन नहीं कर सकता। हमारी सरकार का ढांचा समाजवाद का बना हुआ है। अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह सरकारी क्षेत्र में नए उद्योग स्थापित करे। बुनकरों के लाभ के लिए सरकारी क्षेत्र में बुनकर केन्द्र खोले जाने चाहिए।

तमिलनाडु में नीलाकोट्टी, उसीलमपट्टी तथा तिरुमनगुलम क्षेत्रों में 25,000 एकड़ भूमि असिंचित पड़ी है। सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस क्षेत्र की सिंचाई की व्यवस्था करे। सिंचाई के लिए अतिरिक्त जल अन्य क्षेत्रों से लिया जा सकता है।

तमिलनाडु में पुलिस आयुक्त, उपायुक्त तथा अन्य अधिकारियों के विरुद्ध दुर्विनियोग के मामले दर्ज हैं। पुलिस आयुक्त श्री शिनाय को स्थानान्तरित किया जाना चाहिए और इस मामले में आगे कार्यवाही की जानी चाहिए।

सेलम इस्पात संयंत्र के लिए केन्द्रीय सरकार ने 3 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जबकि आवश्यकता 20 करोड़ रुपये की है।

श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायण (टिंडीवनम) : तमिलनाडु के लिए पेश किए गए बजट में सभी वर्गों के लोगों को ध्यान में रखा गया है। संतुलित बजट पेश करने के लिए मंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं।

कराधान प्रस्तावों से समाज का समृद्ध वर्ग प्रभावित होगा। परिव्यय तथा अन्य विषयों पर पूर्व वक्ताओं द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से मैं सहमत हुं।

राष्ट्रपति शासन के बाद तमिलनाडु में कई समस्याएं उठ खड़ी हुई हैं। इन समस्याओं को दूर किया जाना चाहिए। हमारे राज्य में ऋण बकाया राशि की समस्या विद्यमान है। इस वर्ष वहां अतिरिक्त उत्पादन हुआ है। सरकार ने धान की वसूली बन्द कर दी है। इस प्रकार किसानों को ऋण की अदायगी में कठिनाई हो रही है। यही नहीं ऋण की वसूली करने के लिए राजस्व अधिकारी किसानों से ऋण की राशि के बदले में पम्पिंग सैट छीन रहे हैं। इससे गरीब लोगों को बड़ी कठिनाई हो रही है। यदि किसान किश्तों में अपना ऋण चुकाना चाहते हैं तो उनसे कहा जाता है कि जब तक वे ऋण की पूरी राशि नहीं चुकाते, राशि स्वीकार नहीं की जाएगी और यदि वह किश्तों में राशि देना चाहते हैं तो उन्हें राष्ट्रपति या प्रधान मंत्री के पास जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसानों को किश्तों में ऋण चुकाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

राष्ट्रपति शासन के बाद तमिलनाडु में धान की कीमत 15 रुपए प्रति क्विंटल कम हो गई है। यह बड़े दुःख की बात है कि केन्द्रीय सरकार गरीब तथा कमजोर वर्गों को दबाने का प्रयत्न कर रही है। इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए और गरीबों को राहत दी जानी चाहिए।

हमारे राज्य में कुल 17 चीनी मिले हैं जिसमें से 10 मिलें संयुक्त स्टाक कम्पनियों के हाथ में हैं। तब से दोहरी मूल्य नीति चल रही है और मिल मालिक गन्ना उत्पादकों को उचित मूल्य नहीं दे रहे हैं। अब राज्य में राष्ट्रपति शासन है। अतः सरकार को इस मामले पर विचार करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसानों को गन्ने का उचित मूल्य मिले।

राज्य सरकार ने इन दस चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की मांग की थी। सरकार इस बारे में निर्णय क्यों नहीं करती ? जब भी मैंने इस बारे में प्रश्न पूछा तो उत्तर मिला कि राज्य सरकार को चाहिए कि वह चीनी मिलों का अधिग्रहण कर ले। वित्त मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह इस बारे में निर्णय करें।

राज्य सरकार ने मजूरी की दर 6 रुपये निर्धारित की है। यह दर किस आधार पर निर्धारित की गई है ? खेतिहर मजदूरों को सारा साल काम नहीं मिल पाता। वे केवल सीजन के दौरान काम करते हैं। उन्हें भविष्य निधि या अनुदान आदि लाभ नहीं मिलते। यदि हम देश से निर्धनता को समाप्त करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि इन मजदूरों को कम से कम चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को जितना वेतन अवश्य दिया जाए। मजूरी की राशि कम से कम 10 रुपया प्रति दिन अवश्य होनी चाहिए। प्रधान मंत्री के 20-सूत्री कार्यक्रम

[श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायण]

में इस बात पर ध्यान दिया गया है । हमने ऐसी सरकार को हटाया है जो 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का पालन नहीं कर रही था । इसलिए हमें चाहिए कि हम निर्धनों को राहत प्रदान करें ।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : बजट में उल्लेख किया गया है कि राजस्व में कमी का कारण नशाबन्दी है । नशाबन्दी जैसे विवादास्पद मामले पर आखिर भारतीय स्तर पर व्यापक नशाबन्दी नीति बनाने से पूर्व भूतपूव सरकार द्वारा नशाबन्दी को समाप्त करना असंगत तथा बेकार था ।

अब मैं कावेरी नदी के जल के बंटवारे के बारे में अन्तर्राज्यीय सम्बन्धों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । राजनीतिक दबाव के कारण, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु ने ऐसा रूख अपना लिया है जिससे विवाद हल होना कठिन हो गया है । राष्ट्रपति शासन के अधीन इस विवाद का ऐसा हल किया जाना चाहिए जिससे सभी दल सन्तुष्ट हो सकें ।

स्वेच्छा प्रकटन योजना से राज्य के राजस्व में वृद्धि हुई है ।

हास्पेट, विज़ाग तथा सेलम इस्पात संयंत्र के लिए बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई । इस पहलू पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए ।

श्री बयालार रवि (चिरचिकील) : यह संयोग की बात है कि श्री सी० सुब्रह्मण्यम जो लगभग 10 वर्षों तक मद्रास सरकार के वित्त मंत्री का दायित्व निभाते रहे, आज उन्हें फिर कुछ समय के लिए तमिलनाडु के वित्तीय दायित्वों का निर्वाह करना पड़ रहा है । केन्द्र के इस बजट का एक अन्य आकर्षण यह भी है कि इसमें 20–सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति पर विशेष बल दिया गया है । यह ठीक है कि 12.32 करोड़ का घाटा है क्योंकि पूंजी व्यय 18.64 करोड़ हो गया है । बजट में सूखे से राहत दिलाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है । मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि तमिलनाडु की भूतपूर्व सरकार द्वारा सूखा राहत कार्यों से राहत दिलाने के लिए काफी धनराशि एकत्रित की गई थी परन्तु इस धनराशि का वितरण काफी दोषपूर्ण ढंग से किया गया जिसके परिणामस्वरूप काफी शिकायतें हमारे पास आईं । अब सरकार की यह सुनिश्चित करना चाहिये कि इस प्रकार एकत्रित की गई राशि का उचित उपयोग हो ।

मद्रास में पेय जल की समस्या बहुत गम्भीर रूप धारण किये हुए है । मंत्री महोदय ने शहर को कृष्णा नदी के जल की सप्लाई दिलवाने सम्बन्धी व्यवस्था के लिए 1 करोड़ रुपये का उपबन्ध किया है । इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वीरानम परियोजना की पुनः जांच की जानी चाहिए । क्योंकि मेरी मान्यता है कि यह परियोजना इस समस्या के समाधान के लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो सकती है ।

प्रस्तुत बजट की एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें चार जिलों के विद्यार्थियों की डाक्टरी जांच की व्यवस्था की गई है । मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं इस सुविधा का विस्तार सभी जिलों तक किया जाना चाहिए ताकि हमारे विद्यार्थियों की उचित डाक्टरी जांच हो सके ।

मंत्री महोदय ने शिक्षा के स्तर की बात भी की है । शिक्षा पद्धति के बारे में तमिलनाडु ने एक पृथक् रवैया अपनाया था जिसके परिणाम स्वरूप भावी पीढ़ियों के लिए प्रगति के अवसर कम रह गये थे । अब इस ओर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए तथा शिक्षा के स्तर में भी सुधार किया जाना चाहिए ।

एक समय ऐसा था जबकि तमिलनाडु के मेडिकल कालिजों को प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थानों के रूप में देखा जाता था परन्तु यह खेद की बात है कि अब उनका स्तर गिर गया है । इसका मुख्य कारण यही है कि विद्यार्थियों का चयन योग्यता के आधार पर नहीं किया जाता है । मंत्री महोदय को चिकित्सा शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए भी उपयुक्त कदम उठाने चाहियें ।

प्रस्तुत बजट में हरिजनों के लिए मकान आदि बनाने के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । मैं समझता हूं कि यह धनराशि काफी कम है तथा इसमें और अधिक वृद्धि की जानी चाहिये । इसी प्रकार गन्दी बस्तियों की सफाई आदि के लिए भी उपयुक्त व्यवस्था की जानी चाहिए । इसी प्रकार केन्द्रीय शासन को बदनाम करने के बारे में जो प्रचार हो रहा है, उसे समाप्त किया जाना चाहिए । आयुर्वेदिक औषधियों पर भी बिक्री कर 30 प्रतिशत है, इसे कम किया जाना चाहिए ताकि इन औषधियों के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जा सके । बिजली बोर्ड के बारे में जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उन्हें भी दूर किया जाना चाहिए ।

श्रीमति पार्वती कृष्णन् (कोयम्बटूर) : मैं मंत्री महोदय का ध्यान तमिलनाडु में निरन्तर पड़ने वाले सूखे की ओर दिलाना चाहती हूं । राज्य में पेय जल की समस्या काफी गम्भीर रूप धारण करती जा रही है । मेरा निवेदन है कि पेय जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वहां की दीर्घावधि सिंचाई योजनायें बनाई जानी चाहियें । यह कहा गया है कि पांडियार-पोन्नबिल जल परियोजना का कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा परन्तु मैं यह जानना चाहती हूं कि सिंचाई परियोजनाओं के बारे में आपका क्या विचार है । सिंचाई परियोजनाओं को तुरन्त आरम्भ किया जाना चाहिये ।

द्रुमुक सरकार ने हौजरी की वस्तुओं पर अधिक बिक्री कर लगाया था । इसके परिणामस्वरूप हौजरी उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और वह लोग कलकत्ता तथा बम्बई की मंडियों की पारस्परिक प्रतियोगिता में आने में असमर्थ हो गये हैं । यह आश्चर्य की बात है कि बजट में इस के लिए कोई विशेष उपबन्ध नहीं किया गया है ।

बिक्री कर विभाग और मनोरंजन कर विभाग में कुप्रशासन की अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं । उन सभी विभागों को तुरन्त राहत दी जानी चाहिये जिनकी अब तक द्रुमुक सरकार द्वारा उपेक्षा की जाती रही है ।

अन्ततः मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि सभी स्तरों पर क्रियान्वयन समितियां बनायी जानी चाहिएं ताकि उत्पादन शुल्क विभाग पुलिस विभाग तथा अन्य विभागों की विकृतियों को दूर किया जा सके । यह समितियां इस कार्य के लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं ।

वित्त मंत्र (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : अभी-अभी माननीय सदस्या द्वारा जो सुझाव दिये गये हैं वे सराहनीय हैं। मेरे पास इतना अधिक समय नहीं है कि मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकूं फिर भी मैं मुख्य तथा महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देने का प्रमाण करुंगा। तमोलनाडू का बजट तैयार करने के लिये हमें बहुत जल्दी से कार्य करना पड़ा। हम ने राज्य के योजना विनियोजन को 177 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 201 करोड़ रुपये कर दिया है। इस राशि की व्यवस्था मुख्यता प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिये की गई है। एक समय था जब कि राज्य में बिजली की अधिकता की जिस के फ़लस्वरुप राज्य में औद्योगिक विकास की गति काफ़ी तीव्र रही। परन्तु अब राज्य में बिजली की कमी हो गई है। अतः हमने प्रस्तुत बजट में बिजली के उत्पादन को भी प्रमुखयता प्रदान की है। वर्ष 1975-76 की 41 करोड़ रुपयें की तुलना में अब हमने वर्ष 1976-77 के लिये 70 करोड़ रुपये का आवंटन कर दिया है। मैं इस बात से सहमत हूं कि पन बिजली परियोजनाओं के लिए हमारे संसाधन बहुत सीमित हैं और यही कारण है कि पांडियार-पानाम पुजा योजना का कार्य शुरू नही किया गया है। यह बात नहीं है कि सरकार को वहां कि सिचाई संभाव्यताओं की पूर्ण जानकारी न हो, मुझे आशा है कि इस योजना का प्रभाव हमारी सिचाई योजना पर नहीं पड़ेगा। सिचाई का कार्य काफी महत्वपूर्ण है। इस कार्य सम्बन्धी और ब्योरा जानने के लिय हमें माननीय सदस्यों के सहयोग की भी आशा करता हूं।

यदि हमें सिंचाई के लिय अधिकाधिक जल का उपयोग करती है तो हमें पड़ोसी राज्यों विशेषकर केरल का सहयोग अवश्य लेना होगा। हमें देखना है कि हम उपलब्ध जल का सिंचाई के लिये अधिकाधिक उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं। अतः छोटी तथा मध्यम परियोजनाओं को पूरा करने के लिये 21.4 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। पिछले वर्ष यह राशि 12 करोड़ रुपैये की थी। आधुनिकीकरण योजनायें तथा आयाकतों के आधुनिकीकरण के लिये काफी राशि निर्धारित की गई है। कावेरी मुहाना योजना पुराने आया-कतों में से एक है लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस को भी कावेरी विवाद के साथ जोड़ दिया गया है। कर्नाटक ने भी आधुनिकीकरण के कार्यक्रम का विरोध किया है। हमें कर्नाटक के साथ शोघ्रातिशीघ्र कोई समझौता करना चाहिये और उस आधार पर कावेरी मुहाना योजना के आधुनिकीकरण का कार्य शुरू किया जाना चाहिये, जिस के लिये विश्व बैंक ने पहले ही काफी राशि आवंटित कर दी है।

इस से पहले तमिलनाडू प्रशासनिक कार्यकुशलता तथा ईमानदारी के मामले में सब से आगे था लेकिन अब वहां प्रशासन प्रणाली बिल्कुल अव्यवस्थित हो गई है। ख्याति प्राप्त उच्च न्यायालय की स्थिति भी शोचनीय है। शैक्षणिक संस्थाओं का वातावरण भी खराब हो गया है।

सहकारी विभाग में 9 वर्षों के दौरान 9 रजिस्ट्रार हुए हैं। इस के परिणामस्वरुप समूचे सहकारी आन्दोलन में गड़बड़ी हो गई है। इस आन्दोलन को सुचारू रूप से चलाने में कुछ समय लगेगा।

अनेक माननीय सदस्यों ने आरोप लगाये हैं कि राष्ट्रपति शासन के अधीन कुछ पुलिस अधिकारियों का रवैया सहनीय नहीं है। शिकायतें होनी स्वभाविक ही हैं क्योंकि सब कुछ एक ही रात में ठीक-ठीक नही किया जा सकता। हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रशासन ठीक ढंग से कार्य करे। आशा है कि सलाहकार जो अपनी क्षमता और कार्यकुशलता के लिये चिरपरिचत हैं, आवश्यक कार्यवाही कर सकेंगे।

बहुत जल्दी ही संसदीय परामर्शदात्री निकाय की स्थापना की जायेगी । इसकी बैठक यथासम्भव शीघ्र आयोजित की जायेगी । हम इस निकाय की बैठक में इस संबंध में बातचीत कर सकते हैं कि राज्य और जिला स्तर पर क्या किया जाना चाहिये और प्रत्येक स्तर पर लोगों का सहयोग प्राप्त करने के लिये कुछ निर्णय लेने का प्रयास करेंगे ।

सलेम इस्पात संयंत्र के बारे में भी कुछ सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है । अब इस पर विचार हो रहा है । तमिलनाडु के सदस्यों ने प्रधानमंत्री को आवेदन भेजा है और उनसे मिले भी हैं हमें आशा है कि इस पर शीघ्र ही निर्णय लिया जायेगा ।

जहां तक नेवेली परियोजना का सम्बन्ध है, यह विचाराधीन है, शायद यही एकमात्र स्रोत है जहां से हम राज्य के लिये अधिक बिजली पैदा कर सकते हैं ।

समाचार पत्रों में विभिन्न संस्थाओं और तमिलनाडु की जनता में बजट के प्रति जो प्रतिक्रिया हुई है उसका हम ने सावधानी से विश्लेषण किया है । मैंने उन टिप्पणियों पर भी ध्यान दिया है, जो सदस्यों ने सभा में व्यक्त की है । इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर मैंने कुछ रियायतें करने का निर्णय किया है ।

यह भी कहा गया है कि मुफस्सल सेवाओं पर मोटर यान कर में अधिक वृद्धि की गई है । यह वृद्धि द्रमुक सरकार ने 4 पैसे से बढ़ाकर 5 पैसे की थी । अब उसका लाभ उठाकर सोचा गया है कि राजकोष में कुछ आना चाहिये। किन्तु इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एक्सप्रेस सेवाओं के लिय हमने क्या किया है, हमने निर्णय किया है कि मुफस्सल सेवाओं पर प्रति सीट पर कर 225 रुपये के प्रस्तावित स्तर से घटाकर 215 रुपये कर दी जाय। तदनुसार मुफस्सल सेवाओं में की गई वृद्धि लगभग 20 प्रतिशत होगी जैसा कि एक्सप्रेस सेवाओं में है ।

अंगूर, गन्ना, केला, नारियल, सुपारी तथा हल्दी पर प्रस्तावित वाणिज्यिक फसल शुल्क 25 रुपये प्रति एकड़ से घटाकर 20 रुपये प्रति एकड़ कर दिया जायेगा । तम्बाकू, मिर्चों, सिंचित कपास तथा सिंचित मूंगफली पर प्रस्तावित वाणिज्यिक फसल शुल्क 15 रुपये प्रति एकड़ से घटाकर 12.5 रुपये प्रति एकड़ कर दिया जायेगा ।

इस प्रकार की रियायतों के फलस्वरूप राजस्व में एक वर्ष में होने वाली अनुमानित हानि 2 करोड़ रुपये होगी । तमिलनाडु में विद्यमान कठिन वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखकर ये रियायतें काफी है । साथ ही 1976–77 में बने हुए 201 करोड़ रुपये से योजना परिव्यय के लिये संसाधन जुटाने की परम आवश्यकता है ।

मद्यनिषेध के बारे यह कहना आवश्यक होगा कि सरकार को इससे 60 करोड़ रुपये की आय होती है । मैं 60 करोड़ रुपये की विशाल राशि में से केवल 10 करोड़ रुपये एकत्र करने की कोशिश कर रहा हूं । यदि हम समुचित मूल्यांकन करें तो कुछ और अधिक किया जा सकता है । यह जिम्मेदारी उन की होगी जो सत्ता में आयेंगे ।

सभापति महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

The cut motions were put and negated.

सभापति महोदय द्वारा वर्ष 1976–77 की अनुदानों की निम्नलिखित माँगे (तमिलनाडु) मतदान के लिये रखी गयी तथा स्वीकृत हुई :—

The following Demands for Grants (Tamil Nadu) for the year 1976-77 were put and adopted :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
1	2	3	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०
1	भू-राजस्व विभाग .	3,90,79,000	—
2	राज्य उत्पाद शुल्क विभाग .	53,65,000	—
3	मोटर वाहन अधिनियम प्रशासन .	78,95,000	—
4	सामान्य बिक्री-कर तथा अन्य कर और शुल्क-प्रशासन . .	4,53,99,000	—
5	स्टाम्प प्रशासन . .	55,61,000	—
6	पंजीकरण . . .	1,89,56,000	—
7	राज्य विधान मण्डल . .	31,10,000	—
8	निर्वाचन . . .	37,81,000	—
9	राज्याध्यक्ष, मन्त्री और मुख्यालय का स्टाफ . . .	10,89,92,000	—
10	दुग्ध पूर्ति स्कीमें . .	92,38,000	—
11	जिला प्रशासन . . .	15,24,18,000	—
12	तमिलनाडु हिन्दू धार्मिक और पूर्त्त अक्षय निधि अधिनियम, 1959 का प्रशासन . . .	1,23,59,000	—
13	न्याय प्रशासन . . .	4,10,09,000	—
14	जेलें . . .	5,29,56,000	—
15	पुलिस . . .	28,79,09,000	—
16	अग्निशमन-सेवा . .	2,09,08,000	—
17	शिक्षा . . .	1,27,36,48,000	—
18	चिकित्सा . . .	38,06,26,000	—

1	2	3	
19	लोक स्वास्थ्य	19,42,65,000	—
20	कृषि . .	33,32,34,000	—
21	मीन उद्योग .	1,83,56,000	—
22	पशुपालन .	7,01,62,000	—
23	सहकारिता . . .	4,89,27,000	—
24	उद्योग . .	3,13,75,000	—
25	सिनकोना . .	86,33,000	—
26	हथकरघा और वस्त्र उद्योग	2,19,98,000	—
27	खादी. . .	60,59,000	—
28	सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि	30,31,12,000	—
29	श्रमिक और कारखाने .	3,47,57,000	—
30	समाज कल्याण . . .	3,40,67,000	—
31	अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों आदि का कल्याण	12,90,09,000	—
32	पिछड़े वर्गों आदि का कल्याण	5,90,77,000	—
33	आवास . .	5,22,35,000	—
34	शहरी विकास .	7,82,42,000	—
35	नागरिक पूर्ति . .	3,47,44,000	—
36	सिंचाई . . .	20,96,43,000	—
37	लोक निर्माण-इमारतें . .	2,86,25,000	—
38	लोक निर्माण-स्थापना तथा औज़ार और सन्यन्त्र . .	4,56,56,000	—

39	सड़कें और पुल .	23,72,86,000	—
40	सड़क परिवहन सेवाएं और नौवहन	1,89,31,000	—
41	दैवी विपत्तियों के कारण सहायता	8,34,000	—
42	पेंशनें और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	14,36,38,000	—
43	विविध	44,57,70,000	—
44	लेखन सामग्री और मुद्रण	6,11,97,000	—
45	वन विभाग	3,96,68,000	—
46	मुआवजा और समनुदिष्ट राशियां .	11,27,39,000	—
47	जमीदारों को मुआवजा .	—	1,67,70,000
48	लोक स्वास्थ्य सफ़ाई और जलपूर्ति पर पूंजी परिव्यय .	—	1,59,76,000
49	कृषि पर पूंजी परिव्यय .	—	43,20,61,000
50	औद्योगिक विकास पर पूंजी परिव्यय	—	5,98,16,000
51	सिचाई पर पूंजी परिव्यय .	—	27,31,31,000
52	लोक निर्माण पर पूंजी परिव्यय– इमारतें	—	7,99,78,000
53	सड़कों और पुलों पर पूंजी परिव्यय.	—	5,45,29,000
54	सड़क परिवहन सेवाओं और नौवहन पर पूंजी परिव्यय .	—	64,82,000
55	वनों पर पूंजी परिव्यय .	—	2,51,26,000
56	विविध पूंजी परिव्यय	—	8,05,43,000
57	राज्य सरकार द्वारा उधार और अग्रिम .	—	53,62,28,000

सभापति महोदय द्वारा वर्ष 1975–76 की अनुदानों की अनुपूरक माँगें, (तमिलनाडु) मतदान के लिये रखी गयी तथा स्वीकृत हुईं :

The following demands for Supplementary Grants (Tamilnadu) for (1975-76, were put and adopted) :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
1	2	3	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०
1	भू-राजस्व विभाग . .	13,08,000	—
4	सामान्य बिक्री कर तथा अन्य कर और शुल्क-प्रशासन . .	36,31,000	—
9	राज्याध्यक्ष, मंत्री और मुख्यालय का स्टाफ़ . .	92,76,000	—
10	दुग्ध पूर्ति स्कीम	5,56,000	—
11	जिला प्रशासन . .	2,000	—
12	तमिलनाडु हिन्दू धार्मिक और पूर्त अक्षय निधि . . .	5,00,000	—
	अधिनियम, 1959 का प्रशासन		
14	जेलें	1,33,26,000	—
15	पुलिस .	18,46,000	—
16	अग्नि शमन सेवा	3,57,000	—
17	शिक्षा	5,15,08,000	—
18	चिकित्सा	4,52,13,000	—
19	लोक स्वास्थ्य	1,92,45,000	—
20	कृषि .	12,000	—
21	मीन उद्योग	7,99,000	—
22	पशुपालन .	1,33,15,000	—
23	सहकारिता .	26,58,000	—
24	उद्योग . . .	1,000	—
25	सिनकोना . . .	20,73,000	—
26	हथकरघा और वस्त्र उद्योग .	10,91,000	—

1	2	3	
27	खादी . . .	7,00,000	—
28	सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि	1,000	—
30	समाज कल्याण . .	41,00,000	—
31	अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों आदि का कल्याण .	2,75,46,000	—
32	पिछड़े वर्गों आदि का कल्याण	1,000	—
33	आवास .	9,76,000	—
34	शहरी विकास . .	40,85,000	—
35	नागरिक पूर्ति	1,35,60,000	—
36	सिंचाई .	1,45,76,000	—
37	लोक निर्माण—इमारतें . .	5,11,000	—
38	लोक निर्माण—स्थापना और औजार तथा सन्यन्त्र .	2,000	—
39	सड़कें और पुल . .	2,71,25,000	—
41	दैवी विपत्तियों के कारण सहायता	4,000	—
42	पेंशनें और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	3,22,11,000	—
43	विविध .	1,000	—
44	लेखन सामग्री और मुद्रण .	4,45,000	—
45	वन विभाग . . .	48,95,000	—
48	लोक स्वास्थ्य, सफाई और जलपूर्ति पर पूंजी परिव्यय . .	—	6,73,000
49	कृषि पर पूंजी परिव्यय .	—	1,000
50	औद्योगिक विकास पर पूंजी परिव्यय .	—	26,02,000
51	सिंचाई पर पूंजी परिव्यय .	—	2,36,61,000
52	लोक निर्माण पर पूंजी परिव्यय .	—	1,18,44,000
53	सड़कों और पुलों पर पूंजी परिव्यय	—	100,02,000
55	वनों पर पूंजी परिव्यय	—	24,78,000
56	विविध पूंजी परिव्यय . .	—	4,09,78,000
57	राज्य सरकार द्वारा उधार और अग्रिम	—	29,66,88,000

तमिलनाडु विनियोग विधेयक--1976-77

TAMIL NADU APPROPRIATION BILL, 1976-77

वित्त मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1976-77 की सेवाओं के लिये तमिलनाडु राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1976-77 की सेवाओं के लिये तमिलनाडु राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1976-77 की सेवाओं के लिये तमिलनाडु राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1976-77 की सेवाओं के लिये तमिलनाडु राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

सभापति महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करते हैं ।
प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

The motion was adopted

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने ।"

The Schedule, Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

तमिलनाडु विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1976
TAMIL NADU APPROPRIATION (No. 2) BILL, 1976.

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1975–76 की सेवाओं के लिये तमिलनाडु राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1975–76 की सेवाओ के लिये तमिलनाडु राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1975–76 की सेवाओं के लिये तमिलनाड् राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1975–76 की सेवाओं के लिये तमिलनाडु राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was Adopted.

सभापति महोदय : अब हम खण्डवार विचार आरम्भ करते हैं ।
प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was Adopted.

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 2 and 3 were added to the Bill

अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

The Schedule, Clause 1 the enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was Adopted

———

गुजरात राज्य के सम्बन्ध में की गई उदघोषणा के बारे में सांविधिक संकल्प

STATUTORY RESOLUTION RE-PROCLAMATION IN RELATION TO THE STATE OF GUJARAT

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत गुजरात राज्य के सम्बन्ध में 12 मार्च, 1976 को जारी गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

राज्यपाल की रिपोर्ट से पता चलता है कि श्री बाबूभाई पटेल के नेतृत्व में जब गुजरात में सरकार बनी थी तो वहां की क्या स्थिति थी और किस तरह 12 मार्च, 1976 को वहां सरकार का बहुमत समाप्त हो गया और किस तरह सभा में उनकी हार हुई तथा अन्ततोगत्वा उन्हे त्यागपत्र देना पड़ा। राज्यपाल ने बार-बार कहा कि वहां की स्थिति नाजुक है और एक चिरस्थाई सरकार की स्थापना का कोई आसार नजर नहीं आता। वर्ष 1976–77 के लिये वहां का बजट पास करना है और इसलिये इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता इसी बात की है कि इस वर्ष पहली अप्रैल से व्यय के लिये प्राधिकरण की व्यवस्था की जाये। यह स्पष्ट है कि एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। जिसमें राज्य सरकार संविधान के उपबन्धों के अनुसार प्रशासन नहीं चला सकी और इसलिये राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 350 के अन्तर्गत कार्यवाही करने की सिफ़ारिश की हो। राज्यपाल की रिपोर्ट और राज्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए गुजरात में राष्ट्रपति शासन लागू करने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। अतः मैं यह संकल्प सभा की स्वीकृति के लिये रखता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव पेश किया गया :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत गुजरात राज्य के सम्बन्ध में 12 मार्च, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : (औसग्राम) : मैं गुजरात विधान सभा को निलम्बित करने वाली राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा और गृह मन्त्री द्वारा पेश किये गये सांविधिक संकल्प का विरोध करता हूं। गत चुनावों के दौरान कांग्रेसी नेताओं को गुजरात में सत्ता में आने की बहुत आशा थी किन्तु विरोधी जनता मोर्चा को विजय से उनकी आशाओं पर पानी फ़िर गया। तब कांग्रेसी नेताओं की बड़ी-बड़ी आशाएं गुजरात सरकार के विरुद्ध रोष में बदल गईं। तब से गुजरात सरकार को कांग्रेस द्वारा दल-बदल कराने के षड्यन्त्र का सामना करना पड़ता रहा। कांग्रेस दल ने गुजरात सरकार को गिराने के लिए अलोकतन्त्री और भ्रष्ट तरीके अपनाये हैं। रिशवतें दी गईं, धमकियां दी गईं और विधायकों को जनता मोर्चा छोड़कर कांग्रेस दल में शामिल होने के लिए प्रलोभन दिया गया।

सरकार अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विभिन्न पद्धतियों के शान्तिपूर्ण अस्तित्व की बात करती है परन्तु अपने देश में विरोधी दलों की सरकार को सहन नहीं करती। हमने देखा है कि किस प्रकार तमिलनाडु विधान सभा को उसकी कालावधि समाप्त होने पर भंग किया गया है। केन्द्रीय कांग्रेस सरकार ने, जिसने लोकसभा और केरल विधान सभा की कालावधि बढायी है, तमिलनाडु विधान सभा को भंग करने के लिये भ्रष्टाचार का बहाना लिया है। क्या सरकार को केन्द्र में बड़े-बड़े राजनीतिज्ञों के विरुद्ध

आरोपों की जानकारी नहीं है ? परन्तु उन आरोपों का क्या हुआ ? हम चाहते हैं कि उन आरोपों की जांच की जाये और दोषी व्यक्तियों को दण्ड दिया जाये ।

राज्यपाल ने राष्ट्रपति को एक पत्र भेजा जिसमें कहा गया है कि वहां कोई भी सरकार नहीं बना सकता । फ़िर आपने विधान सभा को भंग क्यों नहीं किया ? इसका कारण यह है कि कांग्रेस दल जनता मोर्चे में और अधिक दल-बदल करवाना चाहता है और अपनी सरकार बनाना चाहता है । क्या यह दोहरी चाल नहीं है ? सरकार जान बूझ कर दल-बदल सम्बन्धी विधेयक को पेश करने में इसलिए विलम्ब कर रही है कि यह उनके दल से दल-बदल को रोकेगा और अब सरकार ऐसा आसानी से कर सकती है क्योंकि अब कांग्रेस दल से दल-बदल होगा और अब आपने दल-बदल का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है । हमारा देश एक दल और एक नेता के दुःशासन की ओर बढ़ रहा है ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लिचेरी) : गुजरात के लोगों को बहुत खुशी है कि उन्हें जनता मोर्चा के अल्पकालीन शासन से छुटकारा मिला है । देशवासियों ने देख लिया है कि गुजरात में दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी दल किस तरह सिद्धान्तहीन थे । जो दल नवनिर्माण आन्दोलन के दिनों में झूठे आंसू बहा रहे थे उनको बहुमत न मिलने पर भी दूसरे के समर्थन से सरकार बनाने में शर्म नहीं आई । उनको समर्थन भी उस व्यक्ति और उनके दल ने दिया जिन्होंने छात्र समुदाय पर अत्याचार किया था और आतंक पैदा किया था । यह सर्व विदित है कि यद्यपि वहां संगठन कांग्रेस की सीट जनसंघ से अधिक थीं फ़िर भी जनता मोर्चा सरकार को जनसंघ तथा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संस्था ही चला रही थी । इस सरकार की सभी नीतियां जन-विरोधी थीं । समूचे प्रशासन में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का बोल-बाला था । उनके ही लोगों को अधिक नौकरियां दी गई थीं । आज केन्द्रीय सरकार की एक मुख्य जिम्मेदारी यह है कि वह वहां की प्रतिक्रियावादी शक्तियो को समाप्त कर दे और वहां जो कुछ बुराइयां थीं उन्हें दूर कर दे । क्या यह सही नहीं है कि गुजरात में उनका व्यवहार ऐसा था मानों देश में आपात-स्थिति न हो और मानो गुजरात भारत का अंग न हो ।

गृह मन्त्री को ग्रीक जहाजों द्वारा कांडला पत्तन पर हथियार लाने के मामले पर ध्यान देना चाहिये । कांडला पत्तन के कर्मचारियों ने यह बात सरकार को बताई है । इन हथियारों की तस्करी पश्चिम जर्मनी से की गई है । यह बहुत चिंता की बात है । इसकी जांच की जानी चाहिये । यह डाइनामाइट का मामला क्या है? यह स्पष्ट है कि जनता मोर्चा द्वारा निर्मित शरण-स्थल में डाइनामाइट के निर्माण की योजना थी । इनका निर्माण करना हंसी का खेल नहीं है । उन्हें बनारस, गुजरात तथा दिल्ली भेजा जाता था । देश में कोलाहल और अव्यवस्था फ़ैलाने के लिए वे षड्यन्त्र करने का प्रयास कर रहे थे ।

गुजरात में लोकप्रिय सरकार होनी चाहिये । किन्तु प्रश्न यह है कि ऐसी हालत में ऐसा किया जा सकता है । आज विधान सभा निलम्बित है । सरकार विधान सभा का क्या कर रही है ? सत्तारूढ दल ने यह सोचा है कि वहां और अधिक दल बदल होगा और इससे उन्हें बहुमत मिलेगा, सर्वथा गलत है । यदि वे ऐसा करेंगे तो अपने ही पांवों पर कुल्हाड़ी मारेंगे ।

इस समय गुजरात में विश्वसनीय शक्ति केवल भारतीय साम्यवादी दल ही है जिस पर सरकार भरोसा कर सकती है । किन्तु खेद की बात यह है कि राष्ट्रपति शासन लागू करने के बाद राज्य परिषद् के हमारे दो सदस्यों को जेल भेज दिया है । अहमदाबाद नगर में राज्य पुलिस ने हमारे एक कार्यकर्ता के विरुद्ध मामला बनाया है और उस पर समाज विरोधी तत्व होने का आरोप लगाया जा रहा है और पुलिस

[श्री सी० के० चन्द्रप्पन]

उसकी तलाश में है। यह भी एक ऐसा मामला है जो सुखद भविष्य का संकेत नहीं करता । इससे पता चलता है कि गुजरात प्रशासन मे आज ऐसे लोग हैं जो सतर्कता से ऐसी दिशामें बढ रहे हैं और ऐसी कार्यवाही कर रहे हैं जिससे लोकतन्त्र शक्तियां विभाजित रहें । ऐसी शक्तियों को वहां से हटाया जाना चाहिये ।

यदि सरकार फ़ासिस्टवाद, दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी शक्तियों और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का सामाजिक आधार समाप्त कर दे तो इससे गुजरात के लिए सुखद भविष्य की आशा की जा सकती है । इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण उपाय यह है कि 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को तेजी से लागू किया जाये । यह तभी हो सकता है जब सरकार वामपंथियों और लोकतन्त्री शक्तियो से सहयोग प्राप्त करे ।

श्री नटवर लाल पटेल (महसाना) : मैं गुजरात राज्य में राष्ट्रपति शासन का स्वागत करता हूं । जनता मोर्चा सरकार ने गुजरात में कई समस्याएं पैदा कर दी थीं । इसी कारण मैं गुजरात राज्य में राष्ट्रपति शासन का स्वागत करता हूं। गुजरात राज्य में जनता मोर्चा सरकार के शासन के दौरान हिंसा की कई घटनाएं हुईं । चुनाव के दौरान भी हिंसा की कई घटनाए हुईं जिन पर नियन्त्रण करना वहां की सरकार के वश की बात नहीं थी । सारा मामला गृह मन्त्री के ध्यान में लाया गया था । जनता मोर्चा के शासन में वहां की सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कभी भी मार्गदर्शन प्राप्त नहीं किया । वे केन्द्रीय नेताओं के निर्णयो को मानने के लिये तैयार नहीं थे ।

गुजरात के लोग इस सरकार से तंग आ गये थे । हम सदैव लोकप्रिय सरकार की कामना करते हैं परन्तु कोई एक भी दल बहुमत में नहीं है । हमें आशा है कि निकट भविष्य में गुजरात में एक चिरस्थायी सरकार बनेगी । मैं राष्ट्रपति शासन का स्वागत करता हूं क्योंकि इससे लोगो को भारी राहत मिली है ।

Kumari Maniben Patel (Sabarkantha): The hon. Member who spoke earlier than I, is himself a defector.

Shri Natwarlal Patel : You are the biggest defector ....*(interruptions)*

सभापति महोदय : श्री नटवरलाल पटेल, कृपया व्यवधान मत डालिये ।

श्री प्रसन भाई मेहता : आप सदस्य महोदय को नियन्त्रित करें । यह सब क्या है ?

श्री नटवरलाल पटेल : मैं ठीक कह रहा हूं । आप मुझे यहां धमकी नहीं दे सकते । माननीय सदस्या को यह पता होना चाहिये कि सभा में क्या बोलना चाहिये ।

Mr. Chairman : Please let her say what she wants to say. Kumari Maniben Patel may address the chair.

Kumari Maniben Patel : Please let me have my say.

Our Janta Morcha Government was not dethroned by any body; we lost the majority and we resigned. On 11th, one of our Member was pressurised and taken to a woman's room. That member wrote to the Speaker of the State Assembly saying that he was being pressurised and that he should be given protection. Such are the actions of Congress party. I have got the copy of that letter.

We had made no contract with the KMLP. They extended their support to us on their own. For these days the Governor did not allow us to form the Government. Later on he had to allow although there were constant efforts to prevent us from forming the Government. And now it is the congress party which is working the KMLP members. The congress President went

there and tried toemake the members fall out away themselves. But nothing comes into the news papers. This is what your censorship mean. Another example of your censorship is that neither the two photographs of Shri Morarji Desai nor the caption "शाश्वत तपस्या सत्ता से बढ़कर है।" (Sustained devotion is greater than to rule). Your censorship does not allow our view points to find place in the newspapers. We caught the culprits of Baroda dynamite incident but you wanted that not ours but only your name should come in the newspapers.

Shri Krishan Chandra Pandey (Khalilanad): Please only what is true..*(Interruptions)*.

श्री प्रसनसनभाई मेहता: माननीय सदस्य ने किसी के भाषण में व्यवधान नही डाला तो फिर उतके भाषण में क्यों व्यवधान डाला जा रहा है। वह सभापति के आदेश की भी अवहेलना कर रहे हैं।

Kumari Maniben Patel : Shri Morarji Desai is a man of principle and a true devotee of Gandhiji. He is the only man today who is faithfully following the principles, laid down by Gandhiji. You want that he should not become popular and he should finish. But the more you pressurise him, the more popular he is becoming. His popularity is increasing and only in Gujarat but throughout the entire country also.

A false propaganda has been going on against him. It is said that Rs. 75 are benig spent on his diet every day, where as he takes on 1 1/2 Kg. of milk, 20 cashew nut and only one apple a day. Should these items cost Rs. 75? Keeping him in the rest house and employing a police Guard on him is not his but your choice. You think that he would run aWay; but let me tell you that he would never run aWay as the Communists do. He is a true Ghandian. Also he cannot be finished so easily.

Navjeevan Press was raided without any notice and just to defme it. So policeman searched the Press for four hours but they did not get anything. Let me tell you that Navjeevan press is Gandhiji Press and it would not do anything underhand. Its head is Morarji Desai. This Press publishes literature on Gandhiji and we do there nothing against what Gandhiji steed for.

When the Janta Morcha Government got the information that Dynamite was being sent from Baroda. They caught the culprit. It was the Gujarat police that arrested the miscreants. But if you want to involve and arrest us, you can very well do it because you are the ruling power. You say that you are becoming popular. Even then why don't you allow others' view points in the newspapers ? Why are you so scared ? You had said that Jan Sangh and R.S.S. people are very bad people; and that you won't have any relations with them. But now you are allowing them to join you. They have now become progressive as soon as they joined hands with your party.

So much is being said about the 20-point programme. But Gujarat was already doing every thing just in accordance with this programme, and every thing was going on smoothly there. You did not like this and created defections. You pussurised the members. It is your way of working not ours. Our chief Minister has a deep faith in democracy. His Government was defeated in the House and he resigned there and then.

Government are deliberately delaying the Bill on defections to meet their own ends. Defected members have been enrolled to Rajya Sabha without any election. Congress has 'played on open game of defections in Ahmedabad Corporation where true members were wooed. However we ourselves had some doubt about the faithfulness of those members. There are many people who salute on the rising sun.

You say that people in Gujarat are now very happy. Please go there and find out the truthi. You blamed Morarji Desai for dissolution of the Legislative Assembly; but in fact he had agitated and farted against the violence by the youth. So the efforts to defame Morarji Desai would not justify and the more you try to defame him the more popular he would become. However your effort to dislodge the smoothly working Government have fructified.

[Kumari Maniben Patel]

The Governor of Gujarat still believes that the situation there is in a fluid state; defection is possible on either side.

I know Mahatma Gandhi more than you because I have come up under his shadow. We never go back from our word. Your devotion to Gandhiji injust an outer show. The defector might be thinking that they would get Ministries but Smt. Gandhi is very wise. She appoints any body as a Minister only after a very careful judgement. I am sure those people won't get that..... (*Interruptions*).

You don't want to hear the fact about Gujarat and so you are getting excited. We know how many people were kidnapped during the Panchyat elections. You people can't act the truth. It is our right to speak against the Home Minister as well as the Prime Minister.

People of Gujatat are very sure that our Chief Minister had to go in such a manner. However it was a source of great physcial & mental relief to him and he might have had a sound sleep that day—since he used to work late upto 2 A.M. and would restart at 4 A.M. He did not leave anything pending.

It is well known to you all how much money congress did spend in Panchayat poll and how many person were kidnapped by them. But no reports are allowed to appear in the press.

Finally, I would ask you to do whatever you like, we have no grievances. But it would be better if your speak the truth and not a lie.

श्री सी० एम० स्टीफन (मुतुपुजा) : श्रीमन्, में इस संकल्प का समर्थन करता हूं। गुजरात में मंत्रि परिषद् की बर्खास्तगी और वहां राष्ट्रपति शासन के लागू होने के साथ भारत की राजनीति मैं चल रहा एक भावपूर्ण दुखान्त नाटक समाप्त हो गया है। इससे देश की लोकतांत्रिक शक्तियो को एक सबक लेना चाहिए। देश के विभिन्न राज्यों में संयुक्त मोर्चा सरकारों के बनने और बाद में उनके पतन से अब एक बात यह सामने आई है कि जो भी संयुक्त मोर्चा सरकार किसी ठोस कार्यक्रम के आधार पर बनने की बजाय किसी दल विशेष के विरोध के प्रतीक के रूप में बनी उसका हमेशा ही पतन हुआ और जो सरकार किसी दल विशेष के प्रति विरोध की भावना की बजाय किसी ठोस और रचनात्मक कार्यक्रम को लेकर गठित हुई वह टिकाऊ रही और सभी विरोधी शक्तियों के आक्रमण के बावजूद सुरक्षित रही। इस संदर्भ में केरल और पश्चिम बंगाल का उदाहरण हमारे सामने है जहां की सरकारें कांग्रेसी विरोधी के कारण अधिक दिनों तक नहीं टिक पाई यही बात गुजरात मैं भी हुई। परन्तु केरल मैं आज जो संयुक्त दलीय सरकार है वह विरोधी भावना की बजाये किसी ठोस कार्यक्रम को लेकर चल रही है और टिकी हुई है हालांकि इसमें शामिल दलों की विचारधारा एक-जैसी नहीं है। गुजरात की सरकार का आधार विरोधी भावना था।

कांग्रेस (संगठन) के सदस्य ने दल-बदलने की बात कही है। वह बतायें कि गुजरात की संयुक्त मोर्चा सरकार कैसे बनी? क्या इसकी अपनी निहित शक्ति थी? नहीं, बल्कि मांगी हुई शक्ति के आधार पर यह सरकार बनी थी, 'कि०म०लो०प०' की शक्ति मांग कर बनी थी और सरकार के पास बहुमत के लिये अपने दल की शक्ति नहीं थी। फिर उन्होने अपनी सरकार का आधार कांग्रेस-विरोधी नारा था अतः बाद में यह सरकार गिरी . . . . (**व्यवधान**) . . .

इस संदर्भ में श्री चन्द्रप्पन ने जिन दो बातों पर जोर दिया है में उनसे सहमत नहीं हूं। एक तो यह कि हमारे दल को वहां सरकार नहीं बनानी चाहिए क्योंकि गुजरात में दल-बदल बहुत हो रहा है। वास्तव में मैं दल-बदल के प्रति ऐसी घृणा के विरुद्ध हूं। कोई सदस्य अपना दल तब बदलता है जब वह देखता है कि उसका दल जनमत मैं व्याप्त विचारधारा के अनुसार नहीं चल

रहा। हमारा लोकतंत्र दरअसल राजनैतिक दलों पर आधारित नहीं है। चुनाव हर कोई लड़ता है और किसी न किसी दल के टिकट पर लड़ता है परन्तु बाद में हुई घटनाओं के आधार पर ही वह अपना दल बदलने को प्रेरित होता है। अतः यह नहीं होना चाहिए कि एक आदमी ने जिस दल के टिकट पर चुनाव लड़ लिया बस वह उसी दल के पिंजरे में बन्द हो जाये और कुछ और करने की अनुमति ही न हो।

आज गुजरात में बहुमत होते हुए भी कांग्रेस दल अपनी सरकार नहीं बना रहा है हालांकि बना सकता है। परन्तु मैं श्री चन्द्रप्पन की इस दूसरी बात से भी सहमत नहीं हूं कि जब तक वहां नये चुनाव न कराये जायें तब तक वहां सरकार न बनाई जाये। यह क़दम तो आत्मघाती होगा। वस्तुतः ज्योंही केन्द्र सरकार या कांग्रेस दल यह अनुभव करे कि वहां स्थायी सरकार बन सकती है त्योंही वहां सरकार बनाई जाये अन्यथा यह बात गुजरात के लोगों के प्रति धोखाधड़ी की होगी कि वहां दलीय बहुमत तथा स्थायी सरकार बनने की संभावना के बावजूद वहां लोकप्रिय सरकार न बनाई जाये और उन्हें अकारण ही चुनाव की मुसीबत में डाल दें। गुजरात के लोग नव-निर्माण समिति के शासनकाल में काफ़ी दुःख झेल चूके हैं अतः फिर से चुनाव के चक्कर में लोगों को डालना उनके प्रति न्याय करना नहीं होगा। इस सम्बन्ध में नारेबाजी में बहकर नहीं बल्कि लोगो के हितों को देखते हुए वास्तविकता को समझकर कदम उठाना चाहिए।

वास्तविक दुःख तो यह है कि क्या आपको यह विश्वास है कि सरकार स्थायी रहेगी। यह सोचने से कोई लाभ नहीं है कि किस विधायक ने किस तरीक़े का व्यवहार किया। जब तक किसी सरकार को जनता का समर्थन प्राप्त है और सार्वजनिक वातावरण इसके पक्ष में तब तक इस सरकार को कोई ख़तरा नहीं है। अतः हमें किसी इक्के-दुक्के व्यक्ति के चरित्र और व्यवहार के इस सम्बन्ध में अधिक महत्व नहीं देना चाहिए।

दूसरे, यह कहना ही ग़लत है कि विभिन्न पार्टियां एक जैसी विचारधारा वाली होती हैं। यदि दो दलो की विचारधारा एक-जैसी हो तो वे परस्पर एक-दूसरे में समा न जायें। वस्तुतः दो विभिन्न दल एक विचारधारा वाले हो ही नहीं सकते। उनकी परस्पर विचार-भिन्नता ही तो उन्हें दो विभिन्न दलों का रूप देती हैं। अतः दो दल का अर्थ है दो विभिन्न विचारधाराओं वाले दो दल।

कांग्रेस के भीतर एक पक्ष को प्रतिक्रियावादी बताने से श्री चन्द्रप्पन का अभिप्राय यह है कि वह मानते हैं कि कांग्रेस में प्रगतिवादी भी हैं। मगर परस्पर फूट डालने का उनका प्रयास यहां सफल न हो सकेगा। वस्तुतः कांग्रेस एक ठोस इकाई है, जिसका अपना एक ध्येय है, दर्शन है और वह उस पर अग्रसर है। यहां किसी व्यक्ति का प्रतिक्रियावादी अथवा प्रगतिवादी होना कोई विशेष महत्व नहीं रखता।

श्री चन्द्रप्पन ने बताया कि उनके दल के एक व्यक्ति को आंसुका के अधीन अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि भारतीय साम्यवादी दल में सभी लोग तो अच्छे नहीं है। राज्यपाल श्री के० विश्वनाथन के केरल में विगत जीवन को जानकर

[श्री सी० एम० स्टीफन]

श्री चन्द्रप्पन इस बात के तथ्य को समझ जायेंगे। आंसुका के अधीन किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी उसके व्यक्तिगत चरित्र और व्यवहार के आधार पर होती है किसी दल-विशेष से उसके सम्बन्ध के आधार पर नहीं। कांग्रेस दल के कतिपय जिम्मेवार सदस्य भी आंसुका के अधीन गिरफ्तार हुए हैं।

श्री चन्द्रप्पन : हम ऐसे ही लोगों को प्रतिक्रियावादी कहते हैं।

श्री सी० एम० स्टीफन : परिस्थिति की आवश्यकतानुसार हर व्यक्ति की जांच की जा सकती है। किसी दल विशेष से उसका सम्बन्ध इसमें आड़े नहीं आ सकता मेरे विचार से यही विचारधारा ठीक है।

इस आशा के साथ कि गुजरात में शीघ्र ही नया प्रभात होगा और वहां लोकतंत्र बना रहेगा, मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : इस चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों का मैं धन्यवाद करता हूं। वस्तुतः इस विषय पर इतनी बड़ी चर्चा की जरूरत नहीं थी क्योंकि गुजरात में सरकार का बहुमत नहीं रहा और उसने अपना त्याग-पत्र दे दिया। राज्यपाल की दृष्टि में स्थिति अभी अस्पष्ट है इसलिये वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। इस प्रकार इस संदर्भ में अधिक राजनैतिक दाव-पेंच दिखाने की जरूरत ही नहीं रही।

यह बात सब जानते हैं कि गुजरात की जनता मोर्चा सरकार बिना किसी कार्यक्रम को अपना आधार बनाये कतिपय दलों के गठजोड़ से बनी थी और यह भी साथ ही कहा गया था कि मुख्य मंत्री श्री बाबू भाई पटेल निरन्तर ही जनसंघ गुट के दबाव में फंसे रहे। यद्यपि कुमारी मनीबेन पटेल की निगाह में यह बहुत अच्छी सरकार थी परन्तु विधान सभा के सदस्यों का मत कुछ अन्य ही था और इसी लिये सरकार वहां हार गई।

श्री चन्द्रप्पन ने बताया है कि अब लोग वहां बेहद खुश हैं तथा बिना सिद्धान्त के दलों का संगठन क्षत-विक्षत हो गया है।

श्री डी० एन० सिंह (हाजीपुर) : जैसे केरल में श्री स्टीफ़न का दल और भारतीय साम्यवादी दल का गठबंधन है।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : श्री स्टीफ़न स्पष्ट कर चुके हैं कि केरल में संयुक्त सरकार स्थिर है और विगत पांच वर्ष से चल रही है क्योंकि उसके पास कतिपय सिद्धान्त और कार्यक्रम हैं।

श्री हाल्दर का यह आरोप सही नहीं है कि हम दोगली नीति अपना रहे हैं। वस्तुतः संसद् के कार्यकाल को बढ़ाने और तमिलनाडू के विपरीत केरल राज्य विधान सभा के कार्यकाल में प्रस्तावित वृद्धि के बीच परस्पर कोई तुलना नहीं है। तमिलनाडू के बारे में इस सभा में पहले भी और आज भी पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया जा चुका है कि इस सरकार को क्यों बर्खास्त करना पड़ा . . (**व्यवधान**)

अब जैसा कि श्री पटेल ने कहा है कि गुजरात सरकार पंचायतों के चुनाव अथवा अन्य चुनावो के दौरान जनता को सुरक्षण न दे सकी। साथ ही वहां की जनता को भी मोर्चा सरकार के कार्यकरण के प्रति भ्रम दूर हो गया। और इस तरह वहां की सरकार का पतन हो गया।

श्री स्टीफ़न ने गुजरात के भविष्य के लिए कुछ रचनात्मक सुझाव दिये हैं। उन्होने कहा कि कि०म०लो०प० के साथ गठबंधन के बारे मैं विशेष रूप से सावधान रहें। परन्तु में यह कहना चाहता हूं कि अब तो कि०म०लो०प० भंग हो चुका है और वह कोई दल नहीं रहा। केवल व्यक्तिगत रूप से सदस्य रह गये हैं।

श्री प्रसन्न भाई मेहता : कि०म०लो०प० ने बिना शर्त जनता मोर्चे को अपना समर्थन दिया था जनता मोर्चे ने कभी समर्थन नहीं मांगा था। उन्होंने स्वयं ही अपना समर्थन दिया था . . . . . (व्यवधान) . . . . .

श्री प्रसन्न भाई मेहता : वास्तविक इतिहास यह है कि हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री बाबूभाई पटेल श्री चिमन भाई पटेल से मिलने गये थे यह बात सब जानते थे। उन्होने समर्थन मांगा और उन्हें बिना शर्त समर्थन मिला अन्यथा कि०म०लो०प० के समर्थन बिना वे सरकार नहीं बना सकते थे। अतः समर्थन मांगा गया और यह कहना ग़लत है कि समर्थन नहीं मांगा गया।

डा० कलास : कि०म०लो०प० के दबाव मैं आकर मुख्य मंत्री ने 62 करोड़ रुपये के कर वापस ले लिये थे।

श्री प्रसन्न भाई मेहता : यह निर्णय तो एक केन्द्रीय मंत्री श्री प्रभुदास पटेल की अध्यक्षता मैं हुई बैठक मैं किया गया था।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : बार-बार चुनाव कराना भी कोई लोकतंत्रीय क़दम नहीं है हालांकि चुनाव तो होने ही चाहिए। गुजरात मैं 9 माह पूर्व चुनाव हुए थे अतः इस संदर्भ में हमें गुजरात की जनता के हितों को भी ध्यान में रखना है।

श्री प्रसन्न भाई मेहता : मुख्य मंत्री ने कहा है कि यदि वहां लोकप्रिय सरकार बने तो वह विपक्ष मैं बैठ कर सरकार को पूरा सहयोग और समर्थन देंगे। आप वहां सरकार बना सकते हैं।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : यह तो बहुत अच्छी बात होगी कि एक प्रमुख विपक्षी दल सरकार को समर्थन दे ठीक है। परन्तु हमें देखना है कि किस प्रकार का समर्थन और वह किस रूप में मिलेगा। यह धृतराष्ट के आलिंग के समान नहीं होना चाहिए। अतः हमें सभी पहलूओं पर विचार करना होगा।

अब तो हमें यह देखना है कि गुजरात में प्रशासन तथा सलाहकारो द्वारा 20 सूत्रीय कार्यक्रम का ईमानदारी तथा दयानतदारी से क्रियान्वयन किया जाये। जो भी ग़लत बातें आ गई हैं उन्हें सही करने का प्रयास हो रहा है और प्रशासन को स्वच्छ बनाया जा रहा है।

डा० कलास : अब वहां तस्करों को कोई आश्रय नहीं मिलना चाहिए।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : बेशक ! एक बात श्री चन्द्रप्पन ने यह भी कही थी कि शस्त्रों से भरा एक जहाज़ काण्डला पत्तन पर भेजा गया है। मैं फिर से जांच करता है। यह बात सच प्रतीत नहीं होती है।

अन्त में मैं सदस्यों का धन्यवाद करता हूं। उनके सुझावों पर में पूरी तरह विचार करूंगा।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गुजरात राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत 12 मार्च, 1976 को जारी की गयी उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

नियंत्रक महालेखा परीक्षक (कर्तव्य शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) संशोधन अध्यादेश, 1976 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प तथा नियंत्रक महालेखा-परीक्षक (कर्तव्य-शक्तियाँ तथा सेवा-शर्तें) संशोधन विधेयक

STATUTORY RESOLUTION RE. DISAPPROVAL OF COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL'S (DUTIES, POWERS & CONDITIONS OF SERVICE) AMENDMENT ORDINANCE 1976 AND C. & A. G's. (DUTIES, POWERS AND CONDITIONS OF SERVICE) AMENDMENT BILL

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : सभापति महोदय, में प्रस्ताव करता हूं :

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 1 मार्च, 1976 को प्रख्यापित नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) संशोधन अध्यादेश, 1976 (1976 का अध्यादेश संख्या 1) का निरनुमोदन करती है"

अध्यादेश 1 मार्च को जारी किया गया और सत्र 8 मार्च को शुरू हुआ। सरकार 7 दिन प्रतीक्षा कर सकती थी और इस अध्यादेश को विधेयक के रूप में पेश कर सकती थी। सरकार ने अध्यादेश जारी करने की एक प्रथा सी बना ली है। इसलिए मैं इस अध्यादेश का विरोध करता हूं ।

विधेयक के उद्देश्य तथा कारणों सम्बन्धी विवरण के पैराग्राफ 2 में कहा गया है केन्द्र के लेखों के मामलों में राष्ट्रपति नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक से सलाह लेकर उसे केन्द्र की किसी विशिष्ट सेवा या विभाग के लेखों के संकलन के उत्तरदायित्व से मुक्त कर सकता है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक से सलाह ली है और यदि हां, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है ? विधेयक पास करने से पूर्व यह जानकारी हमें अवश्य मिलनी चाहिए।

सरकार महालेखापरीक्षक के अधिकारों पर अंकुश लगाना चाहती है । यदि सरकार ईमानदार है, तो इसे वास्तविक स्थिति का पूर्ण ब्यौरा देना चाहिए। सरकार यह विधेयक राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित होकर कर रही है । अब यह सन्देह पैदा होता जा रहा है कि सरकार सभी मामलों में निरकुंश होती जा रही है । उसने संसद की शक्तियां पहले ही खत्म कर दी हैं अब महालेखा-परीक्षक के विभिन्न मंत्रालयों को वित्तीय गलतियों को पकड़ने का जो अवसर था, वह भी समाप्त किया जा रहा है ।

वर्ष 1968 में तार-संचार लेखा कार्य लेखा-परीक्षा विभाग से अलग करके डाक-तार विभाग को स्थानान्तरित कर दिए गए थे । डाक-तार बोर्ड ने इस काम को करने के लिए एक कार्यकारी दल का गठन किया । समिति ने यह सूचित किया कि लेखा-परीक्षा के लेखा-परीक्षा विभाग से लिए जाने के बाद इस कार्य पर वर्ष 1972–73 में 99 लाख रुपये खर्च हुए । यदि यह कार्य लेखा-परीक्षा विभाग के पास ही रहता तो इतनी राशि खर्च न होती । अतः मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय कार्यकारी दल का वास्तविक प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखें जिसमें सदस्य इस योजना पर आने वाले व्यय का अनुमान लगा सकें ।

तार संचार लेखों के हस्तान्तरण के बाद से डाक तथा तार विभाग में कई नए पद बनाए गए । कर्मचारी वर्ग की संख्या में काफी वृद्धि की गई । इस विभाग में हुआ विस्तार डाक-तार संचार प्रणाली में हुए विस्तार के अनुरूप नहीं था । मुख्य प्रश्न यह है कि क्या इससे कार्य-कुशलता बढ़ी । इस प्रकार एक बड़े लेखे के हस्तान्तरण से पहले इसका वैज्ञानिक और तथ्यपरक अध्ययन किया जाना चाहिए अन्यथा समूची योजना बेकार हो जाती है ।

तार-संचार लेखों को हस्तान्तरित करने से पूर्व सेविंग बैंक का कार्य हस्तान्तरित किया गया था । इसके बाद पुनर्वास और पूर्ति के लेखे अलग अलग किए गए । क्या इससे कार्य कुशलता बढ़ी और व्यय में कमी आई ? इससे सम्बन्धित आंकड़े सभा-पटल पर रखे जाए कि लेखों की लेखा-परीक्षा से अलग करने की पद्धति कितनी प्रभावी है । मंत्री महोदय सदन को विश्वास दिलाएं कि इससे कार्य-कुशलता बढ़ेगी । इन प्रतिवेदनों के सभा-पटल पर रखे जाने से स्थिति बहुत स्पष्ट हो जाएगी ।

उद्योग आदि मंत्रालयों के लेखे के हस्तान्तरण पर लगभग तिगुने कर्मचारी मंत्रालय को भेजे जा रहे हैं । इसका अर्थ यह हुआ कि इस समय लेखा-परीक्षा विभाग में यह कार्य एक तिहाई कर्मचारी कर रहे हैं । अब इस पृथक्करण पर उस कार्य के लिए तिगुने कर्मचारी भरती करने होंगे । इससे न तो कार्य कुशलता ही आएगी और नही किफायत ही होगी । अतः निर्णय करने से पूर्व एक विशेष समिति अथवा संसद की संयुक्त प्रवर समिति नियुक्त की जाए । ऐसा भी पता चला है कि लेखा तथा लेखा-परीक्षण ढांचे के बारे में अभी तक कोई रूपरेखा तैयार नहीं की गई है ।

नियन्त्रक महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) विधेयक, 1971 के परन्तुक 19(1)(क) में कहा गया है कि नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक की सलाह लेना अनिवार्य

[श्री दीनेन भट्टाचार्य]

है । वित्त मंत्रालय कृपया यह बताए कि नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक के क्या विचार हैं ? इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मेरी मांग है कि यह विधेयक वापस लिया जाय और विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु संयुक्त प्रवर समिति की नियुक्ति की जाए ।

यदि लेखा-परीक्षा से पृथक कर दिए गए तो नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक जो सेवाएं लोगों को दे रहा है, उस पर प्रभाव पड़ेगा । लेखा और लेखा परीक्षा को अलग कर देने पर हम सरकारी खजाने पर कोई नियन्त्रण नहीं रख सकेंगे । अतः यह स्पष्ट है कि इस कार्यवाही के पीछे राजनीतिक उद्देश्य है और यह सरकार के निरकुंश शासन का उदाहरण है ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं विधेयक को पेश किए जाने का विरोध कहता हूं ।

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (**श्रीमती सुशीला रोहतगी**) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि नियन्त्रक महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए" ।

यह विधेयक नियन्त्रक महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) संशोधन अध्यादेश, 1976 के स्थानापन्न के लिए लाया गया है ।

[श्री जी० विश्वनाथन पीठासीन हुये]

[SHRI G.VISHWANATHAN *in the Chair*]

वित्तीय प्रबन्ध तभी सुचारू रूप से चल सकता है जब लेखा प्रणाली सुचारू रूप से चल रही हो । इस समय अधिकतर मंत्रालयों/विभागों में वित्त सम्बन्धी लेखे बाहर ही रखे जाते हैं क्योंकि भुगतान खजाने से किया जाता है और लेखे खजाने से पूरक लेखे मिलने पर नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के कार्यालय के लेखापरीक्षक और लेखा अधिकारी द्वारा रखे जाते हैं । इस प्रकार नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक सरकार के अधिकतर विभागों के लेखों का लेखा-परीक्षण नही वरन् लेखा भी रखता है । कार्य परिमाण में वृद्धि, सरकारी कार्य में विभिन्नता तथा विकास परिव्ययों में लगातार वृद्धि के कारण परम्परागत लेखा-परीक्षा और लेखा रखने की पद्धति अपर्याप्त सिद्ध हुई है और यह वर्तमान परिस्थितियो की आवश्यकता को पूरी नहीं करती । लेखों को लेखा-परीक्षा से अलग करने की आवश्यकता 1971 में इस विधेयक के पास करते समय भी अनुभव की गई थी । इसी वर्ष नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) विधेयक पास किया गया ।

प्रशासन सम्बन्धी मंत्रियों के दल की सिफारिश पर वित्तीय प्रशासन में सुधार करने के लिए लेखा और लेखा-परीक्षा को अलग विभागों में ही लेखे रखने की पद्धति अपनाए जाने का निर्णय किया गया । यह कार्य 1976–77 में पूरा करने का निर्णय किया गया है । यह कार्य तीन चरणों में होगा और पहला चरण 1 अप्रैल, 1976 से आरम्भ होगा ।

नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक को सभी विभागों के लेखों के संकलन के उत्तरदायित्व से मुक्त करने के लिए अधिनियम की धारा 10(1) के परन्तुक में संशोधन करना आवश्यक था। ये आवश्यक संशोधन अध्यादेश के द्वारा किए गए।

खण्ड 3(ख) एक नया संशोधन है जो अध्यादेश में नहीं था। इस संशोधन में नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक को संघ सरकार तथा राज्यों के वार्षिक लेखे तैयार करने की जिम्मेदारी से मुक्त किया गया है। यह कार्य नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक के परामर्श से राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल के आदेश पर किया जाएगा। नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक को मासिक लेखे तैयार करने के काम से मुक्त करने के बाद यह संशोधन आवश्यक हो गया था कि उन्हें वार्षिक लेखे तैयार करने के कार्य से भी मुक्त कर दिया जाए। ये सभी सुधार तथा विभागीय लेखा प्रणाली के सम्बन्ध में किए गए सभी उपाय नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक के सहयोग से किए गए हैं।

लेखों को लेखा परीक्षण से अलग करना लक्ष्य प्राप्ति का एक साधन है। लेखों का प्रबन्ध व्यवस्था के साथ विलय करने से लेखा मंत्रालय के निम्न कार्यसंचालन स्तर से लेकर सभी स्तरों पर लागत कारगर प्रबन्ध व्यवस्था में सहायता मिलेगी। इस नई प्रणाली से विभिन्न विभागों तथा एक समान लेखों का रिकार्ड रखने वाले लेखा परीक्षा अधिकारियों को जो एक कार्य दो बार करना पड़ता है वह भी समाप्त हो जाएगा।

मैं प्रस्ताव करती हूं कि विधेयक पर विचार किया जाए।

श्री **एच० एन० मुकर्जी** (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : प्रस्तुत विधेयक नियन्त्रक तथा महालेखा-परीक्षक के कार्यालय तथा उसके कार्यकरण से सम्बन्धित है। लेखों को लेखा परीक्षण से अलग करने का विचार काफी लम्बे अरसे से चला आ रहा था। हो सकता है किसी प्रस्ताव को सिद्धान्ततः अच्छी तरह जाने बिना हम यह सोच सकते हैं कि यह एक अनिवार्य प्रस्ताव है और यह भी सम्भव है कि गहन जांच के बाद संसद को इस बात के लिए राजी किया जा सके, कि यह एक अनिवार्य प्रस्ताव है और हम इस पर कार्यवाही कर सकते हैं। परन्तु हमें यह समझने के लिए समय चाहिए कि क्या करने का प्रस्ताव है और उससे क्या क्या अर्थ निकाले जा सकते हैं। हमें इस विधेयक पर विचार करने के लिए बहुत कम समय दिया गया है।

लेखों को लेखा परीक्षण से अलग करने का प्रश्न गत पचास से भी अधिक वर्षों से चला आ रहा है। स्वतन्त्रता प्राप्ति से तुरन्त पश्चात लोक लेखा समिति ने भी यह सिफारिश की थी कि लेखों को लेखा परीक्षा से पृथक किया जाना चाहिए। इस समिति ने भारत सरकार की रिपोर्ट के बाद क्रियान्वयन के मार्ग में आने वाली बाधाओं तथा प्रतिवेदन में व्यक्त की कई कठिनाईयों पर भी ध्यान दिया था।

यदि सरकार संसद से सम्बन्धित लोगों के मत जानना चाहती थी, तो यह समिति सरकार के प्रस्तावों पर विचार कर सकती थी। यदि सरकार यह विधेयक प्रवर समिति को सौंप देती तो कोई आसमान नहीं टूट जाता। यदि सरकार को जल्दी है तो वह प्रवर समिति को 15 दिन

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

के अन्दर प्रतिवेदन पेश करने के लिए कह सकती है । यह एक ऐसा विधेयक है जिस पर हम एक दम 'हां' या 'न' नहीं कह सकते । यदि यह विधेयक प्रवर समिति को भेजा जाए तो यह एक उचित प्रबन्ध रहेगा और इससे कोई हानि भी नहीं होगी ।

इस विधेयक के साथ संलग्न वित्तीय ज्ञापन में यह कहा गया है कि भारत के नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक के कार्यों को मंत्रालयों या विभागों आदि को हस्तान्तरित किए जाने से भारत की समेकित निधि में से कुछ अतिरिक्त व्यय नहीं होगा । यह पता नहीं चल सका है कि वित्त मंत्रालय तथा अन्य विभागों में किन व्यक्तियों ने स्थिति पर विचार किए बिना ऐसा परिवर्तन किया है । इन विभागों को अलग करते ही व्यय में बहुत वृद्धि हो जाएगी । सरकार का उद्देश्य लेखा परीक्षा को सुदृढ़ करना है न कि लेखा परीक्षा विभाग के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना ।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद प्रथम भारतीय नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक श्री नरहरि राव ने लेखा परीक्षा और लेखा विभागों को अलग अलग करने के बारे में स्वयं अपनी राय दी थी । उनके उत्तराधिकारी श्री ए० के० चन्दा ने इन विभागों को अलग करने के बारे में विरोध प्रकट किया था । उनका कहना है कि सिद्धान्ततः यह एक अच्छी चीज है लेकिन हमारी समस्याएं ऐसी हैं कि हम इसे नहीं अपना सकते ।

एक अन्य नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक श्री रंगनाथन ने ठोस कारण बताते हुए समिति के समक्ष साक्ष्य दिया कि उनके मतानुसार ऐसी व्यावहारिक समस्याएं विद्यमान हैं जिनके कारण हम इन दोनों विभागों को अलग अलग नहीं कर सकते ।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् ने अपने बजट भाषण में कहा है कि नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक की सलाह से हम यह विधान ला रहे हैं । हमें यह जानकारी नहीं कि नियन्त्रक और महालेखा-परीक्षक ने क्या सलाह दी है और क्या उन्होंने वित्त मंत्रालय के समक्ष अपने विचार रख दिए हैं । सरकार ने भी हमें यह नहीं बताया कि नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक ने क्या विचार व्यक्त किए हैं । मैं यह जानना चाहता हूं नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक के क्या विचार हैं ? चूंकि पहले महालेखा परीक्षकों ने अपना मत दिया था और लोक लेखा समिति ने भी इस समस्या पर विचार प्रकट करते हुए कठिनाईयों और जटिलताओं पर प्रकाश डाला है । अतः जब तक नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक के विचारों का पता नही चले, तब तक संसद आगे कार्यवाही नहीं कर सकता ।

यदि नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक संसद के पास अपना मत नहीं भेज सकते तो प्रवर समिति अपनी एक गुप्त बैठक आयोजित करके उनका मत प्राप्त कर सकती हैं और तब हमें उनके विचारो से अवगत करा सकती है ।

अब संसद द्वारा अनेक संगठनों की स्थापना की जा चुकी है तथा संसद को उनके लेखों पर निगरानी रखनी पड़ती है । स्वर्गीय श्री अशोक चन्द्र के मतानुसार तो लेखा तथा लेखा-परीक्षण

परस्पर सम्बद्ध है तथा कई बार तो लेखे का कार्य करने वालों को ही लेखा-परीक्षण के कृत्यों का निर्वाह भी करना पड़ता है तथा कई बार लेखा-परीक्षण का कार्य करने वालों को यदि लेखा तैयार करने का कार्य करना पड़ता है, तो पारस्परिक अनुभव के परिणाम स्वरूप दोनों का कार्य आसान हो जाता है । मैं समझता हूं कि हमारे देश में स्थिति ऐसी है कि हमें लेखे तथा लेखा-परीक्षण से अलग नहीं करना चाहिये ।

सभापति महोदय : सदस्य महोदय अगले दिन अपना भाषण जारी रखें । अब आधे घंटे की चर्चा होगी ।

---

*नारियल जटा उत्पादों के लिये यूरोपीय बाजार के बारे में आधे घंटे की चर्चा

HALF-AN HOUR DISCUSSION RE.EUROPEAN MARKET FOR COIR PRODUCTS

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजहा) : इसी महीने की 17 तारीख को एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया था कि जहां तक नारियल जटा उद्योग का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार ने इस उद्योग की सहायता के लिए एक सुनिश्चित प्रस्ताव तैयार कर लिया है । उत्तर में यह भी बताया गया था कि केन्द्रीय सरकार कुछ सीमा तक सहायता देगी तथा शेष कार्य राज्य सरकारों द्वारा ही किया जाएगा । यह उत्तर काफी अस्पष्ट सा लगता है तथा केरल के असंख्य श्रमिकों की मानसिक सन्तुष्टि के लिये यह स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिये ।

मैं एक बार पुनः यह स्मरण करता हूं कि नारियल जटा निर्यात उत्पाद है तथा इसके निर्यात से देश को 18 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है । लगभग 5 लाख श्रमिक इस उद्योग में लगे हुये हैं । केन्द्रीय राजस्व कोष को प्रति वर्ष लगभग 1.5 करोड़ रुपया इस उद्योग से प्राप्त होता है । केरल राज्य के लोगों का यह मूल उद्योग है । यही कारण है कि केरल सरकार ने श्रमिको के हितों की सुरक्षा के लिये सहकारी समितियां बनाने में पहल की है । इस समय केरल में 301 प्राथमिक सहकारी समितियां हैं, 20 विनिर्माता सहकारी समितियां हैं तथा 4 नारियल जटा विपणन की सहकारी समितियां हैं जिन्हें हम बिना किसी प्रकार की केन्द्रीय सहायता के चला रहे हैं । अब हमारे समक्ष कुछ वित्तीय बाधायें आई हैं तथा इसीलिये हमने केन्द्रीय सरकार से सहायता का अनुरोध किया है ।

अब से लगभग 8 वर्ष पूर्व हमने केन्द्र सरकार को एक योजना प्रस्तुत की थी जिसके अनुसार केरल में 5 लाख श्रमिकों को स्थायी रोजगार देने तथा सहकारी समितियों के पुनर्गठन के लिये 15 करोड़ रुपये की मांग रखी थी । 1969 में योजना आयोग द्वारा इस योजना की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया जिसने 1920 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया । इस प्रतिवेदन के अनुसार कार्य पूंजी के अलावा 6.99 करोड़ रुपये की पूंजी आवश्यकता की सिफारिश की गई । इस योजना के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने एक योजना बनाई जिसका उद्देश्य सहकारी समितियों को सुदृढ़ करना था । प्रतिवेदन में यह भी कहा गया था कि सहकारी

---

*आधे घंटे की चर्चा ।

[श्री सी एम० स्टीफन]

समितियों की शेयर पूंजी को सुदृढ़ करने के लिये सरकार ऋण देगी । इस कार्य के लिये बाद में एक संघर्ष समिति का गठन भी किया गया जिसमें रिजर्व बैंक के प्रतिनिधियों को भी स्थान दिया गया । यह भी निर्णय किया गया था कि इस समिति को यह अधिकार होगा कि वह इन समितियों की योजना के अन्तर्गत प्रत्येक समिति को दी जाने वाली सहायता का निर्णय भी करेगी । हमने इस सम्बन्ध में अपना प्रस्ताव समिति को प्रस्तुत किया । हमने उनसे कहा कि पहले वर्ष हमें 5.17 करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ेगी तथा दूसरे तथा तीसरे वर्ष के लिये हमने क्रमशः 3.66 करोड़ तथा 3.48 करोड़ रुपये की मांग की थी । इन आंकड़ों में कार्यपूंजी ऋण तथा शेयर पूंजी ऋण भी शामिल था । इस सम्बन्ध में 10-7-1975 को हमें केन्द्रीय सरकार का एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें यह कहा गया था कि केन्द्र द्वारा केवल 4.3 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने का ही निर्णय किया गया है । इसमें यह भी कहा गया कि सहकारी समितियों की संख्या भी 241 से अधिक नहीं होने दी जानी चाहिये । अब समस्या यह उत्पन्न हो गई है कि सहकारी समितियों को दिया गया ऋण शेयर पूंजी में परिणित कर दिया जाना चाहिये । यह सम्पूर्ण मामला 1968 में आरम्भ हुआ और अब 1976 हो गया था । तथ्य तो यह है कि सहकारी समितियां बनाने के बाद केन्द्रीय सरकार ने बहुत कम सहायता दी है ।

सरकार ने इस सारी अवधि के दौरान पहले 1 करोड़ रुपये की धनराशि दी तथा दूसरे वर्ष भी 1 करोड़ रुपया दिया । अब भला आप ही बताइये ये 241 सहकारी समितियों के सुदृढ़ करने की योजना है, सरकार यदि इतनी अल्प धनराशि देती रही तो फिर भला क्या होगा इससे तो हम केवल 1.27 लाख श्रमिकों को ही रोजगार दे पायेंगे । अब भला आप ही बताइये कि शेष 3.7 लाख श्रमिकों का क्या होगा ?

कुछ समय पूर्व केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के बीच एक निर्णय हुआ था । केन्द्रीय सरकार ने एक समिति का गठन किया था जिसे केन्द्र द्वारा दी जाने वाली सहायता के बारे में निर्णय करने का अधिकार होगा । इस समिति ने जिसमें रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि भी थे, अपना प्रस्ताव सरकार को भेजा परन्तु सरकार ने पुनः यह कहना आरम्भ कर दिया कि अभी इस पर विचार किया जाएगा । अब भला सरकार अपने वचन से पीछे क्यों हट रही है । अब भला यह क्यों कहा जा रहा है कि सहकारी समितियों की संख्या 241 से अधिक नहीं होनी चाहिये । कार्यपूजी को शेयर पूजी में परिवर्तित कर दिया जाये । भला इनका पुनर्गठन करने तथा 3.7 लाख श्रमिकों को रोजगार देने के लिये हम धन कहां से लायें ?

आज केरल के श्रमिक वर्ग में रोजगार के बारे में काफी चिन्ता व्याप्त है । केन्द्रीय सरकार की इस सम्बन्ध में तुरन्त निर्णय ले लेना चाहिये । यह योजना पूर्व कार्यक्रम के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा ही क्रियान्वित की जानी चाहिये । मैं इस सम्बन्ध में एक यह सुझाव देना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार को इसके लिये एक अन्य समिति का गठन करना चाहिये जिसमें 4 मंत्रालयों तथा रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि हों । इस समिति से यह भी अनुरोध किया जाना चाहिये कि वह यह भी सुनिश्चित करें कि दिये गये धन का उचित उपयोग किया जा रहा है ।

मैं मंत्री महोदय से इस सम्बन्ध में यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार केन्द्रीय कार्य समितियों का गठन करने के अपने निर्णय पर कायम है ? क्या 4.31 करोड़ रुपये की मंजूरी

देने के मामले की पुनरीक्षा की जायेगी । क्या सरकार शेष श्रमिको के लिये और सहायता देने के प्रश्न पर भी विचार करेगी ?

श्री बी० बी० नायक (कनारा) : पश्चिमी यूरोपीय देशों को गये शिष्टमंडल के बारे में चर्चा हुई थी । इस सम्बन्ध में श्री स्टीफन विस्तारपूर्वक बोल चुके हैं । केरल सरकार को वहां के पांच लाख कर्मचारियों की दशा पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिये । यह बात दुर्भाग्य की है कि नारियल जटा तथा नारियल जटा उत्पादों के निर्यात तथा उसके राष्ट्रीय उत्पादन सम्बन्धी नीति निर्धारण के लिये इस राज्य का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है ।

1972-73 के दौरान 47,000 टन का निर्यात हुआ जिससे 14 करोड़ रुपये की आय हुई थी । 1973-74 में 45,000 टन का निर्यात हुआ जिससे 15 करोड़ रुपये की आय हुई । दूसरे शब्दो में निर्यात में कमी होती आयी है । मंत्री महोदय इसका कारण बतायें ।

हम जानना चाहते हैं कि क्या नारियल जटा बोर्ड में किसी सामाजिक कायकर्त्ता अथवा नारियल जटा कार्यकर्ता को स्थान दिया जायेगा ।

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : केरल के नारियल जटा उद्योग के बारे में श्री स्टीफन ने जो चर्चा उठायी है । उसके लिये मैं उनका धन्यवाद करता हूं । उन्होंने कहा कि इस समस्या पर विचार करने के लिये अनेक समितियों तथा अध्ययन दलों का गठन किया गया जिन्होंने कुछ सिफारिशें भी की हैं । हम इस समस्या पर पूर्णतः विचार करेंगे ।

योजना आयोग ने पांचवीं योजना का प्रारूप बनाने के सम्बन्ध में अनेक कार्य दल गठित किये हैं, जिनमें एक नारियल जटा सम्बन्धी कार्यदल भी है । अध्ययन दल ने केरल में सम्पूण नारियल जटा उद्योग के विकास के लिये 44.08 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय की सिफारिश की है जिसमें से 30 करोड़ रुपये नारियल जटा सहकार समितियों का कायपूंजी उपलब्ध करने के लिये है । लेकिन बाद में राज्य सरकार ने कुछ नये प्रस्ताव भेजे जिन पर 86 करोड़ रुपये से अधिक कुल योजना परिव्यय आयेगा । इसमें 65 करोड़ रुपये कार्य पूंजी के लिये भी शामिल हैं ।

जुलाई, 1974 में योजना आयाग म आयोजित अन्तमंत्रालय बैठक में इन प्रस्तावों पर विचार किया गया । यह निर्णय किया गया कि राज्य में नारियल जटा उद्योग का विकास करने, नारियल जटा सहकारी समितियां को सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाने हेतु उनका ढांचा पुनः तैयार करने हेतु आगामी कार्यक्रम को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिये अपनी पांचवीं योजना में केन्द्रीय सरकार 3 करोड़ रुपये को विशेष सहायता देगी और राज्य सरकार 12 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था करेगी ।

237 वर्तमान सहकारी समितियों और 4 केन्द्रीय नारियल जटा विपणन समितियों को विशेष सहायता मिलेगी । इन समितियों के 70,000 श्रमिकों की वर्तमान सदस्यता के साथ केरल में जब ये समितियां अपने पैरों पर खड़ी होंगी तो इनमें लगभग एक लाख श्रमिकों को लाभ होगा । हमने अभी तक इतनी सहायता दी है ।

[श्री ए० पी० शर्मा]

पहली सहायता केन्द्रीय सरकार ने 2 करोड़ रुपये की दी है। यदि और अधिक सहायता नहीं दी गई तो इसका कारण यह है कि हमें अभी तक उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। केन्द्रीय सरकार 1.31 करोड़ रूपया और देना चाहती है। लेकिन यह तभी दिया जायेगा जब कि राज्य सरकार से उपयोग प्रमाण-पत्र मिलेगा।

विशेष सहायता देने का कारण यह है कि यह श्रम साध्य उद्योग है; विशेषकर इस उद्योग में समाज के निर्धन वर्गों के लोग काम करते हैं। सरकार ने यह विशेष कदम उठाया है। अन्य किसी मामले में ऐसी विशेष सहायता नहीं दी गई है। योजना आयोग के एक मेम्बर श्री शिवरामन की अध्यक्षता में एक आयोग गठित करने का निर्णय किया गया है जो इस समस्या के सभी पहलुओं की जांच करेगा। इस आयोग की सिफारिशें अभी प्राप्त नहीं हुई हैं। केन्द्रीय सरकार इस समिति की सिफारिश पर यथासम्भव विचार करेगी।

इस समस्या से केन्द्रीय सरकार पूर्णतः परिचित है और हम केरल के नारियल जटा उद्योग की सहायता करने के लिये तैयार हैं। किसी विशेष राज्य में योजना परिव्यय को वित्तीय सहायता देना केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। यह तो निश्चय ही राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

यही उद्योग विदेशी मुद्रा नहीं कमा रहा है। कुछ अन्य उद्योग तो इससे भी अधिक विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं। सामान्य नीति तैयार करते समय इस तथ्य को भी ध्यान में रखा गया है केरल के नारियल जटा उद्योग के विकास और केन्द्रीय सरकार की सहानुभूति के सम्बन्ध में कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिये।

हम इस बात को मानते हैं कि नारियल जटा उद्योग का निर्यात घट रहा है। हमें अपना निर्यात बढ़ाने के लिये अपने सामान की किस्म में भी सुधार करना चाहिये। हमें माल भेजने के समय का पालन करना चाहिये।

श्री बयालार रवि : क्या मंत्री महोदय इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि समितियां दी गयी राशि का पूरा पूरा उपयोग करें।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मंत्री महोदय ने कहा है कि श्री शिवरामन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। मैं जानना चाहता हूं कि यह समिति अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत करेगी।

श्री ए० पी० शर्मा : मैं श्री बयालार रवि को आश्वासन दिलाता हूं कि मैं उनके सुझावों को सम्बन्धित अधिकारियों के नोटिस में लाऊंगा।

श्री शिवरामन समिति की रिपोर्ट के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब तक प्रस्तुत की जायेगी

इसके बाद लोक सभा गुरुवार, 25 मार्च, 1976/5 चैत्र, 1898 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, March 25, 1976/ Chaita 5, 1898 (Saka).

GMGIPND—985—LS—23-7-76—200